आरबीआई/2024-25/125
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं.55/20.16.056/2024-25 06 जनवरी 2025

सभी वाणिज्यिक बैंक सहित लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भुगतान बैंकों को छोड़कर
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और नैबफिड)
आवास वित्त कंपनियों सहित एनबीएफ़सी कंपनी
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
सभी क्रेडिट सूचना कंपनी

महोदय/महोदया

मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (साख सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए साख सूचना रिपोर्टिंग पर समय-समय पर कई अनुदेश/निदेश जारी किए हैं।

2. संलग्न मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (साख सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025 साख सूचना की रिपोर्टिंग पर विनियमित संस्थाओं को जारी निदेशों का समेकन है।

3. यह निदेश आरबीआई द्वारा साख सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

भवदीय

(जे. पी. शर्मा)

मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न:: भारतीय रिज़र्व बैंक (साख सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025

सामाग्री तालिका

अध्याय-I: प्रारंभिक 6

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ 6

2. प्रयोज्यता 6

3. परिभाषाएँ 6

अध्याय-II: सदस्यता 8

4. सीआईसी की सदस्यता 8

अध्याय-III: क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग और प्रसार 9

5. क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग के लिए डेटा का प्रारूप 9

6. सीआई द्वारा डेटा प्रस्तुत करना 9

7. सीआईसी द्वारा डेटा प्रमाणीकरण और अस्वीकृत डेटा का सुधार 10

8. डेटा गुणवत्ता सूचकांक 10

9. सीआईसी द्वारा क्रेडिट की जानकारी प्रसार 11

10. क्रेडिट सूचना रिपोर्ट में सुधार 14

11. क्रेडिट मूल्यांकन में क्रेडिट सूचना रिपोर्ट का उपयोग 15

12. सीआई द्वारा सूचना प्रदर्शित करना 15

13. विनियमन विभाग द्वारा जारी अन्य अनुदेशों की प्रयोज्यता 16

अध्याय-IV: तकनीकी कार्य समूह 17

14. तकनीकी कार्य समूह पर अनुदेश 17

15. टीडब्ल्यूजी का स्थायी उप-समूह 17

अध्याय-V: ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण 19

16. सीआईसी और सीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को सुदृढ़ बनाना 19

17.क्रेडिट की जानकारी का विलंब से अद्यतनीकरण/सुधार हेतु ग्राहकों को क्षतिपूर्ति के लिए ढांचा.. 21

18.विविध अनुदेश 24

19.रिज़र्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना 2021 24

20.आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति 24

अध्याय – VI: सीआई और सीआईसी के लिए सर्वोत्तम प्रथाएँ 25

21. सीआई के लिए सर्वोत्तम प्रथाएँ 25

22. सीआईसी के लिए सर्वोत्तम प्रथाएँ 25

अध्याय – VII: निरसन प्रावधान और व्याख्या..26

अनुबंध – I: भा.रि.बैं. में पंजीकृत सीआईसी की सूची...27

अनुबंध - II: सीआईसी विनियमों के विनियम-3 के खंड (जे) के अंतर्गत एसयू में वर्गीकृत की जाने वाली संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड..28

अनुबंध - III: सीआईसी विनियमनों के विनियम 3 के खंड (जे) के अंतर्गत एसयू बनने के लिए पात्र संस्थाओं के साथ सदस्यता करार करते समय सीआईसी द्वारा पालन किए जाने वाले परिचालन संबंधी दिशानिर्देश.. 30

अनुबंध - IV: समान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप...31

अनुबंध - V: यूसीआरएफ में ऋण सूचना की रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश........................63

अनुबंध - VI: स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के संबंध में ऋण सूचना को रिपोर्ट करना 69

अनुबंध - VII: लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने के बाद ऋण सूचना रिपोर्टिंग तंत्र के प्रावधान 84

अनुबंध – VIII: उपभोक्ता डेटा गुणवत्ता सूचकांक 85

अनुबंध – IX: वाणिज्यिक डेटा गुणवत्ता सूचकांक...87

अनुबंध – X: लघु वित्त डेटा गुणवत्ता सूचकांक..94

अनुबंध – XI: सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतित आस्तियों की जानकारी......98

अनुबंध – XII: सीआईसी द्वारा प्रकटीकरण...99

अनुबंध – XIII: मुआवज़ा राशि के बंटवारे के लिए उदाहरण..101

अनुबंध – XIV: सीआई के लिए सर्वोत्तम प्रथाएँ...107

अनुबंध - XV: सीआईसी के लिए सर्वोत्तम प्रथाएँ 108

अनुबंध - XVI: मास्टर निदेश के जारी होने के साथ निरस्त किए गए परिपत्रों की सूची..111

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (साख सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025

साख सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (जिसे इसके बाद सीआईसीआरए कहा जाएगा) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे इसके बाद 'आरबीआई' कहा जाएगा) इससे संतुष्ट है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (साख सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025 जारी करता है जिसे इसके बाद विनिर्दिष्ट किया गया है।

उद्देश्य

इन निदेशों का उद्देश्य साख सूचना की रिपोर्टिंग और प्रसार के लिए एक मानकीकृत ढांचा स्थापित करना; संवेदनशील क्रेडिट डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा का संरक्षण करना; उपभोक्ताओं को उनकी साख सूचना तक पहुँचने के लिए तंत्र प्रदान करना और रिपोर्टिंग से संबंधित मामलों की शिकायत निवारण करना है ।

अध्याय-I: प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन निदेशों को मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (साख सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

(2) यह निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किए जाए।

2. प्रयोज्यता

इन निदेशों के प्रावधान इन निदेशों में परिभाषित ऋण संस्थानों (सीआई) और साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएँ

(1) इन निदेशों के प्रयोजन हेतु जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

(ए) **"कंपनी"** का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत संबंधित धारा के अंतर्गत परिभाषित कंपनी है।

(बी) **"साख सूचना कंपनियां (सीआईसी)"** का अर्थ है ऐसी कंपनियाँ जिन्हें सीआईसीआरए की धारा 5 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। सीआईसीआरए की धारा 5 के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत सीआईसी अनुबंध I में सूचीबद्ध हैं।

(सी) **"ऋण संस्थान (सीआई)"** का अर्थ निम्नलिखित संस्थान हैं:

(i) बैंक -

ए. सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक, ग्रामीण बैंक को शामिल कर और भुगतान बैंकों को छोड़कर)

बी. सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक

(ii) रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (एआईएफआई), अर्थात

ए. भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक)

बी. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

सी. राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)

डी. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और

ई. राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनबीएफ़आईडी)

(iii) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ[1] (आवास वित्त कंपनियों सहित)

(iv) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (एआरसी)

(डी) **"विनिर्दिष्ट उपयोगकर्ता (एसयू)"** का वही अर्थ होगा जो सीआईसीआरए की धारा 2 के खंड (एल) के तहत और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी विनियमन, 2006 (समय-समय पर यथासंशोधित) के विनियमन 3 के तहत अधिसूचित किया गया है।

(2) इन निदेशों में प्रयुक्त शब्द अथवा अभिव्यक्तियाँ जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं, लेकिन सीआईसीआरए, 2005, साख सूचना कंपनी नियम, 2006 (जिसे इसके बाद "सीआईसी नियम" कहा जाएगा) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी विनियमन, 2006, (जिसे इसके बाद "सीआईसी विनियमन" कहा जाएगा) में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें इन क़ानून/नियमों/विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है। इन निदेशों या पूर्वोक्त क़ानून/नियमों/विनियमों में प्रयुक्त तथा परिभाषित न किए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 अथवा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित किसी भी अन्य शब्द या अभिव्यक्ति के वही अर्थ होंगे जो इन अधिनियमों में उनके लिए विनिर्दिष्ट हैं।

[1] उन कंपनियों के अलावा जो बिना किसी ग्राहक इंटरफेस के विशुद्ध रूप से निवेश गतिविधियों में संलग्न हैं।

अध्याय-II: सदस्यता

4. सीआईसी की सदस्यता

(1) सभी सीआई आरबीआई के साथ पंजीकृत सभी सीआईसी के सदस्य बनेंगे।

(2) सीआईसी द्वारा सदस्य बनने के लिए सीआई से लिया जाने वाला एकमुश्त सदस्यता शुल्क प्रत्येक सदस्य के लिए ₹10,000/- से अधिक नहीं होगा।

(3) सीआईसी द्वारा प्रत्येक सीआई से लिया जाने वाला वार्षिक शुल्क ₹5,000/- से अधिक नहीं होगा।

(4) सीआईसी विनियमनों (समय-समय पर संशोधित) के विनियमन 3 के खंड (जे)[2] के तहत विनिर्दिष्ट उपयोगकर्ता (एसयू) बनने के लिए पात्र संस्थाओं के साथ सदस्यता समझौता करते समय, सीआईसी निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगे:

(ए) सीआईसी 05 जनवरी, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा जारी सीआईसी विनियमन 3 के खंड (जे) के तहत एसयू के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंडों पर दिशानिर्देश, जैसा कि अनुबंध II में उल्लिखित है, का पालन करेंगे ।

(बी) सीआईसी सदस्यता देते समय सम्यक तत्परता और नियंत्रण तंत्र स्थापित करेंगे, और उन संस्थाओं के साथ क्रेडिट की जानकारी भी साझा करेंगे जो उक्त खंड के तहत एसयू बनने के लिए पात्र हैं।

(सी) उक्त खंड के तहत एसयू बनने के लिए पात्र संस्थाओं के साथ सदस्यता समझौता करते समय सीआईसी द्वारा पालन किए जाने वाले परिचालन दिशानिर्देशों का एक व्यापक सेट अनुबंध III में दिया है।

(डी) सीआईसी को उक्त खंड के तहत एसयू के रूप में वर्गीकृत संस्थाओं द्वारा आरबीआई द्वारा जारी पात्रता मानदंडों और अन्य परिचालन दिशानिर्देशों के अनुपालन की वार्षिक आधार पर निगरानी करनी चाहिए। सीआईसी इन संस्थाओं से तिमाही आधार पर एक वचनबंध प्राप्त करें जिसमें उल्लेख हो कि वह इस मामले पर आरबीआई द्वारा जारी पात्रता मानदंडों और अन्य परिचालन दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं।

---

[2] भारत के राजपत्र में 29 नवंबर, 2021 की अधिसूचना CG-DL-E-30112021-231472 के माध्यम से प्रकाशित साख सूचना कंपनी (संशोधन) विनियम, 2021 ने सीआईसी विनियम, 2006 के विनियम 3 के तहत 'निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं' की परिभाषा का विस्तार किया है, जिसमें "ऋण संस्थानों के समर्थन या लाभ के लिए सूचना के प्रसंस्करण में लगी एक इकाई, और समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली इकाई" शामिल है।

अध्याय-III: क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग और प्रसार

5. क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग के लिए डेटा का प्रारूप

सीआई द्वारा सीआईसी को क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग, अनुबंध IV में निर्धारित मानकीकृत डेटा प्रारूपों में की जाएगी। यह मानकीकृत डेटा प्रारूप गैर-स्वामित्व रिपोर्टिंग प्रारूप होंगे और इन्हें नीचे दर्शाए अनुसार "समान ऋण रिपोर्टिंग प्रारूप" (यूसीआरएफ) के रूप में जाना जाएगा:

फॉर्म 1: समान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप (उपभोक्ता) - उपभोक्ता खंड के लिए।

फॉर्म 2: समान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप (वाणिज्यिक) - वाणिज्यिक खंड के लिए।

फॉर्म 3: समान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप (एमएफआई) – सूक्ष्म वित्त खंड के लिए।

6. सीआई द्वारा डेटा प्रस्तुत करना

(1) सीआई द्वारा क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग

(ए) सीआई अपने उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी (ऐतिहासिक डेटा सहित) पर डेटा सभी सीआईसी को प्रस्तुत करेंगे।

(बी) सीआईसी और सीआई अपने द्वारा एकत्रित/रखी गई क्रेडिट जानकारी को पाक्षिक आधार पर (अर्थात संबंधित माह की 15वीं और अंतिम तारीख को) नियमित रूप से अद्यतन रखेंगे या सीआई और सीआईसी के बीच आपसी सहमति से कम अंतराल पर अद्यतन करेंगे। सीआई द्वारा सीआईसी को पाक्षिक रूप से ऋण जानकारी प्रस्तुत करना संबंधित रिपोर्टिंग पखवाड़े के सात (7) कैलेंडर दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। सीआईसी सूचना और निगरानी उद्देश्यों के लिए अर्धवार्षिक अंतराल (प्रत्येक वर्ष 31 मार्च और 30 सितंबर को) पर पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय को उन सीआई की सूची उपलब्ध कराएगा जो पाक्षिक डेटा प्रस्तुत करने की समयसीमा का पालन नहीं कर रहे हैं।

(सी) सीआई यह सुनिश्चित करेंगे कि सीआईसी को प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड नियमित रूप से अद्यतन किए जाते हैं और अंतिम किस्त सहित पुनर्भुगतान का कोई भी मामला रिपोर्ट किए बिना नहीं छोड़ा जाता है।

(डी) सीआईसीआरए, सीआई द्वारा सीआईसी के साथ क्रेडिट की जानकारी साझा करने के लिए उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन सांविधिक समर्थन प्रदान करता है। अतः सीआईसीआरए के लागू होने के साथ, "सहमति खंड" निरर्थक हो गया है और इस कारण 1 अक्तूबर 2002 के परिपत्र डीबीओडी.सं.डीएल.बीसी.29/20.16.002/2002-03 के अनुबंध-I और II के अनुसार निर्धारित उधारकर्ता की सहमति पर बैंकों द्वारा जोर देने की आवश्यकता नहीं है।

(ई) यूसीआरएफ में क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग करते समय, अन्य बातों के अतिरिक्त, अनुबंध V में उल्लिखित दिशानिर्देशों का सीआई द्वारा पालन किया जाएगा।

(2) **स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों के संबंध में क्रेडिट जानकारी रिपोर्टिंग**

(ए) एसएचजी को वित्तपोषण करने वाले सीआई अनुबंध IV में उल्लिखित समान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप (एमएफआई) में एसएचजी सदस्य स्तरीय डेटा को सीआईसी को रिपोर्ट करेंगे।

(बी) एसएचजी सदस्यों के संबंध में सीआई द्वारा सीआईसी को एकत्रित और रिपोर्ट की जाने वाली क्रेडिट की सूचना की संरचना अनुबंध VI में उल्लिखित है।

(3) लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र के रद्द होने के बाद क्रेडिट की सूचना रिपोर्टिंग तंत्र

(ए) आरबीआई द्वारा स्वैच्छिक प्रस्तुति अथवा पर्यवेक्षी कार्रवाई के माध्यम से सीआई के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर)/लाइसेंस को रद्द करने के मामले में, सीआईसी अपने सीआईआर में सीआई के बंद होने के कारण रिकॉर्ड के गैर-अद्यतीकरण को दर्शाने के लिए सीआई के उधारकर्ताओं के रिकॉर्ड में एक उपयुक्त अस्वीकरण डालेंगे।

(बी) उन सीआई के उधारकर्ताओं की ऋण जानकारी को अद्यतन करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए, जिनका पंजीकरण प्रमाणन (सीओआर)/लाइसेंस रद्द कर दिया गया है,, सीआईसी और सीआई 10 अप्रैल 2025 से पहले बैंकों/एनबीएफसी के लाइसेंस/सीओआर रद्द करने के बाद अनुबंध VII में दिए गए अनुसार क्रेदित की जानकारी रिपोर्टिंग तंत्र लागू करेंगे।

7. सीआईसी द्वारा डेटा प्रमाणीकरण और अस्वीकृत डेटा का सुधार

(1) सीआईसी डेटा स्वीकृति में शामिल तर्क और सत्यापन प्रक्रियाओं को सीआई के साथ साझा करेंगे, जिससे डेटा अस्वीकृति के मामलों को कम किया जा सके। सीआईसी द्वारा, अस्वीकृति के कारणों को मापदंडबद्ध किया जाएगा और संबंधित सीआई के बीच प्रसारित किया जाएगा।

(2) सीआईसी द्वारा जारी अस्वीकृति रिपोर्ट सरल और समझने योग्य होगी ताकि उनका उपयोग सीआई द्वारा रिपोर्टिंग और डेटा स्तर के मुद्दों को ठीक करने के लिए किया जा सके।

(3) सीआई अस्वीकृत डेटा को सुधारेंगे और ऐसी अस्वीकृति रिपोर्ट प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर सीआईसी पर अपलोड करेंगे।

(4) सीआईसी अपने डेटाबेस में पहचानकर्ता विसंगतियों की पहचान करने के लिए तिमाही में कम से कम एक बार आवधिक अभ्यास/जांच करेंगे और ऐसी पहचानकर्ता विसंगतियों के निष्कर्षों को संबंधित सीआई के साथ साझा करेंगे ताकि उनकी सटीकता की पुष्टि हो सके। ऐसे डेटा परिमार्जन अभ्यासों का समय पर (जैसे एक महीने के भीतर) उत्तर नहीं देने वाले सीआई की सूची छमाही अंतराल (31 मार्च और 30 सितंबर तक) पर पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय को सूचनार्थ भेजी जाएगी।

स्पष्टीकरण: सीआईसी पहचानकर्ता विसंगतियों का पता लगाने के लिए सीआईसीआरए के तहत सीआई से प्राप्त डेटा को अपने संबंधित नोडल अधिकारियों के साथ साझा नहीं करेंगे और संबंधित सीआई से पुष्टि प्राप्त किए बिना अपने डेटाबेस में बदलाव भी नहीं करेंगे।

8. डेटा गुणवत्ता सूचकांक

(1) सीआईसी उपभोक्ता, वाणिज्यिक और सूक्ष्म वित्त खंडों के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) तैयार और प्रदान करेंगे, जैसा कि अनुबंध VIII, IX और X में दिया गया है, ताकि सीआईसी को सीआई

द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा की गुणवत्ता का आकलन किया जा सके और समय के साथ उसमें सुधार किया जा सके।

(2) सीआईसी सभी सदस्य सीआई को मासिक आधार पर संख्यात्मक स्कोर के रूप में तीन रिपोर्टिंग खंडों (उपभोक्ता, वाणिज्यिक और सूक्ष्म वित्त) के लिए डीक्यूआई प्रदान करेंगे।

(3) उपभोक्ता खंड के लिए डीक्यूआई स्कोर जनसांख्यिकीय और व्यापार डेटा स्कोर के औसत के रूप में सीआई स्तर पर प्रदान किया जाएगा और ऐसे डीक्यूआई स्कोर की गणना उस सीआई के फ़ाइल स्तर डीक्यूआई स्कोर के औसत के रूप में की जाएगी।

(4) वाणिज्यिक और सूक्ष्म वित्त खंडों के लिए डीक्यूआई स्कोर भी सीआई और फ़ाइल स्तर पर प्रदान किए जाएंगे। सीआई स्तर पर वाणिज्यिक और सूक्ष्म वित्त खंडों के लिए डीक्यूआई स्कोर की गणना उस सीआई के वाणिज्यिक और सूक्ष्म वित्त खंडों के फ़ाइल स्तर डीक्यूआई स्कोर के भारित औसत के रूप में की जाएगी।

(5) सीआईसी मासिक आधार पर अपनी संबंधित श्रेणी (जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक, आरआरबी, एनबीएफसी आदि) में सीआई स्तर डीक्यूआई के भारित औसत के रूप में तीन रिपोर्टिंग खंडों में से प्रत्येक के लिए उद्योग स्तरीय डीक्यूआई की गणना करेंगे। इसके अतिरिक्त, छमाही उद्योग बेंचमार्क की गणना सीआई की संबंधित श्रेणी के पिछले छह महीनों के उद्योग स्तर डीक्यूआई स्कोर के रोलिंग औसत के रूप में की जाएगी।

(6) सीआईसी प्रत्येक सीआई को स्कोर में गिरावट के कारण देंगे, यदि (ए) पिछले महीने की तुलना में सीआई स्तर स्कोर में गिरावट आई है अथवा (बी) सीआई स्तर स्कोर छमाही उद्योग बेंचमार्क से कम है।

(7) सीआईसी सूचना और निगरानी के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को अर्धवार्षिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण विभाग को सभी खंडों के सीआई स्तर डीक्यूआई और उद्योग स्तर डीक्यूआई का मासिक डेटा उपलब्ध कराएंगे।

(8) सीआई को सूचित किया जाता है कि वह सीआईसी को प्रस्तुत किए जा रहे डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सभी खंडों के लिए डीक्यूआई की छमाही समीक्षा करें। पहचान किए गए मामलों और किए गए सुधारात्मक पहल सहित प्रत्येक सीआई द्वारा एक रिपोर्ट उस छमाही की समाप्ति से दो महीने के भीतर समीक्षा के लिए अपने शीर्ष प्रबंधन के समक्ष रखी जाएगी।

9. सीआईसी द्वारा क्रेडिट की जानकारी प्रसार

(1) क्रेडिट की जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर)

(ए) सीआईआर के प्रारूप को मानकीकृत करना आवश्यक नहीं माना जाता है क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए कुछ भिन्नता आवश्यक है। हालांकि, सीआईसी सीआईआर शब्दावली को मानकीकृत करेंगे और कुछ अनिवार्य की-फ़ील्ड भी रखेंगे। इससे उपयोगकर्ताओं द्वारा दो या अधिक सीआईसी से प्राप्त सीआईआर के बीच तुलना करना आसान हो जाएगा।

(बी) सीआईसी एक उधारकर्ता के लिए एक ही क्रेडिट की जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) प्रदान करेगा, चाहे फर्म/व्यक्ति के पास एक से अधिक पते हों, जिन्हें सीआई द्वारा प्रदान की गई एक विशिष्ट पहचान संख्या जैसे पैन संख्या, मतदाता पहचान पत्र संख्या, पासपोर्ट संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस संख्या आदि का उपयोग कर बनाया गया हो।

(सी) सीआईसी सीआईआर में जहां भी लागू हो, सह-उधारकर्ताओं और गारंटीकर्ता का विवरण दर्ज करेंगे। इससे यह तय करने में आसानी होगी कि सीआई किसी इकाई में कितना एक्सपोजर मानता है। सीआईआर में ग्राहकों द्वारा उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटीकर्ता के रूप में लिए गए ऋणों का विवरण दिया जाएगा।

(डी) सीआईसी को एक ही ग्राहक द्वारा एक से अधिक उधार जिसमें चालू और बंद दोनों खाते शामिल हैं,चालू खातों, बंद खातों और एनपीए की स्थिति/इरादतन चूक/बाद दाखिल मुकदमे की समग्र स्थिति के क्रम में विभिन्न खातों के बारे में जानकारी देनी होगी, जिसमें प्रत्येक खाते के लिए सीमाएं और देनदारियां शामिल होंगी।

(ई) यदि सीआईआर में दी गई कोई जानकारी विवादास्पद है और मामले का संतोषजनक समाधान नहीं हुआ है, तो सीआईआर को उपयुक्त प्रकटीकरण करने होंगे। यदि ग्राहक चाहे तो उसकी टिप्पणी भी सीआईआर में जोड़ी जा सकती है। उपभोक्ता विवादों से संबंधित कुछ क्षेत्र जैसे विवाद का कोड, विवाद का विवरण, विवाद की तारीख और विवादों पर उपभोक्ता की टिप्पणियां (जैसा कि आदित्य पुरी समिति की रिपोर्ट जो अनुबंध 5 में सूचीबद्ध है[3]) सीआईआर में शामिल की जा सकती हैं।

(एफ) ग्राहकों को पूर्व में अस्वीकृत किए गए ऋणों से संबंधित जानकारी सीआईसी द्वारा रिपोर्ट नहीं की जाएगी । ऐसी जानकारी ग्राहक हितों के लिए प्रतिकूल हो सकती है क्योंकि एक सीआई की अस्वीकृति को दूसरे सीआई द्वारा अस्वीकृति के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

(जी) मौजूदा सीआईआर के अतिरिक्त, सीआईसी सभी मॉड्यूलों अर्थात उपभोक्ता, वाणिज्यिक और एमएफआई, सीआई द्वारा उपयोग के लिए एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में उपलब्ध उधारकर्ता के संबंध में क्रेडिट जानकारी को शामिल करते हुए एक व्यापक क्रेडीट की जानकारी रिपोर्ट (सीसीआईआर) प्रदान कर सकते हैं ।यह सीआई को उनके संबंधित क्रेडिट मूल्यांकन आवश्यकताओं के आधार पर सीआईआर अथवा सीसीआईआर का उपभोग करने का विकल्प प्रदान करेगा।

(एच) क्रेडिट स्कोर की समझ और व्याख्या को आसान और सुसंगत तरीके से सुविधाजनक बनाने के लिए, सभी सीआईसी द्वारा क्रेडिट स्कोर को 300 से 900 तक कैलिब्रेट किया जाएगा, ताकि उनके पास क्रेडिट स्कोर का एक सामान्य वर्गीकरण हो।

(आई) सीआईसी अनुरोधकर्ता के अनुरोध पर और उचित प्रमाणीकरण के बाद एक वर्ष (जनवरी-दिसंबर) के दौरान किसी भी समय, एक बार, क्रेडिट स्कोर सहित मुफ्त पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट (एफएफसीआर), उन व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में एक्सेस प्रदान करें जिनका क्रेडिट स्कोर उनके पास उपलब्ध है । एफएफसीआर, सीआईसी के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार व्यक्ति के प्रति सीआई के एक्सपोजर की अध्यतन स्थिति को दर्शाएगा। एफएफसीआर की विषय-वस्तु वही होगी जो सीआई को प्रदान की गई व्यक्ति की रिपोर्ट के सबसे विस्तृत संस्करण में परिलक्षित होती है, जिसमें क्रेडिट स्कोर भी शामिल है। सीआईसी अपनी वेबसाइट (होमपेज पर ही) पर एफएफसीआर तक एक्सेस के लिए लिंक को प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे ताकि अपने एफएफसीआर तक को हर व्यक्ति आसानी से एक्सेस कर सकें। सीआईसी के पास एफएफसीआर उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी।

---

[3] समिति की रिपोर्ट इस लिंक के माध्यम से देखी जा सकती है: https://rbi.org.in/hi/web/rbi/-/publications/reports/report-of-the-committee-to-recommend-data-format-for-furnishing-of-credit-information-to-credit-information-companies-763

(जे) सीआईआर के लिए सीआईसी के पूछताछ मॉड्यूल में उपयुक्त उप-क्षेत्र (प्रत्येक में 5-7 से अधिक विकल्प नहीं) होंगे जिनमें से जांच के उद्देश्य का चयन करते समय एसयू का चयन करना होगा। इसके अतिरिक्त, सीआईसी के पूछताछ मॉड्यूल में उप-क्षेत्रों में से एक को अनिवार्य रूप से 'बिजनेस लोन – डायरेक्टर सर्च - सॉफ्ट इन्क्वायरी - स्कोर अनअफेक्टेड' के रूप में नामित किया जाएगा। सीआईसी सही जांच मापदंडों और इसके निहितार्थों को चुनने के महत्व पर एसयू को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

(2) व्यक्तियों की सहमति के आधार पर तृतीय पक्ष की संस्थाओं के साथ क्रेडिट की जानकारी साझा करना

यह देखा गया है कि किसी व्यक्ति की सहमति के आधार पर सीआईसी ऐसी संस्थाओं के साथ समझौता करके क्रेडिट की जानकारी साझा कर रहे हैं, जो एसयू नहीं हैं। ऐसी संस्थाओं के साथ संवेदनशीलता और संभावित दुरुपयोग को देखते हुए, सीआईसी इस उद्देश्य के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करें।

(ए) सीआईसी ऐसी संस्थाओं के साथ समझौता करके कोई व्यक्ति जो निर्दिष्ट उपयोगकर्ता नहीं हैं की सहमति के आधार पर उसकी ऋण जानकारी साझा करते समय एक मजबूत उचित सावधानीपरक और नियंत्रण तंत्र स्थापित करेंगे । इसमें संस्था के बारे में सभी उपलब्ध जानकारियों का मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। निम्नलिखित के अतिरिक्त अन्य शर्तें इसमें शामिल हो सकती है:

(i) प्रबंधन का सामान्य स्वरूप जनहित के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए ।

(ii) व्यावसायिक प्रतिष्ठा, स्वामित्व संरचना, अनुपालन/अभिशासन मानक, शिकायत निवारण तंत्र और लंबित मुकदमे।

(iii) वित्तीय सुदृढ़ता और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता।

(iv) अनुबंधित अवधि में ग्राहकों की प्रस्तावित गतिविधि का समर्थन करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधकीय संसाधन।

(v) सूचना सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रण, लेखा परीक्षा कवरेज, निगरानी और रिपोर्टिंग वातावरण और कारोबार निरंतरता प्रबंधन।

(बी) सहमति के आधार पर किसी व्यक्ति की क्रेडिट जानकारी को किसी संस्था के साथ साझा करते समय सीआईसी उस इकाई से यह सुनिश्चित करेंगे कि:

(i) संस्था, व्यक्ति के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अपनी क्षमता में, सीआईआर का उपयोग केवल सीमित अंतिम उपयोग के लिए करेगी, जैसा कि उनके बीच सहमति हुई है और सहमत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी का उपयोग अथवा बिक्री अथवा पुनः विक्रय अथवा जानकारी पास नहीं करेगी या सीआईआर प्राप्ति में खुद को शामिल नहीं करेगी। "व्यक्तिगत सहमति" का अर्थ है किसी भी दस्तावेजी माध्यम से व्यक्ति की पूर्व लिखित सहमति, जिसे समय-समय पर सत्यापन योग्य इलेक्ट्रॉनिक अथवा भौतिक रिकॉर्ड के रूप में संग्रहीत किया जाता है और जो प्रकृति में स्थायी होता है।

(ii) इन संस्थाओं के साथ सीआईसी द्वारा साझा की गई क्रेडिट जानकारी केवल छह महीने की सीमित समय अवधि के लिए संग्रहीत की जाती है, अथवा ऐसे समय तक क्रेडिट जानकारी को उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए रखने की आवश्यकता होती है जिसके लिए इसका आशय था, अथवा यदि कोई

व्यक्ति ऐसी क्रेडिट जानकारी को संग्रहीत करने के लिए अपनी सहमति वापस ले लेता है, इनमें से जो भी पहले हो, तत्पश्चात संग्रहीत ऋण जानकारी डिलीट कर दी जाएगी। यदि संस्थाओं द्वारा प्राप्त की गई ऐसी ऋण जानकारी प्राप्ति का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, तो इन संस्थाओं को ऊपर बताए अनुसार छह महीने की अवधि से परे ऋण जानकारी को बनाए रखने के लिए संबंधित व्यक्ति से पुनः सहमति लेने की आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक उपरोक्त अनुपालन की जांच करेगा।

(iii) सीआईसीआरए, 2005 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन कर किसी अन्य तृतीय पक्ष जिसमें इसकी किसी भी समूह कंपनी, अनुषंगी, सहायक अथवा सहयोगी कंपनी शामिल हैं के द्वारा अथवा उनके अतिरिक्त अन्य द्वारा इसका कोई अनधिकृत उपयोग नहीं किया जाता है।

(iv) ऐसी जानकारी अपने कर्मचारियों या एजेंटों के साथ केवल 'जानने की आवश्यकता आधार पर' साझा की जाती है, जबकि यह सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त जानकारी तक एक्सेस वाले ऐसे कर्मचारी या एजेंट गोपनीयता के दायित्व के अधीन हैं।

(v) क्रेडीट जानकारी की प्राप्ति को किसी भी अनधिकृत पहुंच अथवा उपयोग के विरुद्ध ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से विधिवत संरक्षित किया जाता है, जिससे इकाई और व्यक्ति के बीच सहमति के अनुसार किए गए खुलासों को छोड़कर सभी लेन-देन की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(vi) प्राप्त क्रेडिट की सूचना को भारत में संसाधित और संग्रहीत किया जाएगा तथा भारत के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(सी) सूचना प्रणाली (आईएस) लेखा परीक्षा के संबंध में -

(i) सीआईसी अपने समझौते में एक खंड शामिल करेंगे कि इकाई द्वारा नियुक्त सीआईएसए प्रमाणित लेखा परीक्षक उन संस्थाओं का आईएस ऑडिट करेगा जिनके साथ सीआईसी ने वैयक्तिक सहमति के आधार पर क्रेडिट की जानकारी साझा करने के लिए समझौता किया है और इस संबंध में आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्ट सीआईसी को प्रस्तुत की जाएगी। ऐसी लेखापरीक्षा वार्षिक रूप से अथवा यदि आवश्यक हो तो उससे भी पहले की जाएगी।

(ii) आईएस ऑडिट अथवा नियुक्त आईएस लेखापरीक्षक का दायरा यह सुनिश्चित करना होगा कि संस्थाएं सीआईसीआरए, 2005 की धारा 19, 20 और 22 तथा सीआईसी नियम, 2006 के नियम 18(बी), 23, 28 और 29 का पालन कर रही हैं तथा अनुमत उद्देश्यों के लिए क्रेडिट जानकारी का उपयोग कर रही हैं।

(iii) आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा सीआईसी के बोर्ड द्वारा की गई समीक्षा आरबीआई की पर्यवेक्षी टीम के साथ साझा की जाएगी।

(डी) सीआईसी इन संस्थाओं के साथ समझौता करते समय इन दिशानिर्देशों के प्रवर्तन के लिए अनुबंध/करार में उचित प्रावधान शामिल कर सकती हैं। संस्थाओं द्वारा करार के किसी भी खंड का उल्लंघन अथवा संस्थाओं के विरुद्ध आईएस लेखापरीक्षक की कोई प्रतिकूल टिप्पणी सीआईसी को

कठोर कार्रवाई शुरू करने के लिए बाध्य करेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ करार को समाप्त करना भी शामिल हो सकता है।

10. क्रेडिट सूचना रिपोर्ट में सुधार

(1) सीआई और सीआईसी क्रेडिट जानकारी के अध्यतन, परिवर्तन, विवादों के समाधान आदि के संबंध में सीआईसीआरए और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित समय अवधि का पालन करेंगे। इस संबंध में सीआईसी नियम, 2006 के नियम 20, 21, 25 और 26 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा से विचलन की निगरानी की जाएगी और ग्राहक सेवा पर बोर्ड/बोर्ड की समिति को प्रस्तुत की जाने वाली आवधिक रिपोर्ट/समीक्षाओं में इस पर टिप्पणी की जाएगी।

(2) सीआई और सीआईसी के पास सीआईआर में डेटा के सुधार के लिए ग्राहक अनुरोध प्राप्त करने की व्यवस्था होगी। उच्च डेटा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, सभी गलत डेटा को मूल रूप से डेटा प्रस्तुत करने वाले सीआई द्वारा स्रोत पर ही ठीक किया जाएगा। सीआईसी उधारकर्ता डेटा में तब तक कोई बदलाव नहीं करेगा जब तक कि डेटा प्रस्तुत करने वाले सीआई ने स्रोत पर इसे सुधार न लिया हो, ताकि सीआई द्वारा अगले प्रस्तुति चक्र में अद्यतन डेटा को गलत डेटा द्वारा अधिलेखन किए जाने की जोखिम को कम किया जा सके।

(3) सीआईसी सदस्य सीआई को फ्रंट-एंड इंटरफेस के द्वारा अपने डेटाबेस में खाता स्तर के अपडेट देखने के लिए एक विशेष 'व्यू' / 'रीड ओनली' एक्सेस प्रदान करेगा, जिससे सीआई खाता अपडेट / सुधार अनुरोधों की पुष्टि अथवा अपलोड करने में सक्षम हो सकें और सीआईआर में विसंगतियों का तेजी से समाधान भी कर सकें। ग्राहक सेवा के हित में सीआईसी एक पूर्ण ऑनलाइन डेटा सुधार तंत्र का परिचालन करेंगे।

(4) यदि सीआईआर में कोई सुधार किया जाता है, तो जिन्हें पिछले छह महीनों के दौरान रिपोर्ट जारी की गई थी ऐसे व्यक्तियों को सीआईसी सुधारित रिपोर्ट की एक निः शुल्क प्रति प्रदान करेगा । हालांकि, सीआईसी के सदस्य यदि गलत डेटा के लिए जिम्मेदार हैं तो सीआईआर की लागत उनके द्वारा वहन की जा सकती है।

11. क्रेडिट मूल्यांकन में क्रेडिट सूचना रिपोर्ट का उपयोग

(1) सीआई को अपनी क्रेडिट नीतियों/ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं में एक या अधिक सीआईसी से क्रेडिट सूचना रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रावधान शामिल करने चाहिए ताकि क्रेडिट संबंधी निर्णय प्रणाली में उपलब्ध क्रेडिट जानकारी पर आधारित हों।

(2) सीआईसी को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) अथवा सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क (एमएफआईएन)/स-धन के सहयोग से ऋणदाताओं के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए, जिससे ऋण मूल्यांकन में क्रेडिट सूचनाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और ऋण आवेदकों की बेहतर जांच की जा सके।

12. सीआई द्वारा सूचना प्रदर्शित करना[4]

सीआई, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अनुसार सुरक्षित ऋणदाता हैं, वह अपनी वेबसाइट पर उन उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना प्रदर्शित करेंगे, जिनकी सुरक्षित आस्तियों को सीआई ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत अनुबंध XI में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने कब्जे में ले लिया है। इस जानकारी सूची को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा।

13. विनियमन विभाग द्वारा जारी अन्य अनुदेशों की प्रयोज्यता

सीआई और सीआईसी निम्नलिखित निदेशों/परिपत्रों में निर्धारित क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग पर लागू अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे:

(1) दिनांक 21 अप्रैल, 2022 के मास्टर निदेश – क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – जारी और आचार संबन्धित निदेश, 2022, समय-समय पर यथासंशोधित।
(2) दिनांक 12 सितंबर, 2023 के मास्टर निदेश – वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन, निदेश, 2023, समय-समय पर यथासंशोधित।
(3) दिनांक 23 अगस्त, 2016 के मास्टर निदेश – स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, समय-समय पर संशोधित।
(4) दिनांक 21 सितंबर, 2023 के मास्टर निदेश – भारतीय रिजर्व बैंक (बासल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के लिए निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर विवेकपूर्ण विनियमन) निदेश, 2023, समय-समय पर संशोधित।
(5) दिनांक 02 सितंबर, 2022- डिजिटल उधर पर दिशानिर्देश, समय-समय पर यथासंशोधित।
(6) दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 समय-समय पर यथासंशोधित।
(7) मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण एक्स्पोज़र का हस्तांतरण) निदेश, 2021 दिनांक 24 सितंबर, 2021, समय-समय पर यथासंशोधित।
(8) दिनांक 26 मई, 2016 के मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सेवाएँ) निदेश, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित।
(9) दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 के मास्टर निदेश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017, समय-समय पर यथासंशोधित।

[4] इस संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: https://rbi.org.in/web/rbi/faq-page-2?ddm__keyword__26256231__FaqDetailPage2Title_en_US=Display%20of%20information%20-%20Secured%20assets%20possessed%20under%20the%20SARFAESI%20Act,%202002

अध्याय-IV: तकनीकी कार्य समूह

14. तकनीकी कार्य समूह पर अनुदेश

(1) डेटा प्रारूपों की समीक्षा और उनमें आवश्यक होने पर परिवर्तन करने के लिए एक निरंतर तंत्र को संस्थागत बनाने हेतु एक तकनीकी कार्य समूह (टीडब्ल्यूजी) का गठन किया जाएगा। टीडब्ल्यूजी निम्नलिखित कार्य होंगे:

(ए) एक वर्ष में कम से कम एक बार डेटा रिपोर्टिंग प्रारूपों की समीक्षा करें और इस संबंध में रिज़र्व बैंक को सिफारिशें, यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें।

(बी) सभी डेटा रिपोर्टिंग प्रारूपों अर्थात उपभोक्ता, वाणिज्यिक, सूक्ष्म वित्त (एमएफआई) खंडों के लिए डेटा फ़ील्ड पर नियम बनाएँ। आरबीआई को समूह द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के बाद डेटा प्रारूपों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(सी) ऋण सूचना के संग्रह और प्रसार से संबंधित कोई अन्य मामला, जिसे रिज़र्व बैंक समय-समय पर सौंप सकता है।

(2) टीडब्ल्यूजी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), अखिल भारतीय अधिसूचित वित्तीय संस्थान (एआईएफआई), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी), आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी), भारतीय बैंक संघ (आईबीए), सूक्ष्म वित्त इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआईएन), स-धन और सीआईसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(3) टीडब्ल्यूजी की बैठकें कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी। चारों सीआईसी नाम के वर्णानुक्रम में क्रमावर्ती (प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए) अनुसार टीडब्ल्यूजी के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।

15. टीडब्ल्यूजी का स्थायी उप-समूह

(1) टीडब्ल्यूजी का एक स्थायी उप-समूह सलाहकार और सहयोगी निकाय के रूप में कार्य करने के लिए गठित किया जाएगा जिससे विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि प्रदान की जा सके और क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग के तकनीकी पहलुओं पर सिफारिशें की जा सकें। इसका उद्देश्य ऋण जानकारी रिपोर्टिंग के संबंध में सीआई और सीआईसी द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में गहन चर्चाओं में सहयोग करना होगा। इसमें आईटी प्रणालियों में परिवर्तन सहित आवश्यक संशोधन शामिल हैं, जो डेटा रिपोर्टिंग प्रारूपों में आवश्यक हो सकते हैं। उप-समूह ऋण जानकारी रिपोर्टिंग पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु व्यापक टीडब्ल्यूजी का समर्थन करने के लिए कार्य करेगा।

(2) टीडब्ल्यूजी के उप-समूह में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ), जैसे एमएफआईएन तथा सा-धन, और सभी सीआईसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(3) उप-समूह के सदस्यों का चयन रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति से संयोजक द्वारा किया जाएगा। चर्चाओं की समग्र विशेषज्ञता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, उप-समूह के सदस्य अपनी बैठकों में विषयवस्तु के विशेषज्ञों को नामित करेंगे।

(4) क्रेडिट जानकारी रिपोर्टिंग मुद्दों पर चर्चा करने और संभावित समाधान तलाशने के लिए टीडब्ल्यूजी का उप-समूह कम से कम छमाही आधार पर बैठक करेगा।

(5) प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, सीआईसी जो किसी विशिष्ट वर्ष के लिए टीडब्ल्यूजी संयोजक की भूमिका निभाता है, वह उस विशेष कैलेंडर वर्ष में उप-समूह के संयोजक के रूप में भी कार्य करेगा।

(6) उचित तैयारी और सूचित चर्चा सुनिश्चित करने के लिए, संयोजक निर्धारित बैठक से कम से कम पंद्रह (15) दिन पहले बैठक का कार्यसूची और नोट्स भेजेगा। इसके अतिरिक्त, यदि सदस्य चर्चा के लिए कोई नया मुद्दा अथवा मद प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उन्हें चर्चा के बिंदुओं और प्रस्तावित समाधानों को रेखांकित करते हुए संयोजक को एक नोट भेजनी चाहिए।

(7) उप-समूह की चर्चाओं से निकलने वाले कार्य बिंदुओं में सीआईसी और सीआई द्वारा उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विशिष्ट समयसीमाएँ शामिल होंगी।

(8) टीडब्ल्यूजी के उप-समूह की सिफारिशें विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक को अवलोकन के लिए भेजी जाएंगी। यदि आवश्यक हो तो आरबीआई इन सिफारिशों पर टीडब्ल्यूजी की राय ले सकता है

अध्याय-V: ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण

16. सीआईसी और सीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को सुदृढ़ बनाना

सीआईसी और सीआईसी द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण प्रणाली और ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए सीआई और सीआईसी द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे।

(1) सीआईआर एक्सेस की सूचना और सीआईसी के साथ क्रेडिट जानकारी को अद्यतन करना

(ए) जब एसयू द्वारा ग्राहकों के सीआईआर एक्सेस किया जाएगा तो जिन ग्राहकों के मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी विवरण उपलब्ध हैं सीआईसी उन्हें एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेंगे। सीआईसी द्वारा अलर्ट केवल तभी भेजे जाएंगे जब सीआईआर पूछताछ ग्राहक के सीआईआर में दिखाई देगी।

(बी) सीआई मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में चूक/बकाया दिनों (डीपीडी) के बारे में सीआईसी को जानकारी प्रस्तुत करते समय जिन ग्राहकों के मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी विवरण उपलब्ध हैं उन्हें एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेंगे।

(सी) एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजने में सक्षम बनाने के लिए, सीआई द्वारा सीआईसी को क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग के लिए समान ऋण रिपोर्टिंग प्रारूप को संशोधित किया गया है, जो अनुबंध XII (मद 1) में उल्लिखित है ।

(डी) सीआई को सूचित किया जाता है कि वह अपने ग्राहकों को उनके मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी जमा करने के लाभों के बारे में जागरूक करने हेतु विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करें।

(2) सीआई द्वारा नोडल बिन्दु/अधिकारी की स्थापना

(ए) सीआई के पास ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए सीआईसी के संपर्क हेतु एक समर्पित नोडल बिन्दु/ अधिकारिक होगा। ईमेल आईडी और टेलीफोन/मोबाइल नंबर के साथ नोडल बिन्दु/अधिकारी का विवरण सीआई द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(बी) सीआई नोडल बिन्दु/अधिकारिक में किसी भी परिवर्तन के बारे में सीआईसी को ऐसे परिवर्तन के पांच (5) कैलेंडर दिनों के भीतर सूचित करेंगे।

(3) सीआई द्वारा डेटा सुधार के अनुरोधों को अस्वीकार का कारण

(ए) सीआई द्वारा ग्राहकों को डेटा सुधार करने के उनके अनुरोधों को अस्वीकार का कारण, यदि कोई है, तो उसके बारे में सूचित किया जाएगा, जिससे इस प्रकार के ग्राहक सीआईआर में मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे।

(बी) सभी सीआई को सीआईसी द्वारा अनुरोधों को अस्वीकार करने के कारणों की सूची परिचालित की जाएगी। सीआई शिकायत निवारण प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों/सीआईसी द्वारा किए गए डेटा सुधार के अनुरोधों की अस्वीकृति के बारे में सूचित करते समय इसका उपयोग करेंगे।

(4) सीआई द्वारा शिकायतों के मूल कारण विश्लेषण

(ए) सीआई द्वारा कम-से-कम छमाही आधार पर ग्राहक शिकायतों के मूल कारण का विश्लेषण (आरसीए) किया जाएगा। सीआई द्वारा अन्य के साथ सीआईसी द्वारा अस्वीकृत किए गए आंकड़ों की जानकारी और सीआईसी द्वारा उपलब्ध कराए गए डीक्यूआई को भी आरसीए के लिए सूचना स्रोत के रूप में उपयोग किया जाएगा।

(बी) सीआई के शीर्ष प्रबंधन द्वारा आरसीए विश्लेषण की समीक्षा कम-से-कम वार्षिक आधार पर की जाएगी।

(5) **सीआईसी द्वारा मैच लॉजिक एल्गोरिथ्म की आवधिक समीक्षा**

(ए) सीआईसी के पास उधारकर्ता को सीआईआर प्रदान करने हेतु उनके द्वारा कार्यान्वित की गई 'सर्च और मैच (खोज एवं मिलान)' तर्क आधारित एल्गोरिथम की आवधिक समीक्षा (कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर) करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी।

(बी) सीआईसी में शिकायतों का मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) करने की प्रणाली उपलब्ध होगी। सीआईसी द्वारा निपटान की गई शिकायतों के मूल कारण विश्लेषण का उपयोग विद्यमान 'सर्च और मैच (खोज एवं मिलान)' तर्क आधारित एल्गोरिथम में मुद्दों की पहचान करने के लिए किया जाएगा।

(सी) आरसीए के परिणाम तथा सर्च और मैच (खोज एवं मिलान) तर्क में बाद में परिवर्तनों को समीक्षा के लिए सीआईसी के निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) सीआईसी द्वारा क्रेडिट की सूचना डेटा का अंतर्ग्रहण

(ए) सीआईसी को अपने आंकडे स्वीकृति नियमों के अनुसार सीआई से प्राप्त क्रेडिट की सूचना डेटा को सीआई से प्राप्त होने के पांच (5) कैलेंडर दिवसों में अपने डेटाबेस में अंतर्निहित करना चाहिए।

(बी) डेटा अस्वीकृत होने पर, सीआईसी द्वारा संबंधित सीआई को डेटा की प्राप्ति के सात (7) कैलेंडर दिवसों में, कारणों सहित डेटा की अस्वीकृति के बारे में सूचित किया जाएगा।

(7) सीआईसी द्वारा क्रेडिट की सूचना रिपोर्टिंग की शिकायतों का प्रकटीकरण

सीआईसी अनुबंध XII (सारणी 1 और 2) में दिए गए फार्मेट के अनुसार अपने और सीआई के विरुद्ध दर्ज शिकायतों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर प्रकट करेंगे।

17. क्रेडिट की जानकारी का विलंब से अद्यतनीकरण/सुधार हेतु ग्राहकों को क्षतिपूर्ति के लिए ढांचा

क्रेडिट सूचना का विलंब से अद्यतनीकरण /सुधार करने के लिए सीआईसी और सीआई को निम्नलिखित क्षतिपूर्ति तंत्र लागू करने का निर्देश दिया जाता है:

(1) यदि शिकायतकर्ता द्वारा सीआई/सीआईसी के पास प्रारंभिक शिकायत दर्ज करने की तारीख से तीस (30) कैलेंडर दिवसों के भीतर शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है तो शिकायतकर्ता ₹100 प्रति कैलेंडर दिवस के क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे।

स्पष्टीकरण:

(ए) सीआईसीआरए, 2005 की धारा 21(3) में प्रावधान किया गया है कि कोई भी शिकायतकर्ता सीआईसी या सीआई को उचित सुधार, परिवर्धन अथवा अन्य द्वारा क्रेडिट सूचना अद्यतन करने के लिए मांग कर सकता है और ऐसे अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर सीआई अथवा सीआईसी द्वारा इसके प्राप्त होने के तीस (30) दिनों के भीतर क्रेडिट की सूचना अद्यतन करने हेतु कदम उठाएंगे।

(बी) सीआईसी नियम, 2006 के नियम 20 (3) (सी) में सीआई ऋण सूचना के संशोधित विवरण को सीआईसी अथवा शिकायतकर्ता को उस तारीख से 21 दिनों की अवधि के भीतर भेजेगा जब सीआई को क्रेडिट सूचना में गलती के बारे में सूचित किया गया था।

(सी) सीआईसीआरए, 2005 की धारा 21 (3) और सीआईसी नियम, 2006 के नियम 20 (3) (सी) के साथ पठित सीआई और सीआईसी को सामूहिक रूप से शिकायत के समाधान/निपटान के लिए तीस (30) दिन की कुल सीमा दी गई है। वस्तुत: इसका आशय यह होगा कि सीआई को 21 दिन प्रदान किए है और सीआईसी को शिकायत के पूर्ण समाधान के लिए प्रभावी रूप से शेष नौ (9) दिन प्रदान किए गए है।

(2) यदि सीआई, शिकायतकर्ता या सीआईसी द्वारा सूचित किए जाने के इक्कीस (21) कैलेंडर दिनों के भीतर उचित सुधार अथवा परिवर्धन अथवा अन्य द्वारा सीआईसी को अद्यतन क्रेडिट सूचना भेजने में विफल हो जाता है तो सीआई द्वारा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा।

(3) यदि सीआईसी, शिकायतकर्ता अथवा सीआई द्वारा सूचित किए जाने के तीस (30) कैलेंडर दिनों के भीतर शिकायत का समाधान नहीं हो जाता, तो सीआईसी द्वारा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा, यद्यपि सीआई ने शिकायतकर्ता अथवा सीआई द्वारा सूचित किए जाने के इक्कीस (21) कैलेंडर दिनों के भीतर सीआईसी को अद्यतन क्रेडिट की सूचना प्रदान की गई हो।

(4) शिकायतकर्ता को सीआई/सीआईसी द्वारा सभी मामलों में शिकायतकर्ता की शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाएगा, जिसमें वह मामले भी शामिल हैं जिसमें शिकायत अस्वीकृत कर दी गई है। अस्वीकृति के मामलों में, इसके कारण भी सीआई और सीआईसी द्वारा दिए जाएंगे।

(5) सीआईसी / सीआई द्वारा शिकायतकर्ता को प्रदान की जानेवाली क्षतिपूर्ति (शिकायत दर्ज करने के तीस (30) कैलेंडर दिनों से अधिक के विलंबित समाधान के लिए) संबंधित सीआई/सीआईसी के बीच आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाएगा। इनके सोदाहरण अनुबंध XIII में दिए गए हैं।

(6) जहां व्यथा/शिकायत में एक से अधिक सीआई द्वारा प्रदान की गई त्रुटिपूर्ण क्रेडिट की जानकारी शामिल है तो शिकायतकर्ता द्वारा संबंधित सीआईसी में शिकायत दर्ज की जाएगी। सीआईसी द्वारा सभी संबंधित सीआई के साथ समन्वय किया जाएगा और शिकायतकर्ता को शिकायत का व्यापक समाधान प्रेषित किया जाएगा।

(7) जहां सीआईसी द्वारा शिकायत प्राप्त और उसे दर्ज किया गया है और शिकायत के समाधान में विलंब हुआ है, तो सीआईसी द्वारा अंतिम समाधान के बाद संबंधित सीआई और शिकायतकर्ता को कुल विलंब (कैलेंडर दिनों में) और सीआई (एस) और/अथवा सीआईसी द्वारा भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि के बारे में सूचित किया जाएगा।

(8) जहां सीआई द्वारा शिकायत प्राप्त और उसे दर्ज किया गया है और शिकायत के समाधान में विलंब हुआ है, तो सीआई द्वारा अंतिम समाधान के बाद संबंधित सीआईसी(एस) और शिकायतकर्ता को कुल विलंब (कैलेंडर दिनों में) और सीआई और/अथवा सीआईसी द्वारा भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि के बारे में सूचित किया जाएगा।

(9) शिकायत के समाधान की तारीख वह तारीख होगी जब सीआईसी अथवा सीआई की ओर से शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किए गए डाक पते अथवा ईमेल आईडी पर संशोधित सीआईआर भेजा गया है।

(10) सीआईसी / सीआई द्वारा शिकायतकर्ता के क्षतिपूर्ति की राशि के लिए अपनी शिकायत जमा करने के प्रारूप (ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों) में संपर्क विवरण, ईमेल आईडी और बैंक खाता विवरण/एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) आईडी का उचित प्रावधान किया जाए। सटीक विवरण प्रदान करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता की होगी और शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए सीआई/सीआईसी जिम्मेदार नहीं होगा।

(11) शिकायत के समाधान के पांच (5) कार्य दिवसों के भीतर क्षतिपूर्ति की राशि शिकायतकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

(12) सीआई या सीआईसी द्वारा क्षतिपूर्ति के दोषपूर्ण अस्वीकार करने के मामले में शिकायतकर्ता रिजर्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के ओम्बड्समैन से संपर्क कर सकता है।

(13) सीआई द्वारा क्षतिपूर्ति को दोषपूर्ण तरीके से अस्वीकार किए जाने, जिसे अभी तक रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, के मामले में शिकायतकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण कक्ष (सीईपीसी) से संपर्क कर सकता है।

(14) क्षतिपूर्ति ढांचा निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा।:

(ए) जिन विवादों के लिए सीआईसीआरए, 2005 की धारा 18 के तहत उपाय प्रदान किया गया है। सीआईसीआरए, 2005 की धारा 18 में प्रावधान है कि क्रेडिट सूचना के व्यवसाय से संबंधित मामलों में सीआईसी, सीआई, उधारकर्ताओं और ग्राहकों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के लिए और जिनके लिए सीआईसीआरए, 2005 के तहत कोई उपाय प्रदान नहीं किया गया है, ऐसे विवादों का निपटारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में किए गए उल्लेख के अनुसार विवाचन अथवा समझौते द्वारा किया जाएगा।

(बी) (i) आंतरिक प्रशासन, (ii) मानव संसाधन, (iii) कर्मचारियों के वेतन एवं परिलब्धियां और (iv) सीआईसी/सीआई के सुझावों और वाणिज्यिक निर्णयों की प्रकृति से संबंधित शिकायतें/संदर्भ।

(सी) क्रेडिट स्कोर/क्रेडिट स्कोर मॉडल की गणना के संबंध में विवादों/शिकायतों से संबंधित शिकायतें

(डी) शिकायतें जिन पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, न्यायालयों, न्यायाधिकरणों आदि जैसे अन्य मंचों द्वारा निर्णय दिया गया हो अथवा पहले से ही लंबित हैं।

18. विविध अनुदेश

सीआईसी, शिकायतकर्ता द्वारा मांगे जाने पर, उसकी शिकायत के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण सीआई के साथ किए गए प्रासंगिक पत्राचार/अनुवर्ती कार्रवाई और सीआई से प्राप्त जवाब, शिकायतकर्ता के साथ साझा करेगा। इससे न केवल शिकायतकर्ता की शिकायत पर नज़र रखने में मदद मिलेगी, बल्कि शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।

19. रिज़र्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना 2021

रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (आरबीआईओएस, 2021) के अंतर्गत आने वाले सीआईसी और सीआई उक्त योजना के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे।

20. आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति

आंतरिक ओम्बड्समैन ढांचे के अंतर्गत आने वाले सीआईसी और सीआई दिनांक 29 दिसंबर 2023 (समय-समय पर संशोधित) के मास्टर निदेश-भारतीय रिजर्व बैंक (आंतरिक ओम्बड्समैन) निदेश, 2023 द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

अध्याय– VI: सीआई और सीआईसी के लिए सर्वोत्तम प्रथाएँ

21. सीआई के लिए सर्वोत्तम प्रथाएँ

(1) सीआई (एआरसी के अतिरिक्त) अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से सीआईसीआरए के अंतर्गत अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार करते समय अथवा उनकी समीक्षा करते समय अनुबंध XIV में दी गई विस्तृत सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखेंगे।

(2) एआरसी, दिनांक 10 अक्तूबर 2024 के समय-समय पर यथा संशोधित, एआरसी द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को जानकारी प्रस्तुत करने संबंधी जारी किए गए परिपत्र के निर्देशों का पालन करेंगे।

22. सीआईसी के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं

सीआईसी अनुबंध XV में दी गई विस्तृत सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखेंगे और अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए प्रणाली स्थापित करेंगे। ऐसी नीति उनकी वेबसाइटों पर प्रदर्शित की जाएगी।

अध्याय – VII: निरसन प्रावधान और व्याख्या

23. इन निदेशों के लागू होने के साथ, रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुबंध XVI में उल्लिखित परिपत्रों में निहित निर्देश/दिशानिर्देश निरस्त हो जाते हैं।

24. उपरोक्त परिपत्रों के अंतर्गत दिए गए सभी अनुमोदन/स्वीकृतियाँ इन निर्देशों के तहत दी गई मानी जाएगी।

25. सभी निरस्त परिपत्रों को इन निदेशों के प्रभाव में आने से पहले लागू माना जाएगा।

26. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यदि आवश्यक समझा जाता है, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के कोई भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम तथा सभी संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होगी। इन निदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सीआईसीआरए, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम अथवा निर्देशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनकी अवमानना नहीं की जाएगी।

अनुबंध – I: भा.रि.बैं. में पंजीकृत सीआईसी की सूची

क्र. सं.	भा.रि.बैं. में पंजीकृत सीआईसी की सूची	पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि
1.	सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इन्फार्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	नवंबर 25, 2010
2.	एक्विफेक्स क्रेडिट इन्फार्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	मार्च 26, 2010
3.	एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फार्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	फरवरी 17, 2010
4.	ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड	मार्च 05, 2012

अनुबंध -2: सीआईसी विनियमों के विनियम-3 के खंड (जे) के अंतर्गत एसयू में वर्गीकृत की जाने वाली संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड

1. इकाई भारत में निगमित कंपनी अथवा भारत में स्थापित सांविधिक निगम होगी।

2. सांविधिक निगम के शासी संविधि या कंपनी के संगम ज्ञापन, जैसा भी मामला हो, को क्रेडिट संस्थानों के समर्थन या लाभ के लिए सूचना के प्रसंस्करण के कारोबार /गतिविधि की अनुमति दी जानी चाहिए।

3. कंपनी के मामले में, नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार कुल संपत्ति दो करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए और इस आवश्यकता की निरंतर आधार पर पूर्ति की जाएगी।

4. किसी कंपनी के मामले में, इसका स्वामित्व तथा नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों/निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली भारतीय कंपनी[5] द्वारा किया जाएगा।.

5. कंपनी का स्वामित्व बेहतर तरीके से विविधीकृत[5] [6] होगा।

6. किसी कंपनी के मामले में, उसे क्रेडिट संस्थानों के समर्थन अथवा लाभ की सूचना प्रसंस्करण के कारोबार का /गतिविधि संचालित करने का कम-से-कम तीन (3) वर्षों का अनुभव होना चाहिए और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।

7. कंपनी, न ही इसके प्रवर्तक, या कंपनी के किसी भी निदेशक को अतीत में नैतिक अधमता अथवा आर्थिक अपराध से जुड़े किसी भी जुर्म के लिए दोषी नहीं होना चाहिए।

8. संस्था के पास प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा विनियमों और इस संबंध में किसी भी अन्य लागू विनियमों, दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार क्रेडिट सूचना से संबंधित डेटा को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए मजबूत और सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली उपलब्ध होने का सीआईएसए प्रमाणित लेखा परीक्षक का प्रमाणन होना चाहिए।

---

[5] व्यापारिक प्राप्य-राशि भुनाई प्रणाली (ट्रेड्स) प्लेटफार्म परिचालन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत संस्थाओं को पात्रता मानदंड के खंड 4 और 5 का पालन करने से छूट दी गई है।

[6] हालांकि, यह शर्त केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र अथवा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा शेयर रखने अथवा वोटिंग के अधिकार पर लागू नहीं होगी।

.

उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाली संस्थाएं एसयू के रूप में सीआईसी की सदस्यता प्राप्त करने के लिए साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को आवेदन कर सकती हैं।

पात्रता मानदंड का स्पष्टीकरण

(ए) पात्रता मानदंड में निर्धारित स्वामित्व और नियंत्रण आवश्यकताएं फेमा, 1999 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार होंगी।

(बी) सीआईसी द्वारा अपने सदस्यता संविदा/एसयू के करार में उपयुक्त खंड शामिल किया जाएगा कि जब भी एसयू के स्वामित्व में परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना सीआईसी को तुरंत दी जाएगी और अधिकतम 30 दिनों के भीतर दी जाएगी।

(सी) किसी इकाई को बेहतर रूप से विविधीकृत माना जाने के लिए, प्रवर्तक समूह और गैर-प्रवर्तक शेयरधारकों की शेयरधारिता इकाई की चुकता वोटिंग इक्विटी शेयर पूंजी के क्रमशः 26 और 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। 26 प्रतिशत शेयरधारिता सीमा की गणना में सभी प्रवर्तकों, प्रवर्तक समूह और उनके रिश्तेदारों [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत परिभाषित] की कुल हिस्सेदारी शामिल होगी। 'प्रवर्तक' और 'प्रवर्तक समूह' शब्दों का वही अर्थ होगा जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 और भा.रि.बै. के 5 दिसंबर 2019 के 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के मांग के अनुसार प्राप्य (ऑन टैप) लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश', जिसे क्रमशः समय-समय पर संशोधित किया गया है, में परिभाषित किया गया है।

(डी) 'बेहतर विविधिकृत' मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली और एसयू के रूप में सीआईसी की सदस्यता प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाएं, रिजर्व बैंक द्वारा पात्रता मानदंड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष के भीतर उपरोक्त मानदंडों का अनुपालन करेंगी। सीआईसी, तथापि, इकाई द्वारा विलयन पथ प्राप्त करने के लिए एक कम अवधि निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ई) एसयू द्वारा की गई पूछताछ मृदु पूछताछ की प्रकृति की होगी और पूछताछ को व्यक्ति की साख सूचना रिपोर्ट में एसयू से नहीं जोड़ा जाएगा।

(एफ) निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (क्रेडिट संस्थानों सहित) के साथ क्रेडिट जानकारी साझा करना सीआईसीआरए की धारा 17 (4) और सीआईसी विनियम, 2006 के विनियम 9 का उल्लंघन है। सीआईसी द्वारा अपने सभी निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं को सूचित किया जाएगा कि वे अधिनियम (सीआईसीआरए) के अंतर्गत प्राप्त क्रेडिट जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें।

अनुबंध -III: सीआईसी विनियमनों के विनियम 3 के खंड (जे) के अंतर्गत एसयू बनने के लिए पात्र संस्थाओं के साथ सदस्यता करार करते समय सीआईसी द्वारा पालन किए जाने वाले परिचालन संबंधी दिशानिर्देश

साख सूचना कंपनियां (सीआईसी) प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी विनियमन, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के विनियम 3 के खंड (जे) के अंतर्गत एसयू के साथ सदस्यता करार करते समय अन्य बातों के साथ अनुबंध/करार में निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल किया जाएगा:

1. एसयू द्वारा सीआईसीआरए, 2005 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा समय-समय पर भा.रि.बैं. द्वारा जारी निर्देशों के तहत निर्धारित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2. एसयू को अपनी सूचना प्रणाली (आईएस) का अर्धवार्षिक आधार पर सीआईएसए प्रमाणित लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा करवानी होगी और इसकी रिपोर्ट सीआईसी को प्रस्तुत करनी होगी। आईएस लेखापरीक्षा का दायरा या नियुक्त किए गए आईएस लेखापरीक्षक की भूमिका एसयू द्वारा सीआईसीआरए, सीआईसी नियमों, सीआईसी विनियमों (समय-समय पर संशोधित) और भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के सुसंगत प्रावधानों के अनुपालन की जांच करना होगा। आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्ट और इसकी सीआईसी द्वारा की गई समीक्षा, भा.रि.बैं. की पर्यवेक्षी टीम के साथ साझा की जाएगी।

3. भारत में एसयू द्वारा क्रेडिट सूचना संसाधित और संग्रहीत की जाएगी।

4. एसयू, सीआईसी से प्राप्त क्रेडिट सूचना को केवल छह महीने की सीमित अवधि के लिए अथवा जब तक क्रेडिट सूचना के उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए बनाए रखने की आवश्यकता है जो भी पहले हो, संग्रहीत किया जाएगा और उसके बाद संग्रहीत क्रेडिट सूचना डिलीट कर दी जाएगी।

5. एसयू द्वारा शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसे अपनी वेबसाइट पर अधिकारियों के संपर्क विवरण के साथ-साथ वृद्धि (एस्केलेशन) मैट्रिक्स (स्थानीय भाषा और/अथवा अंग्रेजी में) के साथ प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

अनुबंध - IV: समान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप

फॉर्म 1: समान क्रेडिट रिपोर्टिंग फ़ॉर्मेट (उपभोक्ता)

खंड				**कार्य क्षेत्र**			
शीर्ष	रिपोर्टिंग सदस्य / प्रोसेसर यूजर आईडी	रिपोर्टिंग सदस्य / प्रोसेसर संक्षिप्त नाम	आवर्तन अभिनिर्धारण	रिपोर्ट की गई तिथि और प्रमाणित	रिपोर्टिंग पासवर्ड	प्रमाणीकरण पद्धति	सदस्य डेटा
नाम	उपभोक्ता का नाम	जन्म तिथि	लिंग				
आईडी	आईडी प्रकार	आईडी नंबर	जारी करने की तिथि	समाप्त होने की तिथि			
टेलिफोन	टेलिफोन नंबर	टेलिफोन विस्तार	टेलीफोन का प्रकार				
ईमेल	ई-मेल आईडी						
पता	उपभोक्ता का पता	राज्य कोड	पिन कोड	पता श्रेणी	निवास कोड		
खाता	वर्तमान /नए रिपोर्टिंग सदस्य का कोड	विद्यमान /नए सदस्य का संक्षिप्त नाम	चालू/नया खाता नंबर	खाते का प्रकार	स्वामित्व संकेतक	खोलने की तिथि/संवितरित	अंतिम भुगतान की तिथि
बंद करने की तिथि	रिपोर्ट और प्रमाणित की गई तारीख	उच्च क्रेडिट/ स्वीकृत राशि	वर्तमान शेष	अतिदेय राशि	दिनों की संख्या पिछला बकाया	पुरानी रिपोर्टिंग सदस्य कोड	
पुराने सदस्य का संक्षिप्त नाम	पुराना खाता संख्या	पुराने खाते का प्रकार	पुराना स्वामित्व संकेतक	मुकदमा दायर / इरादतन चूक	क्रेडिट सुविधा की स्थिति	आस्ति वर्गीकरण	
संपार्श्विक का मूल्य	संपार्श्विक का प्रकार	ऋण सीमा	नकद सीमा	ब्याज दर	चुकौती अवधि	ईएमआई राशि	
बट्टे खाते में डाली गई राशि (कुल)	बट्टे खाते में डाली गई राशि (मूलधन)	निपटान राशि	भुगतान आवृत्ति	वास्तविक भुगतान राशि	कारोबार कोड	आय	
निवल/कुल आय संकेतक	मासिक/वार्षिक आय संकेतक						

नोट: निम्नलिखित सूची मूल्यों को सम्मिलित करने के लिए उपभोक्ता रिपोर्टिंग प्रारूप के रिपोर्टिंग क्षेत्र:

कार्य क्षेत्र	**टिप्पणियाँ**
खाते का प्रकार	अतिरिक्त सूची मूल्यों का समावेशः • अल्पकालिक वैयक्तिक ऋण • प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र - स्वर्ण ऋण • अस्थायी ओवरड्राफ्ट (उक्त खाते में ऋण शेष को देखते हुए सीआई द्वारा परवर्ती महीनों में इसकी सूचना नहीं दिए जाने पर सीआईसी द्वारा खाते को बंद माना जाएं)
क्रेडिट सुविधा की स्थिति	अतिरिक्त सूची मूल्यों को सम्मिलित करनाः • कोविड-19 के कारण पुनर्गठित किया गया • बट्टे खाते डालने के बाद बंद किया गया • पुनर्गठित और बंद किया गया • नीलामी की गई और निपटाया गया • पुन:प्राप्त और निपटान किया गया • गारंटी लागू की गई
स्वामित्व संकेतक	अतिरिक्त सूची मूल्य सम्मिलित करना: • मृतक
संपार्श्विक का प्रकार	अतिरिक्त मूल्य सम्मिलित करना: • एकाधिक प्रतिभूतियां और अन्य
आईडी प्रकार	अतिरिक्त सूची मूल्य सम्मिलित करना: • नरेगा कार्ड संख्या • सीकेवाईसी
भुगतान आवृत्ति	अतिरिक्त सूची मूल्य सम्मिलित करना: • बुलेट भुगतान • दैनिक • अर्धवार्षिक • वार्षिक • मांग पर
पता श्रेणी	अतिरिक्त सूची मूल्य सम्मिलित करना: • बंधक संपत्ति का पता
उच्च क्रेडिट/स्वीकृत राशि	रिपोर्टिंग कार्य क्षेत्र अनिवार्य होना चाहिए

फार्म 2: समान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप (वाणिज्यिक)

खंड	**कार्य क्षेत्र**						
शीर्ष	सदस्य आईडी	पिछला सदस्य आईडी	सृजन की तिथि और इनपुट फ़ाइल का प्रमाणन	रिपोर्टिंग/आवर्तन तिथि	सूचना का प्रकार	फिलर/भराव	
उधारकर्ता	सदस्य शाखा कोड	पिछला सदस्य शाखा कोड	उधारकर्ता का नाम	उधारकर्ता का संक्षिप्त नाम	कंपनी पंजीकरण संख्या	निगमन की तिथि	
पीएएन	सीआईएन	टीआईएन	सेवा कर संख्या	उद्यम पंजीकरण संख्या	उधारकर्ता का विधिक गठन	कारोबार श्रेणी	
कारोबार /उद्योग का प्रकार	गतिविधि की श्रेणी 1	गतिविधि की श्रेणी 2	गतिविधि की श्रेणी 3	एसआईसी कूट	बिक्री का आंकड़ा	वित्तीय वर्ष	
कार्मिकों की संख्या	क्रेडिट रेटिंग	मूल्यांकन एजेंसी / प्राधिकारी	तक क्रेडिट रेटिंग	क्रेडिट रेटिंग समाप्ति तिथि	फिलर/भराव		
पता	उधारकर्ता का कार्यालय स्थान प्रकार	उधारकर्ता का कार्यालय डीयूएनएस संख्या	पता पंक्ति 1	पता पंक्ति 2	पता पंक्ति 3	शहर/नगर	जिला
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिन कोड	देश	मोबाइल नंबर	टेलीफोन एरिया कोड	टेलीफोन नंबर	फैक्स एरिया कोड	
ई-मेल पता	फिलर/भराव						
संबंध	संबंध डीयूएनएस संख्या	संबंधित प्रकार	संबंध	कारोबार निकाय का नाम	कारोबार श्रेणी	कारोबार /उद्योग प्रकार	व्यक्तिगत नाम प्रीफिक्स
पूरा नाम	लिंग	कंपनी पंजीकरण संख्या	निगमन की तिथि	जन्म तिथि	पीएएन	मतदाता पहचान	
पासपोर्ट नंबर	ड्राइविंग लाइसेंस आईडी	यूआईडी	राशन कार्ड नं	सीआईएन	डीआईएन	टीआईएन	
सेवा कर संख्या	सीकेवाईसी	नियंत्रण का प्रतिशत	पता पंक्ति 1	पता पंक्ति 2	पता पंक्ति 3	शहर/कस्बा	
जिला	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पिन कोड	देश	मोबाइल नंबर	टेलीफोन नंबर	टेलीफोन एरिया कोड	
फैक्स नंबर	फैक्स एरिया कोड	फिलर/भराव					

खंड				**कार्य क्षेत्र**			
क्रेडिट सुविधा	खाता संख्या	पिछला खाता संख्या	सुविधा/ऋण एक्टिवेशन (सक्रियण) /स्वीकृति तिथि	संविदा की स्वीकृत राशि / अनुमानित राशि	मुद्रा कोड	क्रेडिट का प्रकार	अवधि/संविदा की भारित औसत परिपक्वता अवधि
चुकौती आवृत्ति	आहरण शक्ति	वर्तमान शेष राशि /उपयोग की गई सीमा /मार्क टू मार्केट	बकाया पुनर्संरचित संविदा की अनुमानित राशि	ऋण की समाप्ति / परिपक्वता तिथि	ऋण नवीनीकरण तिथि	आस्ति वर्गीकरण / अतिदेय दिन (डीपीडी)	
आस्ति वर्गीकरण तिथि	अतिदेय राशि / अतिदेय सीमा	अतिदेय बकेट 01 (1 – 30 दिन)	अतिदेय बकेट 02 (31 – 60 दिन)	अतिदेय बकेट 03 (61 – 90 दिन)	अतिदेय बकेट 04 (91 – 180 दिन)	अतिदेय बकेट 05 (180 दिनों से अधिक)	
उच्च क्रेडिट	किश्त की राशि	अंतिम चुकौती राशि	खाते की स्थिति	खाते की स्थिति तिथि	बट्टे खाते में डाली गई राशि	निपटान की गई राशि	
पुनर्गठन के प्रमुख कारण[7]	एनपीए के रूप में वर्गीकृत अनुबंधों की राशि	संपत्ति आधारित सुरक्षा कवरेज	गारंटी कवरेज	बैंक टिप्पणी कोड	इरादतन चूककर्ता स्थिति	इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत तिथि	
वाद दाखिल की स्थिति	वाद संदर्भ संख्या	वाद राशि रू में	वाद तिथि	विवाद आईडी नं	लेन-देन प्रकार कोड	अन्य बीके	
यूएफसीईई (राशि)				यूएफसीईई तिथि			
गारंटीकर्ता	गारंटीकर्ता का डीयूएनएस	गारंटीकर्ता का प्रकार	कारोबार श्रेणी	कारोबार / उद्योग का प्रकार	गारंटर इकाई का नाम	व्यक्तिगत नाम प्रीफिक्स	पूरा नाम
लिंग	कंपनी पंजीकरण संख्या	निगमन की तिथि	जन्म तिथि	पीएएन	मतदाता आईडी	पासपोर्ट नंबर	

[7] यह क्षेत्र यह समझने में मदद करेगा कि क्या उधारकर्ता के ऋण का पुनर्गठन बाहरी/अप्रासंगिक कारकों जैसेकि बाहरी वातावरण, अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी आदि, अथवा कंपनी/उधारकर्ता के विशिष्ट समस्याओं जैसे कि प्रबंधन में बदलाव, प्रवर्तकों के प्रदर्शन आदि के कारण था।

<table>
<tr><td>ड्राइविंग लाइसेंस आईडी</td><td colspan="2">यूआईडी</td><td colspan="2">राशन कार्ड नं</td><td colspan="2">सीआईएन</td><td colspan="2">डीआईएन</td><td>टीआईएन</td><td>सेवा कर संख्या</td></tr>
<tr><td>अन्य आईडी</td><td colspan="2">पता पंक्ति 1</td><td colspan="2">पता पंक्ति 2</td><td colspan="2">पता पंक्ति 3</td><td colspan="2">शहर/नगर</td><td>जिला</td><td>राज्य/संघ शासित क्षेत्र</td></tr>
<tr><td>पिन कोड</td><td colspan="2">देश</td><td colspan="2">मोबाइल नंबर</td><td colspan="2">टेलिफोन एरिया कोड</td><td colspan="2">टेलिफोन नंबर</td><td>फैक्स एरिया कोड</td><td>फैक्स नं</td></tr>
<tr><td colspan="11">गारंटी लागू करने की तिथि</td></tr>
<tr><td>प्रतिभूति</td><td colspan="2">प्रतिभूति मूल्य</td><td colspan="2">मुद्रा का प्रकार</td><td colspan="2">प्रतिभूति का प्रकार</td><td colspan="2">प्रतिभूति वर्गीकरण</td><td>मूल्यांकन तिथि</td><td>फिलर / भराव</td></tr>
<tr><td>चेक का अस्वीकरण</td><td>अस्वीकार करने की तिथि</td><td colspan="2">राशि</td><td colspan="2">लिखत/चेक नंबर</td><td colspan="2">कितनी बार अस्वीकार किया गया</td><td>चेक जारी करने की तिथि</td><td>अस्वीकार करने का कारण</td><td>फिलर / भराव</td></tr>
<tr><td colspan="2">फ़ाइल बंद करना</td><td colspan="4">उधारकर्ता खंडों की संख्या</td><td colspan="3">ऋण सुविधा खंडों की संख्या</td><td colspan="2">पूरक</td></tr>
</table>

नोट: वाणिज्यिक रिपोर्टिंग प्रारूप के रिपोर्टिंग फ़ील्ड में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित सूची मूल्य शामिल किए जाने चाहिए:

क्षेत्र का नाम	**अतिरिक्त सूची मूल्य**
खाते की स्थिति	अतिरिक्त सूची मूल्य का समावेश: • पुनर्गठित और बंद
क्रेडिट का प्रकार	अतिरिक्त सूची मूल्य का समावेश: • मुद्रा मियादी ऋण • मुद्रा कार्यशील पूंजी • अस्थायी ओवरड्राफ्ट (उक्त खाते में क्रेडिट शेष राशि को देखते हुए सीआई द्वारा परवर्ती महीनों में इसकी सूचना नहीं दिए जाने पर सीआईसी द्वारा खाते को बंद माना जाना चाहिए)
पुनर्गठन के प्रमुख कारण	अतिरिक्त सूची मूल्य का समावेश: • कोविड-19 के कारण पुनर्गठित
स्वीकृति तिथि	रिपोर्टिंग फील्ड अनिवार्य होनी चाहिए
स्थान का प्रकार	अतिरिक्त सूची मूल्य का समावेश • बंधक संपत्ति का पता
संबंध	अतिरिक्त सूची मूल्य का समावेश • कर्ता (एचयूएफ)
आस्ति वर्गीकरण / अतिदेय दिन	सूची मूल्यों को हटाना: • विशेष उल्लेख खाता • संदिग्ध
उधारकर्ता की विधिक प्रकृति	सूची मूल्यों को हटाना: • अवर्गीकृत
गतिविधि की श्रेणी	मूल सांख्यिकीय रिटर्न 1 और 2 के अनुसार रिपोर्ट किया जाना है

फॉर्म 3: एमएफआई के लिए समान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप (एसएचजी सहित)

इस दस्तावेज़ में सीआईसी को सूचित किए जाने वाले सूक्ष्म वित्त डेटा हेतु फ़ाइल प्रारूप का विवरण प्रदान किया गया है। इस प्रारूप में समूह, उपभोक्ता, खाता संरचना-कई समूह, कई उपभोक्ताओं के प्रत्येक समूह और क्रेडिट लेने पर प्रत्येक उपभोक्ता का एक खाता होता है, उसका अनुसरण किया गया है । यह संस्तुति की जाती है कि एसएचजी खातों और जेएलजी + व्यक्तिगत खातों के लिए सीआईसी के साथ एक अलग फाइल साझा की जाए। व्यक्तियों के नाम पर सभी सूक्ष्म वित्त ऋण जिनका प्रयोजन कोई भी हो, उन्हें इस प्रारूप में शामिल किया जाना चाहिए। डेटा में संबंधित अवधि के दौरान सभी सक्रिय ऋण खाते, सभी खाते जो इस अवधि के दौरान बंद हो गए थे और सभी खाते जो इस अवधि के दौरान खोले गए थे, सम्मिलित होने चाहिए। डेटा साझा आवृत्ति के बावजूद, डेटा साझा का प्रारूप समान रहता है।

(ए) इनपुट फाइल प्रारूप में खंड

निम्नलिखित सारणी भिन्न खंडों का वर्णन करती है जो डेटा इनपुट फ़ाइल प्रारूप बनाते हैं।

#	खंड	खंड टैग	विकल्प	आवृत्तियां	खंड विभाजक
1	शीर्ष	एचडीआर	आवश्यक	फाइल के लिए एक बार होता है	निश्चित लंबाई पृथक्करण
2	समूह खंड	जीआरपीसीआरडी	आवश्यक	पोर्टफोलियो में जितने समूह हैं, उतने ही बार होता है (केवल एसएचजी समूहों के लिए)	पृथक किया गया (¬ or ~ or Pipe "|")
3	सदस्य/ उपभोक्ता खंड	सीएनएससीआरडी	आवश्यक	पोर्टफोलियो में जितने ग्राहक हैं, उतनी ही बार होता है। एक समूह के अंतर्गत एकाधिक सदस्य मौजूद हैं	पृथक किया गया (¬ or ~ or Pipe "|")
4	पता खंड	एडीआरसीआरडी	आवश्यक	प्रत्येक उपभोक्ता के लिए एक अथवा अधिक	पृथक किया गया (¬ or ~ or Pipe "|")
5	लेखा खंड	एसीटीसीआरडी	आवश्यक	प्रत्येक खाते के लिए एक अथवा अधिक	पृथक किया गया (¬ or ~ or Pipe "|")
6	ट्रेलर	टीआरएल	आवश्यक	फाइल के लिए एक बार होता है	निश्चित विस्तार

नोट : ¬ यह ASCII चिह्न है 170.

(बी) शीर्ष खंड (एचडीआर)

शीर्ष (हेडर) रिकॉर्ड, डेटा प्रस्तुत करने वाली फ़ाइल का पहला खंड है। यह एक आवश्यक खंड है, प्रत्येक फ़ाइल के लिए केवल एक हेडर खंड की सूचना दी जाती है और इसे फ़ाइल की शुरुआत में सूचित किया जाता है। इसमें सदस्य संस्थान और रिपोर्टिंग तिथि की पहचान करने के लिए आवश्यक जानकारी होती है। यह एक निश्चित विस्तार का खंड है।

#	खंड का नाम	विकल्प	प्रकार	विस्तार	विवरण
1	खंड पहचानकर्ता	आवश्यक	एएन	3	हेडर सेगमेंट की पहचान करने के लिए मान "HDR" होना चाहिए.
2	प्रस्तुत की जानेवाली फाइल का नाम	आवश्यक	एएन	5	प्रस्तुत की जाने वाली फाइल का नाम शामिल है, जैसे "एचएमएमएफआई" जो सीआरआईएफ हाई मार्क सूक्ष्म वित्त इनपुट फाइल को इंगित करता है।
3	लेआउट संस्करण संख्या	आवश्यक	एएन	3	इनपुट फ़ाइल स्वरूप संस्करण संख्या इंगित करता है. मान "3.2" शामिल है
4	प्रस्तुत करनेवाले का सदस्य आईडी	आवश्यक	एएन	10	सीआईसी द्वारा सदस्य संस्थान को आबंटित की गई अद्वितीय सदस्य आईडी होनी चाहिए।
5	प्रस्तुत करनेवाले सदस्य का नाम	आवश्यक	एएन	30	फ़ाइल प्रस्तुत करने वाले सदस्य संस्थान का नाम होना चाहिए
6	प्रस्तुत करनेवाली शाखा का आईडी	आवश्यकता होने पर विद्यमान	एएन	30	विकेन्द्रीकृत डेटा प्रस्तुतीकरण के लिए संस्था की शाखा को सीआरआईएफ हाई मार्क द्वारा दी गई विशिष्ट शाखा आईडी। इसे रिक्त छोड़ा जा सकता है, यदि रिक्त है तो 30 रिक्त स्थान जोड़े जा सकते हैं।
7	रिपोर्ट करने की तिथि	आवश्यक	डी	8	दिनांक "जिसके रूप में" डेटा सीआईसी को प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि फ़ाइल में अभिलेख भिन्न तिथियों को अद्यतन किए जाते हैं, तो नवीनतम दिनांक का उल्लेख करें। DDMMYYYY प्रारूप में मान्य कैलेंडर दिनांक
8	फ़ाइल सृजन तिथि/ निष्कर्षण (निकालने) की तिथि	आवश्यक	डी	8	वह तिथि जब फाइल बनाई गई जो रिपोर्ट की गई तिथि के खंड में तारीख के समान अथवा उसके बाद की होनी चाहिए। DDMMYYYY प्रारूप में मान्य कैलेंडर दिनांक उदाहरण के लिए, रिपोर्ट की गई तारीख 31 अगस्त 2007 है। यदि फ़ाइल 7 सितंबर,

					2007 को निकाली गई थी और 8 सितंबर, 2007 को सीआरआईएफ हाई मार्क को प्रस्तुत की गई थी, तो फ़ाइल सृजन की तारीख 7 सितंबर, 2007 अर्थात 07092007 होगी।
9	संगठन डेटा संरचना संकेतक	आवश्यक	एएन	3	इसमें संगठन का खाता या ग्राहक संरचना शामिल होती है। एसएचजी डेटा के लिए एसएचजी जेएलजी के लिए जेएलजी + व्यक्तिगत डेटा
10	पासवर्ड	आवश्यक	एएन	30	सदस्य संस्थान को सीआईसी द्वारा दिया गया एन्क्रिप्टेड पासवर्ड होना चाहिए
11	सिस्टम वेंडर पहचानकर्ता	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	एएन	30	वेंडर प्रणाली का उपयोग किए जाने की स्थिति में डेटा प्रस्तुत करते हुए सदस्य संस्थान के वेंडर की पहचान करने के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता पर की गई सहमति। आंतरिक रूप से विकसित प्रणाली के लिए, "आंतरिक" निर्दिष्ट करें। रिक्त छोड़ा जा सकता है, यदि रिक्त है तो 30 स्थान जोड़े।
12	वेंडर सिस्टम संस्करण पहचानकर्ता	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	एएन	10	वेंडर प्रणाली का उपयोग किए जाने की स्थिति में डेटा प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सिस्टम का संस्करण। आंतरिक रूप से विकसित प्रणाली के लिए "आंतरिक" निर्दिष्ट करें। रिक्त छोड़ा जा सकता है, यदि रिक्त है तो 10 रिक्त स्थान जोड़े।
13	भविष्य में उपयोग के लिए आरक्षित		एएन	20	भविष्य में उपयोग के लिए आरक्षित

(सी) समूह खंड (जीआरपीसीआरडी)

समूह खंड डेटा प्रस्तुतिकरण फ़ाइल में दूसरा खंड है। इसमें समूह की पहचान करने के लिए आवश्यक जानकारी (केवल एसएचजी के लिए) होती है। यह प्रति समूह एक बार होता है। प्रत्येक समूह के भीतर कई ग्राहक / सदस्य हो सकते हैं। यदि ऋण श्रेणी T04 अथवा T05 अथवा T06 अथवा T07 है तो यह एक आवश्यक खंड है ।

#	खंड का नाम	प्रकार	विस्तार	विकल्प	विवरण
1	खंड पहचानकर्ता	ए/एन	6	आवश्यक	सदस्य/उपभोक्ता खंड की पहचान करने के लिए "जीआरपीसीआरडी" मान होना चाहिए
2	समूह पहचानकर्ता	ए/एन	50	आवश्यक	विशिष्ट समूह पहचानकर्ता जिसका उपयोग सदस्य संस्था द्वारा समूह को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए किया जाता है.
3	समूह का नाम	ए/एन	200	आवश्यक	एसएचजी समूह का नाम
4	समूह ऋण खाता संख्या	ए/एन	30	आवश्यक	बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार समूह की ऋण खाता संख्या
5	संवितरित राशि (रू)	एन	9	आवश्यक	ऋण के लिए कुल संवितरित राशि (रुपयों में)
6	बकाया राशि (रू)	एन	9	आवश्यक	ऋण के लिए कुल बकाया मूलधन (रुपयों में)
7	खोलने की तिथि/संवितरित	डी	8	आवश्यक	वैध कैलेंडर दिनांक DDMMYYYY प्रारूप में
8	बंद करने की तिथि (यदि बंद किया गया)	डी	8	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	वैध कैलेंडर दिनांक DDMMYYYY प्रारूप में
9	अंतिम भुगतान की तिथि	डी	8	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	वैध कैलेंडर दिनांक DDMMYYYY प्रारूप में
10	किश्तों की संख्या	एन	3	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	संवितरण के समय किश्तों की मूल संख्या
11	चुकौती आवृत्ति	ए/एन	3	आवश्यक	गणना: F01- साप्ताहिक F02 - सप्ताह में दो बार F03 – मासिक F04- द्विमासिकी F05- तिमाही

					F06- अर्ध-वार्षिक F07- वार्षिक F08-एकल भुगतान ऋण (बुलेट/बलून) F10-अन्य
12	किश्त की राशि	एन	9	आवश्यक	ऋण के लिए किश्त राशि (रू.)
13	अतिदेय राशि (रुपये)	एन	9	आवश्यक	राशि जो भुगतान की तारीख से अधिक देय है
14	डीपीडी (अतिदेय दिन)	ए/एन	3	आवश्यक	गणना: 000 = 0 पिछले देय भुगतान (चालू खाता) के साथ सकारात्मक शेष 001 से 999 = पिछले देय दिनों की संख्या। यदि कोई खाता 999 दिनों से अधिक का है, तो 999 के रूप में चिह्नित करें XXX= इस महीने के लिए कोई भुगतान इतिहास उपलब्ध नहीं है।
15	ऋण चक्र आईडी	एन	3	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	समूह का नवीनीकरण चक्र संख्या
16	ऋण का प्रकार (मियादी अथवा नकद ऋण)	ए/एन	10	आवश्यक	C01-मियादी ऋण C02-नकद जमा
17	बट्टे खाते में डालने की राशि (रुपये)	एन	9	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	
18	बट्टे-खाते की तिथि (यदि बट्टे खाते डाला गया है)	डी	8	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	
19	बट्टे खाते में डालने का कारण (यदि बट्टे खाते डाला गया है)	ए/एन	20	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	गणना: X01- पहला भुगतान चूक X02-मृत्यु X03-इरादतन चूककर्ता स्थिति X04-वाद दाखिल किया गया, इरादतन चूककर्ता स्थिति X09-अनटैग X10 – लागू नहीं
20	समूह पत्राचार का पता	ए/एन	200	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	समूह पत्राचार का पता - पते के प्रमाण दस्तावेज के अनुसार (नंबर, गांव/नगर, लैंडमार्क, जिला)
21	राज्य कोड (समूह का पत्राचार का पता)	एन	2	यदि पता उपलब्ध कराया जाता है	कैटलॉग के अंतर्गत परिभाषित राज्य कोड होना चाहिए

22	पिन कोड (समूह का पत्राचार का पता)	एन	10	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	वैध 6 अंकों का पिन कोड
23	टेलीफ़ोन नंबर 1 प्रकार संकेतक	ए/एन	3	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	टेलीफोन/ संपर्क का विवरण ब्यौरा गणना: P01-निवास P02-कंपनी P03- मोबाइल P04-स्थायी P07-अन्य P08-अनटैग
24	समूह का टेलीफोन नंबर 1	ए/एन	15	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	समूह का टेलीफोन नंबर (संपर्क)
25	समूह का बैंक खाता - बैंक का नाम	ए/एन	50	आवश्यक	उस बैंक का नाम जहां समूह का बचत बैंक खाता है
26	समूह का बैंक खाता - शाखा का नाम	ए/एन	50	आवश्यक	आईएफएससी कोड (पसंदीदा) अथवा बैंक शाखा का नाम जहां समूह का बचत बैंक खाता है
27	समूह का बैंक खाता - खाता संख्या	ए/एन	35	आवश्यक	समूह के बचत बैंक खाते की खाता संख्या
28	समूह का बैंक खाता - खाता में शेष	एन	10	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	समूह के बचत बैंक खाते का खाता शेष (रुपयों में)
29	पहले सृजन की तिथि	डी	8	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	समूह गठन की तिथि
30	पहली लिंकेज तिथि	डी	8	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	समूह को पहली बार क्रेडिट के लिए जोड़ने की तिथि
31	समूह पहचानकर्ता (सरकारी)	ए/एन	30	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	सरकार के पास उपलब्ध समूह का पहचानकर्ता
32	सरकारी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है	ए/एन	20	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	U01- एनआरएलएम U02-एनयूएलएम U03-एसआरएलएम U04-एमईपीएमए U99-अन्य
33	एसएचपीआई/ एनजीओ पहचानकर्ता	ए/एन	30	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	एनजीओ/एसएचपीआई के लिए सदस्य संस्थान के पास दर्ज पहचानकर्ता

34	एसएचपीआई/ एनजीओ का नाम	ए/एन	100	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	समूह गठन में शामिल एनजीओ /एसएचपीआई का नाम
35	एसएचपीआई/ एनजीओ अधिकारी का नाम	ए/एन	100	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	समूह गठन/लिंकेज में शामिल एनजीओ/एसएचपीआई कार्मिकों का नाम
36	एसएचपीआई/ एनजीओ का पता (राज्य और पिन कोड सहित)	ए/एन	100	आवश्यकता होने पर उपलब्ध	समूह गठन में शामिल एनजीओ/एसएचपीआई का पता (स्ट्रीट/मार्ग, गांव/मुहल्ला, तालुका, जिला, राज्य, पिन कोड)

डी. सदस्य/उपभोक्ता खंड (सीएनएससीआरडी)

डेटा प्रस्तुति फ़ाइल में सदस्य/उपभोक्ता खंड तीसरा खंड है। इसमें ग्राहक की पहचान के लिए आवश्यक जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, पहचान संख्या जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार (यूआईडी), ड्राइविंग लाइसेंस आदि शामिल हैं। यह प्रति ग्राहक एक बार उपस्थित होता है। समूह ऋण के लिए, ग्राहक का आशय समूह के भीतर वैयक्तिक सदस्य है।

यह एक अच्छी प्रथा है कि वैयक्तिक सदस्य के प्रमुख जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, पता, पिता/पति अथवा पत्नी (spouse) का नाम, आयु, जन्म तिथि) को मानक केवाईसी पहचानकर्ताओं में से किसी एक से, अधिमानतः यूआईडी/आधार, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड अथवा मनरेगा जॉब कार्ड से प्राप्त किया जाए।

#	खंड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
1	खंड पहचानकर्ता	ए/एन	6	आवश्यक	सदस्य/उपभोक्ता वर्ग की पहचान करने के लिए "सीएनएससीआरडी" मान अवश्य होना चाहिए।
2	सदस्य पहचानकर्ता	ए/एन	35	आवश्यक	सदस्य संस्थान द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट ग्राहक पहचान संख्या।
3	शाखा पहचानकर्ता	ए/एन	30	आवश्यकता होने पर विद्यमान	सदस्य संस्थान का विशिष्ट शाखा कोड जहाँ ग्राहक मूल रूप से नामित था। यदि उपलब्ध न हो तो रिक्त छोड़ा जा सकता है।
4	केन्द्र/सेंटर पहचानकर्ता	ए/एन	30	आवश्यकता होने पर विद्यमान	सदस्य संस्थान का विशिष्ट शाखा कोड जहाँ ग्राहक मूल रूप से नामित था। यदि उपलब्ध न हो तो रिक्त छोड़ा जा सकता है।

5	समूह पहचानकर्ता	ए/एन	50	आवश्यकता होने पर विद्यमान	सदस्य संस्थान द्वारा उपयोग किया जाने वाला अद्वितीय समूह पहचानकर्ता जहाँ ग्राहक ने मूल रूप से नामांकन किया था। अथवा समूह का नाम यहाँ प्रदान किया जाना है। यदि दोनों मौजूद हैं, तो समूह आईडी^समूह का नाम (विभाजक के रूप में ^) यदि ऋण श्रेणी टी01 अथवा टी02 अथवा टी04 अथवा टी05 अथवा टी06 अथवा टी07 है तो यह एक आवश्यक खंड है।
6	सदस्य का नाम 1	ए/एन	100	आवश्यक	ग्राहक का नाम (प्रथम नाम)
7	सदस्य का नाम 2	ए/एन	50	आवश्यकता होने पर विद्यमान	ग्राहक का नाम (मध्य नाम)
8	सदस्य का नाम 3	ए/एन	50	आवश्यकता होने पर विद्यमान	ग्राहक का नाम (अंतिम नाम)
9	सदस्य का वैकल्पिक नाम	ए/एन	30	आवश्यकता होने पर विद्यमान	यदि ग्राहक का कोई 'उपनाम' अथवा विवाहपूर्व नाम दर्ज किया गया हो।
10	सदस्य जन्म तिथि	डी	8	आवश्यक	ग्राहक की जन्म तिथि। DDMMYYYY प्रारूप में वैध कैलेंडर तिथि। यदि आयु और वर्तमान आयु दर्ज की गई हो तो इसे रिक्त छोड़ा जा सकता है।
11	सदस्य की आयु	एन	3	आवश्यक	यदि जन्मतिथि के स्थान पर आयु अंकित की जाती है तो सदस्यता के समय अंकित आयु ही दर्ज की जाएगी। यदि जन्मतिथि दर्ज की गई है तो उसे रिक्त छोड़ा जा सकता है।
12	आज की तिथि के अनुसार सदस्य की आयु	डी	8	आवश्यक	वह तिथि जिस दिन आयु दर्ज की गई - वर्तमान आयु की पहचान के लिए। DDMMYYYY प्रारूप में मान्य कैलेंडर तिथि। यदि जन्मतिथि दर्ज की गई है तो उसे रिक्त छोड़ा जा सकता है।
13	सदस्य का जेंडर	ए/एन	1	आवश्यक	गणना: म - महिला पु – पुरुष तृ - तृतीय/ट्रांसजेंडर

14	वैवाहिक स्थिति	ए/एन	3	आवश्यकता होने पर विद्यमान	गणना: एम01 - विवाहित एम02 - विलग एम03- तलाकशुदा एम04 - विधवा एम05 - अविवाहित एम06 - अचिह्नित यदि उपलब्ध न हो तो रिक्त छोड़ा जा सकता है।
15	प्रमुख व्यक्ति का नाम *	ए/एन	100	आवश्यकता होने पर विद्यमान	**अभिभावक का नाम।** प्रमुख व्यक्ति/सदस्य के साथ रिश्ता /नामित व्यक्ति का विवरण भरना होगा।
16	प्रमुख व्यक्ति का संबंध	ए/एन	3	जब मुख्य व्यक्ति का नाम भरा जाता है तो आवश्यक होता है	गणना: के01 - पिता के02 - पति के03- माता के04 - पुत्र के05 - पुत्री के06- पत्नी के15 – अन्य
17	सदस्य संबंध का नाम 1*	ए/एन	100	आवश्यक	**रिश्तेदार का नाम।** प्रमुख व्यक्ति/सदस्य के साथ संबंध /नामित व्यक्ति का विवरण भरना होगा।
18	सदस्य संबंध प्रकार 1	ए/एन	3	सदस्य संबंध नाम 1 भरे जाने पर आवश्यक	गणना: के01 - पिता के**<u>02 - पति</u>** के03- माता के04 - पुत्र के05 - पुत्री के**<u>06- पत्नी</u>** के15 - अन्य
19	सदस्य संबंध नाम 2*	ए/एन	100	आवश्यकता होने पर विद्यमान	
20	सदस्य संबंध प्रकार 2	ए/एन	3	सदस्य संबंध नाम 2 भरे जाने पर आवश्यक	गणना: के**<u>01 - पिता</u>** के02 - पति के03- माता के04 - पुत्र के05 - पुत्री के06- पत्नी के15 – अन्य

21	सदस्य संबंध नाम 3*	ए/एन	100	आवश्यकता होने पर विद्यमान	
22	सदस्य संबंध प्रकार 3	ए/एन	3	सदस्य संबंध नाम 3 भरे जाने पर आवश्यक	गणना: के01 - पिता के02 - पति के03- माता के04 - पुत्र के05 - पुत्री के06- पत्नी के15 - अन्य
23	सदस्य संबंध नाम 4*	ए/एन	100	आवश्यकता होने पर विद्यमान	
24	सदस्य संबंध प्रकार 4	ए/एन	3	सदस्य संबंध नाम 4 भरे जाने पर आवश्यक	गणना: के01 - पिता के02 - पति के03- माता के04 - पुत्र के05 - पुत्री के06- पत्नी के15 - अन्य
25	नामित व्यक्ति का नाम *	ए/एन	100	आवश्यकता होने पर विद्यमान	बीमा प्रयोजनों के लिए नामित व्यक्ति यदि परिभाषित हो। प्रमुख व्यक्ति/सदस्य संबंध/नामिती विवरण भरना आवश्यक है।
26	नामित व्यक्ति का रिश्ता	ए/एन	3	नामित व्यक्ति का नाम भरे जाने पर आवश्यक	गणना: के01 - पिता के02 - पति के03- माता के04 - पुत्र के05 - पुत्री के06- पत्नी के15 - अन्य
27	नामित व्यक्ति की आयु	एन	3	नामित व्यक्ति का नाम भरे जाने पर आवश्यक	वर्षों में आज तक
28	मतदाता पहचान पत्र *	ए/एन	20	आवश्यकता होने पर विद्यमान	

29	यूआईडी *	ए/एन	40	आवश्यकता होने पर विद्यमान	आधार
30	पैन PAN*	ए/एन	15	आवश्यकता होने पर विद्यमान	
31	राशन कार्ड *	ए/एन	20	आवश्यकता होने पर विद्यमान	
32	सदस्य अन्य आईडी 1 प्रकार का विवरण	ए/एन	20	आवश्यकता होने पर विद्यमान	नरेगा आईडी के लिए आरक्षित। यदि नरेगा आईडी दर्ज की गई है, तो इस फ़ील्ड में "नरेगा" डालें। यदि सीकेवाईसी का मान उपलब्ध है, तो रिपोर्ट की जाने वाली "सीकेवाईसी" डालें।
33	सदस्य अन्य आईडी 1*	ए/एन	30	आवश्यकता होने पर विद्यमान	यदि नरेगा आईडी दर्ज की गई हो, तो पहचानकर्ता संख्या यहाँ दर्ज की जाएगी। सीकेवाईसी मान रिपोर्ट किया जाएगा।
34	सदस्य अन्य आईडी 2 प्रकार का विवरण	ए/एन	20	आवश्यकता होने पर विद्यमान	यदि कोई अन्य आईडी दर्ज की गई हो, तो ऐसी आईडी के बारे में जानकारी।
35	सदस्य अन्य आईडी 2*	ए/एन	30	आवश्यकता होने पर विद्यमान	यदि कोई अन्य आईडी दर्ज की गई हो, तो ऐसी आईडी के बारे में जानकारी।
36	अन्य आईडी 3 प्रकार	ए/एन	20	आवश्यकता होने पर विद्यमान	यदि कोई अन्य आईडी दर्ज की गई हो, तो ऐसी आईडी के बारे में जानकारी।
37	अन्य आईडी 3 मूल्य *	ए/एन	30	आवश्यकता होने पर विद्यमान	यदि कोई अन्य आईडी दर्ज की गई हो, तो ऐसी आईडी के बारे में जानकारी।
38	टेलीफोन नंबर 1 प्रकार संकेतक	ए/एन	3	आवश्यकता होने पर विद्यमान	टेलीफोन / संपर्क जानकारी विवरण गणना: पी01-निवास पी02-कंपनी पी03- मोबाइल पी04-स्थायी पी07-अन्य पी08-टैग नहीं किया गया (अनटैग)
39	सदस्य टेलीफोन नंबर 1	ए/एन	15	आवश्यक	

40	टेलीफोन नंबर 2 प्रकार संकेतक	ए/एन	3	आवश्यकता होने पर विद्यमान	गणना: पी01-निवास पी02-कंपनी पी03- मोबाइल पी04-स्थायी पी07-अन्य पी08- टैग नहीं किया गया (अनटैग)
41	सदस्य टेलीफोन नंबर 2	ए/एन	15	आवश्यकता होने पर विद्यमान	
42	सदस्य की शैक्षिक योग्यता	ए/एन	3	आवश्यक	ग्राहक की शैक्षिक योग्यता (वैयक्तिक सदस्य) गणना: वाई01: निरक्षर वाई02: 5वीं कक्षा उत्तीर्ण वाई03: 8वीं कक्षा उत्तीर्ण वाई04: 10वीं कक्षा उत्तीर्ण वाई05: 10वीं से ऊपर
43	आस्ति स्वामित्व सूचक/गरीबी सूचकांक	ए/एन	3	आवश्यकता होने पर विद्यमान	यदि ग्राहक के पास कोई आस्ति है, तो Y अंकित करें गणना: Y- हाँ N- नहीं यदि गरीबी सूचकांक उपलब्ध है, तो उसे सीधे उपलब्ध कराया जाना चाहिए। गरीबी सूचकांक (यदि सदस्य संस्थान द्वारा आंतरिक रूप से गणना की गई हो) अथवा संबंधित विवरण जैसे कि बीपीएल, आदि प्रदान करें।
44	आश्रितों की संख्या	एन	2	आवश्यकता होने पर विद्यमान	परिवार के आश्रित सदस्य
45	बैंक खाता - बैंक का नाम	ए/एन	50	आवश्यक	उस बैंक का नाम जहां ग्राहक का बचत बैंक खाता है।
46	बैंक खाता - शाखा का नाम	ए/एन	50	आवश्यक	आईएफएससी कोड (अधिमान्य) अथवा बैंक शाखा का नाम जहां ग्राहक का बचत बैंक खाता है।
47	बैंक खाता - खाता संख्या	ए/एन	35	आवश्यक	ग्राहक के बचत बैंक खाते की खाता संख्या।

48	व्यवसाय	ए/एन	50	आवश्यकता होने पर विद्यमान	ग्राहक का व्यवसाय/पेशा गणना: ज़ेड01- गृहिणी ज़ेड02- भूमिहीन मजदूर ज़ेड03- सीमांत किसान ज़ेड04- छोटे किसान ज़ेड05- गैर-कृषि ज़ेड06- अन्य
49	परिवार की कुल मासिक आय	एन	9	आवश्यक	रुपये में, कोई दशमलव नहीं। इस फ़ील्ड में डेटा की त्रुटिपूर्ण/गैर-प्रस्तुति करने पर रिकॉर्ड को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
50	मासिक पारिवारिक खर्च	एन	9	आवश्यक	रुपए में, कोई दशमलव नहीं।
51	सदस्य का धर्म	ए/एन	3	आवश्यकता होने पर विद्यमान	ग्राहक का धर्म गणना: आर01 - हिंदू आर02 - मुस्लिम आर03 - ईसाई आर04 - सिख आर05 - बौद्ध आर06 - जैन आर07 - बहाई आर08 - अन्य आर09 - धर्म नहीं दिया गया
52	सदस्य की जाति अथवा सामाजिक स्तर	ए/एन	30	आवश्यक	ग्राहक की जाति गणना: वी01 - एससी वी02 - एसटी वी03 - ओबीसी वी04 - एनटी/वीजे (विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजातियाँ) वी05 - सामान्य वी08 - अन्य वी09 - अनटैग्ड
53	सदस्य की भूमिका	ए/एन	3	आवश्यकता होने पर विद्यमान	समूह के भीतर ग्राहक की भूमिका के लिए संकेतक। गणना: एल01- नेता/अध्यक्ष/पदाधिकारी एल02- सहयोगी/सचिव

					एल03- सदस्य एल04- अनटैग्ड
54	केंद्र नेता संकेतक	ए/एन	1	आवश्यकता होने पर विद्यमान	क्या ग्राहक केंद्र का नेता है? गणना: Y- हाँ N- नहीं U- अनटैग्ड
55	सदस्य की स्थिति	ए/एन	3	आवश्यकता होने पर विद्यमान	समूह के अंतर्गत सदस्य की सहभागिता स्थिति के लिए संकेतक। गणना: डब्ल्यू01- सक्रिय (ऋण लेने वाला सदस्य) डब्ल्यू02- अप्रयुक्त/निष्क्रिय (गैर-ऋण लेने वाला सदस्य) डब्ल्यू03- बाहर निकल गया डब्ल्यू04- अनटैग

***** संबंधगत विवरण (मुख्य व्यक्ति का नाम, सदस्य संबंध नाम, नामित व्यक्ति का नाम) अथवा केवाईसी आईडी (मतदाता पहचान पत्र, यूआईडी/आधार, राशन कार्ड, पैन, अन्य आईडी) में से एक की आवश्यकता है। सूक्ष्म वित्त ग्राहकों के लिए, यूआईडी/आधार, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड नंबर और नरेगा आईडी सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले पहचानकर्ता हैं।

ई. पता खंड (एडीआरसीआरडी)

पता खंड डेटा प्रस्तुत फ़ाइल में चौथा खंड है। इसमें ग्राहक का पता - स्थायी और वर्तमान पते के साथ राज्य कोड और पिन कोड भी शामिल होता है। प्रत्येक सदस्य खंड के लिए एक पता खंड अनिवार्य है।

#	खंड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
56	खंड पहचानकर्ता	ए/एन	6	आवश्यक	पता खंड की पहचान करने के लिए "एडीआरसीआरडी" मान शामिल होना चाहिए।
57	सदस्य का स्थायी पता	ए/एन	200	आवश्यकता होने पर विद्यमान	ग्राहक का स्थायी पता- पता प्रमाण दस्तावेज़ के अनुसार
58	राज्य कोड (स्थायी पता)	एन	2	यदि स्थायी पता उपलब्ध कराया गया है तब आवश्यक	कैटालॉग के अंतर्गत परिभाषित राज्य कोड होना चाहिए।
59	पिन कोड (स्थायी पता)	एन	10	यदि स्थायी पता उपलब्ध कराया गया है तब आवश्यक	6 अंक का वैध पिन कोड
60	सदस्य का वर्तमान पता	ए/एन	200	आवश्यक	ग्राहक का वर्तमान अथवा संपर्क पता - यदि वह स्थायी पते पर नहीं रहता है। यदि केवल 1 पता उपलब्ध है, तो वर्तमान पते के समान ही जानकारी दें।
61	राज्य कोड (वर्तमान पता)	एन	2	आवश्यक	कैटालॉग के अंतर्गत परिभाषित राज्य कोड होना चाहिए।
62	पिन कोड (वर्तमान पता)	एन	10	आवश्यक	6 अंक का वैध पिन कोड
63	ई-मेल आईडी	ए/एन	30	आवश्यकता होने पर विद्यमान	

नोट: यह सूचित किया जाता है कि पता किसी एक केवाईसी पहचानकर्ता से ही प्राप्त करें।

एफ़. खाता खंड (एसीटीसीआरडी)

खाता खंड, डेटा प्रस्तुति फ़ाइल में पांचवां खंड है। इसमें खाते से संबंधित वित्तीय जानकारी जैसे खाता संख्या, ऋण उत्पाद का प्रकार, मूल और वर्तमान शर्तें तथा चुकौती संबंधी जानकारी शामिल होती है। एक ग्राहक खंड के लिए एक से अधिक खाता खंड मौजूद हो सकते हैं।

#	खंड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
64	खंड पहचानकर्ता	ए/एन	6	आवश्यक	खाता खंड की पहचान करने के लिए इसमें "एसीटीसीआरडी" मान शामिल होना चाहिए।
65	विशिष्ट खाता संदर्भ संख्या	ए/एन	35	आवश्यक	खाता संख्या बदलने पर भी यह खंड नहीं बदलेगा, इसमें ग्राहक आईडी हो सकती है। सूचना के दोहराव से बचने के लिए यह फ़ील्ड प्रत्येक प्रस्तुति के आधार पर सुसंगत होनी चाहिए। शाखा विभाजन अथवा शाखा संयोजन के मामले में, जहां ऋण की अवधि के दौरान खाता संख्या बदल जाता है, मूल ऋण खाता संख्या यहां दर्शाई जानी चाहिए।
66	खाता संख्या	ए/एन	35	आवश्यक	ऋण खाते का खाता संख्या। यदि ऋण की अवधि के दौरान कोई विभाजन अथवा शाखा संयोजन नहीं हुआ है तो यह पिछले खंड के समान ही होगा।
67	शाखा पहचानकर्ता	ए/एन	30	आवश्यकता होने पर विद्यमान	विशिष्ट शाखा कोड जहाँ वर्तमान में ऋण खाता है। यदि उपलब्ध न हो तो रिक्त छोड़ा जा सकता है।
68	केन्द्र/सेंटर पहचानकर्ता	ए/एन	30	आवश्यकता होने पर विद्यमान	वर्तमान में ऋण खाता जहाँ है, इसका विशिष्ट केंद्र कोड। यदि उपलब्ध नहीं है, तो इसे रिक्त छोड़ा जा सकता है।
69	ऋण देने वाला ऋण अधिकारी	ए/एन	30	आवश्यकता होने पर विद्यमान	ऋण देने वाले अधिकारी का कर्मचारी कोड यदि उपलब्ध नहीं है तो रिक्त छोड़ा जा सकता है।
70	खाता जानकारी की तिथि	डी	8	आवश्यक	वह दिनांक जिस दिन खाता अंतिम बार अद्यतन किया गया था। DDMMYYYY प्रारूप में मान्य कैलेंडर दिनांक।
71	ऋण श्रेणी[8]	ए/एन	3	आवश्यक	गणना: टी01- जेएलजी समूह टी02- जेएलजी वैयक्तिक

[8] जेएलजी-वैयक्तिक: जेएलजी ऋण जहां ऋण देने पर वैयक्तिक स्तर पर ट्रैक रखा जाता है; जेएलजी-समूह: जेएलजी ऋण जहां ऋण देने को समूह स्तर पर ट्रैक किया जाता है; वैयक्तिक: वैयक्तिक सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) ऋण (जेएलजी अथवा एसएचजी नहीं) - इस ऋण को या तो इस प्रारूप में अथवा उपभोक्ता डेटा प्रारूप में

					टी03 - वैयक्तिक टी04 - एसएचजी समूह टी05 - एसएचजी वैयक्तिक टी06 - एसएचजी समूह - सरकार टी07 - एसएचजी अंतर-समूह टी08 - अन्य
72	समूह पहचानकर्ता	ए/एन	50	आवश्यकता होने पर विद्यमान	यदि ऋण श्रेणी टी01 अथवा टी02 अथवा टी04 अथवा टी05 अथवा टी06 अथवा टी07 है तो फ़ील्ड आवश्यक है। यह सदस्य संस्थान द्वारा निर्दिष्ट अद्वितीय समूह कोड है। यहाँ समूह का नाम प्रदान किया जाना चाहिए। यदि दोनों मौजूद हैं, तो इसे "समूह आईडी^समूह नाम" के रूप में प्रदान करें।
73	ऋण चक्र-आईडी	ए/एन	30	आवश्यकता होने पर विद्यमान	सदस्य संस्थान के साथ ग्राहक का नवीनीकरण चक्र संख्या
74	ऋण का उद्देश्य	ए/एन	20	आवश्यक	ऋण का उद्देश्य
75	खाता स्थिति	ए/एन	3	आवश्यक	गणना: एस01 - ऋण जमा किया गया एस02 - ऋण स्वीकृत - अभी तक वितरित नहीं किया गया एस03 - ऋण अस्वीकृत एस04 - चालू एस05 - अतिदेय एस06 - बट्टे खाते में डाला गया एस07 - खाता बंद एस08- कोविड-19 के कारण पुनर्गठित एस09- पुनर्गठित और बंद एस10- निपटाए गए एस11- बट्टे खाते में डालने के बाद निपटारा एस12- बट्टे खाते में डालने के बाद बंद एस15 - रद्द
76	आवेदन तिथि	डी	8	आवश्यकता होने पर विद्यमान	वैध कैलेंडर तिथि DDMMYYYY प्रारूप में
77	स्वीकृत तिथि	डी	8	आवश्यकता होने पर विद्यमान	वैध कैलेंडर तिथि DDMMYYYY प्रारूप में

रिपोर्ट किया जाना चाहिए, लेकिन दोनों प्रारूपों में नहीं; एसएचजी वैयक्तिक: जहां ऋण की राशि को वैयक्तिक स्तर पर ट्रैक किया जा रहा है; एसएचजी - समूह: जहां ऋण राशि को केवल समूह स्तर पर ट्रैक किया जा रहा है; एसएचजी समूह सरकार: एसएचजी समूह के समान लेकिन सरकारी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ; एसएचजी-समूह-अंतर: समूह के समान, जो समूह के भीतर ऋण देने को शामिल करता है।

78	खुलने/ वितरित होने की तिथि	डी	8	आवश्यक	वैध कैलेंडर तिथि DDMMYYYY प्रारूप में
79	बंद होने की तिथि (यदि बंद हो)	डी	8	आवश्यकता होने पर विद्यमान	यदि खाते की स्थिति एस07 है तो यह आवश्यक है। वैध कैलेंडर तिथि DDMMYYYY प्रारूप में
80	अंतिम भुगतान की तिथि	डी	8	आवश्यकता होने पर विद्यमान	वैध कैलेंडर तिथि DDMMYYYY प्रारूप में
81	आवेदन हेतु राशि	एन	9	आवश्यकता होने पर विद्यमान	आवेदन में मांगी गई राशि
82	स्वीकृत ऋण राशि	एन	9	आवश्यक	कुल वितरित राशि (रुपये में) के अंतर्गत मूल्य के साथ दोहराया जा सकता है
83	कुल वितरित राशि (रुपये में)	एन	9	आवश्यक	वितरित राशि
84	किस्तों की संख्या	एन	3	आवश्यक	संवितरण के समय किस्तों की मूल संख्या इस खंड में त्रुटिपूर्ण/गैर-प्रस्तुत डेटा के कारण रिकॉर्ड अस्वीकृत हो जाएगा।
85	चुकौती आवृत्ति	ए/एन	3	आवश्यक	गणना: एफ़01- साप्ताहिक एफ़02 - द्विसाप्ताहिक एफ़03 - मासिक एफ़04- द्विमासिक एफ़05- तिमाही एफ़06- अर्धवार्षिक एफ़07- वार्षिक एफ़08- एकल भुगतान ऋण (बुलेट / बैलून) एफ़10- अन्य इस खंड में गलत/गैर-प्रस्तुत डेटा के कारण रिकॉर्ड अस्वीकृत हो जाएगा।
86	न्यूनतम देय राशि/किस्त राशि	एन	9	आवश्यक	ऋण के लिए किस्त राशि इस खंड में गलत/गैर-प्रस्तुत डेटा के कारण रिकॉर्ड अस्वीकृत हो जाएगा।
87	वर्तमान शेष (रुपये में)	एन	9	आवश्यक	ऋण पर केवल मूलधन अतिदेय
88	अतिदेय राशि (रुपये में)	एन	9	आवश्यक	भुगतान तिथि के बाद देय राशि

89	डीपीडी (देय तिथि से अधिक दिन)	ए/एन	3	आवश्यक	गणना: 000 = 0 भुगतान अतिदेय (चालू खाता) धनात्मक शेष के साथ। 001 से 999 = अतिदेय दिनों की संख्या। यदि कोई खाता 999 दिनों से अधिक है, तो उसे 999 के रूप में चिह्नित करें XXX = इस महीने के लिए कोई भुगतान इतिहास उपलब्ध नहीं है
90	बट्टे खाते में डाली गई राशि (रुपये में)	एन	9	आवश्यकता होने पर विद्यमान	यदि खाते की स्थिति एस06 है तो आवश्यक है
91	बट्टे खाते में डालने की तिथि (यदि बट्टे खाते में डाला हैं)	डी	8	आवश्यकता होने पर विद्यमान	यदि खाते की स्थिति एस06 है तो यह आवश्यक है। वैध कैलेंडर तिथि DDMMYYYY प्रारूप में
92	बट्टे खाते में डालने का कारण (यदि बट्टे खाते में डाला गया हो)	ए/एन	20	आवश्यकता होने पर विद्यमान	गणना : यदि खाता स्थिति एस06 है तो आवश्यक है एक्स01- पहला भुगतान चूक (डिफ़ॉल्ट) एक्स02- मृत्यु एक्स03- इरादतन चूककर्ता स्थिति एक्स04- वाद दाखिल, इरादतन चूककर्ता स्थिति एक्स09- अनटैग एक्स10 - लागू नहीं
93	आयोजित बैठकों की संख्या	एन	3	आवश्यकता होने पर विद्यमान	ऋण वितरण के बाद आयोजित केंद्र बैठकों की संख्या
94	बैठकों में अनुपस्थित की संख्या	एन	3	आवश्यकता होने पर विद्यमान	उपर्युक्त में से केंद्र बैठकों की संख्या जिसमें ग्राहक ने भाग नहीं लिया है
95	बीमा संकेतक	ए/एन	1	आवश्यकता होने पर विद्यमान	गणना: वाई- हाँ एन- नहीं
96	बीमा का प्रकार	ए/एन	3	आवश्यकता होने पर विद्यमान	गणना: एल01 - जीवन बीमा एल02 - क्रेडिट बीमा एल03 - स्वास्थ्य/चिकित्सा बीमा एल04 - आस्ति बीमा एल05 - देयता बीमा एल10 - अन्य
97	बीमित राशि/कवरेज	एन	10	आवश्यकता होने पर विद्यमान	बीमा के लिए बीमित राशि

98	सप्ताह में सहमत बैठक का दिन	ए/एन	3	आवश्यकता होने पर विद्यमान	गणना: सो - सोमवार मं - मंगलवार बु - बुधवार गु - गुरुवार शु - शुक्रवार श - शनिवार रवि - रविवार
99	दिन में सहमत बैठक समय	ए/एन	5	आवश्यकता होने पर विद्यमान	HH:MM प्रारूप में होना चाहिए
100	छद्म (डमी)	ए/एन	30	आवश्यकता होने पर विद्यमान	भविष्य में उपयोग के लिए आरक्षित

जी. ट्रेलर खंड (टीआरएल)

ट्रेलर रिकॉर्ड क्रेडिट रिपोर्टिंग फ़ाइल का अंतिम खंड है। यह एक आवश्यक खंड है, जो प्रति फ़ाइल केवल एक बार दिखाई देता है तथा फ़ाइल के अंत को इंगित करता है। यह एक निश्चित लंबाई वाला खंड है।

#	खंड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
1	खंड पहचानकर्ता	आवश्यक	an	3	ट्रेलर सेगमेंट की पहचान करने के लिए इसमें "टीआरएल" मान शामिल होना चाहिए।
2	लेआउट वर्जन संख्या	आवश्यक	an	3	इनपुट फ़ाइल प्रारूप वर्जन संख्या को इंगित करता है। इसमें "3.0" मान शामिल है
3	सदस्य आईडी प्रस्तुत करना	आवश्यक	an	10	इसमें सीआरआईएफ हाई मार्क द्वारा सदस्य संस्थान को सौंपी गई विशिष्ट सदस्य आईडी शामिल होनी चाहिए।
4	भविष्य में उपयोग के लिए आरक्षित		an	20	भविष्य में उपयोग के लिए आरक्षित

शब्दावली

संक्षेपाक्षर (टर्म)	विवरण
डी	तारीख
एन	संख्यात्मक डेटा
ए/एन	अक्षरांकीय

कैटलॉग

ए: राज्य

कोड	विवरण	कोड	विविरण
an	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	एलडी	लक्षद्वीप
एपी	आंध्र प्रदेश	एमएच	मध्य प्रदेश
एआर	अरुणाचल प्रदेश	एमएल	महाराष्ट्र
एएस	असम	एमएन	मणिपुर
बीआर	बिहार	एमपी	मेघालय
सीजी	चंडीगढ़	एमज़ेड	मिजोरम
सीएच	छत्तीसगढ	एनएल	नागालैंड
डीडी	दादरा और नगर हवेली	ओआर	उड़ीसा
डीएल	दिल्ली	पीबी	पंजाब
डीएन	दमन और दीव	पीवाई	पुदुचेरी
जीए	गोवा	आरजे	राजस्थान
जीजे	गुजरात	एसके	सिक्किम
एचपी	हरियाणा	टीएन	तमिलनाडु
एचआर	हिमाचल प्रदेश	टीआर	त्रिपुरा
जेएच	जम्मू और कश्मीर	टीएस	तेलंगाना राज्य
जेके	झारखंड	यूके (पूर्व में यूए)	उत्तराखंड
केए	कर्नाटक	यूपी	उत्तर प्रदेश
केएल	केरल	डबल्यूबी	पश्चिम बंगाल

नमूना संरचना

शीर्ष खंड

खंड पहचानकर्ता	एचडीआर
प्रस्तुत फ़ाइल का नाम	एचएमएमएफ़आई
लेआउट संस्करण संख्या	3.2
सदस्य आईडी प्रस्तुत करना	XXXXXXXXXX
प्रस्तुत करने वाले सदस्य का नाम	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

प्रस्तुत करने वाली शाखा का आईडी	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
रिपोर्ट की गई तिथि	31032016
फ़ाइल बनाने की तिथि/निकालने तिथि	12042016
संगठन सदस्य संरचना संकेतक	XXX
पासवर्ड	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
प्रणाली विक्रेता पहचानकर्ता	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
विक्रेता प्रणाली संस्करण पहचानकर्ता	XXXXXXXXXX
भविष्य में उपयोग के लिए आरक्षित	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ट्रेलर खंड

खंड पहचानकर्ता	टीआरएल
लेआउट वर्जन संख्या	3.0
प्रस्तुत करने वाले सदस्य का आईडी	XXXXXXXXXX
भविष्य में उपयोग के लिए आरक्षित	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

डेटा खंड

खंड पहचानकर्ता	ए/एन	सीएनएससीआरडी
सदस्य पहचानकर्ता	ए/एन	12345678
शाखा पहचानकर्ता	ए/एन	9003
केन्द्र/सेंटर पहचानकर्ता	ए/एन	039003
समूह पहचानकर्ता	ए/एन	039001^INDIRA एसएचजी
सदस्य का नाम 1	ए/एन	अनीता जयंत नाथ
सदस्य का नाम 2	ए/एन	
सदस्य का नाम 3	ए/एन	
वैकल्पिक सदस्य का नाम	ए/एन	
सदस्य जन्म तिथि	(DDMMYYYY)	01011975
सदस्य की आयु	एन	39
आज की तिथि के अनुसार सदस्य की आयु	(DDMMYYYY)	31012015
सदस्य लैगिक प्रकार	ए/एन	एफ़
वैवाहिक स्थिति	ए/एन	एम01
प्रमुख व्यक्ति का नाम	ए/एन	जयंत नाथ
प्रमुख व्यक्ति का संबंध	ए/एन	के02
सदस्य संबंध नाम 1	ए/एन	
सदस्य संबंध प्रकार1	ए/एन	
सदस्य संबंध नाम 2	ए/एन	

सदस्य संबंध प्रकार2	ए/एन	
सदस्य संबंध नाम 3	ए/एन	
सदस्य संबंध प्रकार3	ए/एन	
सदस्य संबंध नाम 4	ए/एन	
सदस्य संबंध प्रकार4	ए/एन	
नामित का नाम	ए/एन	जयंत नाथ
नामित से रिश्ता	ए/एन	के02
नामित की आयु	एन	
मतदाता पहचान पत्र	ए/एन	
यूआईडी	ए/एन	
पी**an** (पी**an**)	ए/एन	
राशन कार्ड	ए/एन	
सदस्य अन्य आईडी 1 प्रकार विवरण	ए/एन	मतदाता पहचान पत्र
सदस्य अन्य आईडी1	ए/एन	मूल्य 1
सदस्य अन्य आईडी 2 प्रकार विवरण	ए/एन	
सदस्य अन्य आईडी 2	ए/एन	
अन्य आईडी 3 प्रकार	ए/एन	
अन्य आईडी 3 मूल्य	ए/एन	
टेलीफोन नंबर 1 प्रकार संकेतक	ए/एन	पी03
सदस्य टेलीफोन नंबर 1	ए/एन	8754698XXX
टेलीफोन नंबर 2 प्रकार संकेतक	ए/एन	
सदस्य टेलीफोन नंबर 2	ए/एन	
सदस्य की शैक्षिक योग्यता	ए/एन	
आस्ति स्वामित्व संकेतक/ गरीबी सूचकांक	ए/एन	
आश्रितों की संख्या	एन	2
बैंक खाता - बैंक का नाम	ए/एन	
बैंक खाता - शाखा का नाम	ए/एन	
बैंक खाता - खाता संख्या	ए/एन	
व्यवसाय (पेशा)	ए/एन	
परिवार की कुल मासिक आय	एन	
मासिक पारिवारिक खर्च	एन	
सदस्य का धर्म	ए/एन	आर08
सदस्य की जाति	ए/एन	
सदस्य की भूमिका	ए/एन	एल01
केंद्र लीडर संकेतक	ए/एन	Y
सदस्य की स्थिति	ए/एन	डब्ल्यू01
खंड पहचानकर्ता	ए/एन	एडीआरसीआरडी

सदस्य का स्थायी पता	ए/एन	लेंग पार्ट, लेंग, राजगांगपुर, सुंदरगढ़
राज्य कोड (स्थायी पता)	एन	ओआर
पिन कोड (स्थायी पता)	एन	770017
सदस्य का वर्तमान पता	ए/एन	लेंग पार्ट, लेंग, राजगांगपुर, सुंदरगढ़
राज्य कोड (वर्तमान पता)	एन	ओआर
पिन कोड (वर्तमान पता)	एन	770017
पता	ए/एन	
खंड पहचानकर्ता	ए/एन	एसीटीसीसीआरडी
विशिष्ट खाता संदर्भ संख्या	ए/एन	039000012
खाता संख्या	ए/एन	123456
शाखा पहचानकर्ता	ए/एन	9003
केन्द्र/सेंटर पहचानकर्ता	ए/एन	039003
ऋण की शुरुआत करने वाले ऋण अधिकारी का नाम	ए/एन	एबीसी एक्सवाईज़ेड
खाता जानकारी की तिथि	डी (DDMMYYYY)	03102015
ऋण श्रेणी	ए/एन	टी04
समूह पहचानकर्ता	ए/एन	039001^इन्दिरा एसएचजी
ऋण चक्र-आईडी	ए/एन	1
ऋण का उद्देश्य	ए/एन	एसईए
खाते की स्थिति	ए/एन	एस04
आवेदन की तिथि	(DDMMYYYY)	04022014
स्वीकृत तिथि	(DDMMYYYY)	28022014
खुलने/वितरित होने की तिथि	(DDMMYYYY)	28022014
बंद होने की तिथि (यदि बंद हो)	(DDMMYYYY)	
अंतिम भुगतान की तिथि	(DDMMYYYY)	08032016
आवेदन की गई राशि	एन	15000
स्वीकृत ऋण राशि	एन	15000
कुल वितरित राशि (रुपये में)	एन	15000
किस्तों की संख्या	एन	24
चुकौती आवृत्ति	ए/एन	एफ़03
न्यूनतम देय राशि/किस्त राशि	एन	808
वर्तमान शेष राशि (रुपये में)	एन	4599
अतिदेय राशि (रुपये में)	एन	0
डीपीडी (देय तिथि से अधिक दिन)	ए/एन	0
बट्टे खाते में डाली गई राशि (रुपये में)	एन	
बट्टे खाते में डालने की तिथि (यदि बट्टे खाते में डाला है)	(DDMMYYYY)	
बट्टे खाते में डालने का कारण (यदि बट्टे खाते में डाला है)	ए/एन	
आयोजित बैठकों की संख्या	एन	45

बैठकों में शामिल नहीं (missed) की संख्या	एन	22
बीमा संकेतक	ए/एन	
बीमा का प्रकार	ए/एन	
बीमित राशि/कवरेज	एन	
सप्ताह में सहमत बैठक का दिन	ए/एन	
बैठक में सहमत दिन का समय	ए/एन	
छद्म (डमी)	ए/एन	

अनुबंध - V: यूसीआरएफ में ऋण सूचना की रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश

समान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप (यूसीआरएफ़) में सीआईसी को ऋण सूचना रिपोर्ट करते समय, सीआई और सीआईसी को निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा:

(i) वाणिज्यिक रिपोर्टिंग खंड में, कंपनी के निदेशकों की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) और ऋण इतिहास (डीआईएन संख्या के आधार पर) को सीआई द्वारा सीआईसी को रिपोर्ट किया जाएगा और सीआईसी द्वारा अपनी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

(ii) सीआई उन मामलों की रिपोर्ट करेंगे जहां समझौता निपटान हुआ है और ऐसे समझौता निपटान का कारण भी निर्धारित डेटा प्रारूप में सीआईसी को रिपोर्ट करेंगे।

(iii) आंशिक किस्त के अतिदेय होने के संबंध में, सीआई को यथास्थिति डेटा प्रस्तुत करना होगा, जबकि राशि और अवधि के आधार पर कौन से फिल्टर लागू करने हैं, इस पर गुणात्मक जानकारी एसयू और अन्य द्वारा दी जाएगी, जो डेटा का उपयोग करते हैं।

(iv) सीआई केवल ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों को दर्शाने के लिए 'निपटान' स्थिति का उपयोग करेंगे, जहां ग्राहक को मूल नियमों और शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान करने में वित्तीय असमर्थता होने पर, मूलधन या ब्याज में छूट या दोनों प्रदान की गई हो। ऐसे ग्राहकों को नया ऋण देने से पहले सीआई को ऐसी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। गलत नामे या विवादित शुल्क के मामलों को 'निपटान' के रूप में नहीं बल्कि 'विवादित' के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

(v) कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) की जानकारी ऐसे बैंक द्वारा सीआईसी को पाक्षिक आधार पर दी जाएगी, जिसे विशेष सीपी निर्गम के लिए जारीकर्ता एवं भुगतान एजेंट (आईपीए) के रूप में नामित किया गया है। यदि किसी एकल सीपी निर्गम के लिए अनेक आईपीए हैं, तो ऐसे निर्गम के प्रत्येक आईपीए को निर्गम के उस हिस्से से संबंधित विवरण की रिपोर्ट सीआईसी को देनी होगी जो उनके पास है। यह जानकारी वाणिज्यिक डेटा प्रारूप के खंड(फील्ड) में रिपोर्ट की जाएगी जैसा कि इस अनुबंध के **परिशिष्ट-1** में उल्लिखित किया गया है। आईपीए को संबंधित सीपी निर्गम के मोचन में हुई किसी भी चूक की जानकारी सीआईसी को देनी होगी। आईपीए की रिपोर्टिंग आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि निवेश करने वाले सीआई को सीपी की जानकारी सीआईसी को देने की आवश्यकता नहीं है।

(vi) वैयक्तिक उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीई) के बारे में जानकारी, ऋणदात्री बैंक (एकल ऋणदाताओं के मामले में)/संघीय प्रमुख (संघीय व्यवस्था के मामले में)/सबसे बड़े ऋणदाता (एकाधिक ऋण व्यवस्था के मामले में) द्वारा सीआईसी को पाक्षिक आधार पर रिपोर्ट की जाएगी।

(vii) सीआईसी को ऋण सूचना प्रस्तुत करने के लिए डेटा प्रारूप की सिफारिश करने हेतु गठित समिति (अध्यक्ष: श्री आदित्य पुरी) ने अपनी **रिपोर्ट**[9] में, रिपोर्ट के **अनुबंध 5** में डेटा प्रारूप में शामिल करने के लिए कुछ अतिरिक्त खंड(फील्ड) की सिफारिश की थी। सीआईसी, उपभोक्ता डेटा प्रारूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संकेतक खंड(फील्ड) को छोड़कर, रिपोर्ट के **अनुबंध 5** में निहित अतिरिक्त खंड(फील्ड) को शामिल कर सकते हैं। वाहनों के लिए केवल वाहन का ब्रांड और पंजीकरण संख्या ही अनिवार्य होगी, चेसिस नंबर अनिवार्य नहीं होगा। भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) में पंजीकृत संपत्ति की पंजीकरण संख्या को सीआईसी द्वारा जोड़ा जाएगा।

(viii) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी)/राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) में स्वीकार किए गए मामलों को सीआईसी को रिपोर्ट करते समय समान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप में वाद दाखिल मामलों के तहत रिपोर्ट किया जाएगा।

(ix) सीआईसी द्वारा उधारकर्ता की व्यापक ऋण सूचना सीआई को प्रदान करते समय, संबंध खंड (आरएस) विवरण तीन मॉड्यूलों अर्थात उपभोक्ता, वाणिज्यिक और एमएफआई में क्रॉस-लिंकेज स्थापित करने में महत्वपूर्ण हैं। 01 जुलाई 2018 को या उसके बाद खोले गए सभी खातों के लिए सीआई द्वारा सीआईसी को आरएस डेटा की रिपोर्टिंग अनिवार्य है। शेष लीगेसी डेटा की रिपोर्टिंग के लिए समय-सीमा की समीक्षा, तकनीकी कार्य समूह (टीडब्ल्यूजी) द्वारा की जाएगी तथा सीआई को यथासमय सूचित किया जाएगा। सीआईसी, आरएस डेटा की रिपोर्टिंग के अनुदेशों का पालन नहीं करने वाली सीआई की सूची को इस अनुबंध के **परिशिष्ट-2** में उल्लिखित प्रारूप में पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), केंद्रीय कार्यालय को मासिक आधार पर प्रस्तुत करेंगी।

स्पष्टीकरण: वाणिज्यिक डेटा प्रारूप में संबंध खंड के 'संबंध' खंड(फील्ड) के अंतर्गत शेयरधारकों की जानकारी की रिपोर्टिंग केवल उन शेयरधारकों के लिए की जानी चाहिए जो यथासंशोधित 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश 2016 के तहत परिभाषित 'हितकारी स्वामी' हैं।

---

[9] इस लिंक के माध्यम से समिति की रिपोर्ट एक्सेस की जा सकती है: https://rbi.org.in/hi/web/rbi/-/publications/reports/report-of-the-committee-to-recommend-data-format-for-furnishing-of-credit-information-to-credit-information-companies-763

(x) क्रॉस रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देशों, जैसे कि जहां व्यक्ति उधारकर्ता है और कॉर्पोरेट सह-उधारकर्ता है, या इसके विपरीत, को सीआईसी द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा। प्रारूपों में डेटा को शामिल करने के लिए खंड दिए गए हैं, जहां उपभोक्ता डेटा को उपभोक्ता डेटा प्रारूप में रिपोर्ट किया जाएगा और सह-उधारकर्ता को वाणिज्यिक डेटा प्रारूप में रिपोर्ट किया जाएगा।

(xi) सीआईसी से अस्वीकृत डेटा को अपलोड करने और रिवर्ट करने के लिए केवल एक सॉफ्टवेयर प्रारूप होगा, क्योंकि डेटा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के दौरान एक्सेल / टीयूडीएफ / नोटपैड आदि जैसे प्रारूपों के बीच रूपांतरण / पुन: रूपांतरण, सत्यापन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। तकनीकी कार्य समूह इस मुद्दे पर आगे विचार-विमर्श कर सकता है तथा यदि आवश्यक समझा जाए तो इस संबंध में आरबीआई को उपयुक्त सुझाव दे सकता है।

साख सूचना कंपनियों को वाणिज्यिक पत्रों पर जानकारी रिपोर्ट करने हेतु प्रारूप

"सीपी" प्रस्तावित खंड(फील्ड)	**वाणिज्यिक आंकड़े प्रस्तुत करने के प्रारूप में उपलब्ध खंड(फील्ड)**	**वाणिज्यिक पत्र के मामले में, प्रारूप के विवरण कॉलम में अद्यतन**
सीपी निर्गमकर्ता का नाम	बीएस खंड - खंड(फील्ड) सं. 4 खंड(फील्ड) का नाम : उधारकर्ता का नाम	"सीपी निर्गमकर्ता का नाम"
सीपी राशि	सीआर खंड - खंड(फील्ड) सं. 5 खंड(फील्ड) का नाम : संस्वीकृत राशि/ संविदा का कल्पित मूल्य	"सीपी की राशि" दी जानी है
निर्गम तिथि	सीआर खंड - खंड(फील्ड) सं. 4. खंड(फील्ड) का नाम: सुविधा / ऋण सक्रियण / संस्वीकृत तिथि	"निर्गम तिथि" दी जानी है
परिपक्वता तिथि	सीआर खंड - खंड(फील्ड) सं. 13 खंड(फील्ड) का नाम: ऋण समाप्ति / परिपक्वता तिथि	"परिपक्वता तिथि" दी जानी है
सीआरए का नाम	बीएस खंड - खंड(फील्ड) सं. 24. खंड(फील्ड) का नाम: आकलन संस्था / प्राधिकरण	""सीआरए का नाम" रिपोर्ट किया जाना है
रेटिंग संस्था	बीएस खंड - खंड(फील्ड) सं. 23 खंड(फील्ड) का नाम: क्रेडिट रेटिंग	"निर्दिष्ट रेटिंग" रिपोर्ट की जानी है
चूक राशि	सीआर खंड - खंड(फील्ड) सं. 17 खंड(फील्ड) का नाम : अतिदेय राशि / अतिदेय सीमा	"चूक राशि" दी जानी है

परिशिष्ट -2

साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा पर्यवेक्षण विभाग,आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय को संबंध खंड (आरएस) पर डेटा रिपोर्ट करने के लिए प्रारूप

साख सूचना कंपनी (सीआईसी) का नाम: ________________

.... माह के लिए साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा पर्यवेक्षण विभाग,आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय को संबंध खंड (आरएस) पर डेटा रिपोर्ट करने के लिए प्रारूप										
		नए ऋण खाते			पारंपरिक डेटा					
क्र.स.	ऋण संस्था का नाम (सीआई)	1 जुलाई 2022 के बाद खोले गए नए ऋण खातों की रिपोर्टिंग			1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 के बीच खोले गए खातों की रिपोर्टिंग – 1 जनवरी 2023 तक अद्यतित किया जाना है			विगत तीन वर्षों (1 जुलाई 2018 से 30 जून 2021) में खोले गए खातों की रिपोर्टिंग- 1 जुलाई 2023 तक अद्यतित किया जाना है		
		माह के दौरान नए खोले गए ऋण खातों की संख्या	नए ऋण खातों की संख्या जहां आरएस विवरण या तो प्रस्तुत नहीं किया गया है या गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया है	कुल नए खोले गए खातों में से ऐसे नए ऋण खातों का प्रतिशत (%) जहां कोई आरएस डेटा रिपोर्ट नहीं किया गया है /गलत आरएस डेटा रिपोर्ट	1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक की अवधि के दौरान खोले गए ऋण खातों की संख्या	ऋण खातों की संख्या जहां आरएस विवरण या तो प्रस्तुत नहीं किया गया है या गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया है	1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक की अवधि के दौरान खोले गए कुल खातों में ऐसे ऋण खातों का प्रतिशत (%) जहां कोई आरएस डेटा	1 जुलाई 2018 से 30 जून 2021 तक की अवधि के दौरान खोले गए ऋण खातों की संख्या	ऋण खातों की संख्या जहां आरएस विवरण या तो प्रस्तुत नहीं किया गया है या गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया है	1 जुलाई 2018 से 30 जून 2021 तक की अवधि के दौरान खोले गए कुल खातों में ऐसे ऋण खातों का प्रतिशत (%) जहां कोई आरएस डेटा रिपोर्ट नहीं किया

				किया गया है			**रिपोर्ट नहीं किया गया है /गलत आरएस डेटा रिपोर्ट किया गया है**			**गया है /गलत आरएस डेटा रिपोर्ट किया गया है**

अनुबंध - VI: स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के संबंध में ऋण सूचना को रिपोर्ट करना

1. एसएचजी सदस्यों के संबंध में ऋण सूचना की संरचना, जिसे सीआई द्वारा एकत्रित किया जाएगा तथा सीआईसी को रिपोर्ट किया जाएगा, नीचे दी गई है।

1	सीआई द्वारा वैयक्तिक एसएचजी सदस्यों से एकत्रित की जाने वाली जानकारी**,** जहां एसएचजी सदस्य को दिए जाने वाले या उनके द्वारा लिए जाने वाले ऋण की कुल राशि 30,000/- रुपये से अधिक है।	**परिशिष्ट 3** सारणी 1
2	सीआई द्वारा वैयक्तिक एसएचजी सदस्यों से एकत्रित की जाने वाली जानकारी**,** जहां एसएचजी सदस्य को दिए जाने वाले या उनके द्वारा लिए जाने वाले ऋण की कुल राशि 30,000/- रुपये तक है।	सारणी 2
3	सीआई द्वारा सीआईसी को रिपोर्ट की जाने वाली सभी वैयक्तिक एसएचजी सदस्यों की जानकारी [समान क्रेडिट रिपोर्टिंग (एमएफआई) प्रारूप के अंतर्गत शामिल]	सारणी 3
4	एसएचजी के नए बचत बैंक खाते खोलने के समय बैंकों द्वारा वैयक्तिक एसएचजी सदस्यों के बारे में एकत्रित की जाने वाली जानकारी	सारणी 4

2. डेटा प्रारूप और रिपोर्टिंग अनुदेश

(1). डेटा सारणियां परिशिष्ट 3 में दी गई हैं। जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, सीआई सभी एसएचजी सदस्यों से सारणी 1 और 2 में जानकारी एकत्र करेंगे और सारणी 3 में निर्धारित अनुसार सीआईसी को इसकी रिपोर्ट करेंगे। **सारणी 3** में उल्लिखित एसएचजी सदस्य स्तर के डेटा को सीआईसी को रिपोर्ट करने के लिए अनुबंध IV के **फॉर्म 3: समान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप (एमएफआई)** में शामिल किया जाएगा। सारणियों को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है:

(ए) कुछ जानकारी (सारणी 1 और 2 की मद संख्या 17) एसएचजी सदस्यों के मौजूदा एक्सपोज़र से संबंधित है, जिसमें ऐसे एसएचजी समूहों के एक्सपोज़र भी शामिल हैं जिनके साथ वे पहले से संबद्ध थे। इसका उद्देश्य एसएचजी सदस्यों के संबंध में सीआई को सुविचारित ऋण निर्णय लेने में सहायता करना है। यह जानकारी एसएचजी सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमुख जानकारी के आधार पर सीआई द्वारा सीधे सीआईसी से एकत्र की जा सकती है इसलिए सीआई को सारणी 3 के अनुसार सीआईसी को रिपोर्ट किए गए डेटासेट में यह जानकारी शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

(बी) एसएचजी सदस्यों के संबंध में ऋण सूचना का संग्रहण और रिपोर्टिंग केवल उन एसएचजी सदस्यों तक सीमित रहेगी जो ₹ 1,00,000/- से अधिक का ऋण लेते हैं। तथापि, सभी एसएचजी सदस्यों को, समूह ऋण की राशि पर ध्यान दिए बिना, एसएचजी समूह के माध्यम से सीआई को उस समय ऋणेतर सूचना देनी होगी, जब एसएचजी ऋण के लिए सीआई से संपर्क करेगा।

(सी) ऋणेतर सूचना आवश्यकताओं को एसएचजी सदस्यों के विभिन्न उप-खंडों को ऋण के प्रवाह का मूल्यांकन करने तथा उप-खंडों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त ऋण प्रवेश रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से वैयक्तिक उधारकर्ताओं की पहचान करने तथा बैंकों, विनियामकीय और सरकारी विकास एजेंसियों की जानकारी आवश्यकताओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। सीआई द्वारा जानकारी सीआईसी को इस प्रकार से प्रस्तुत की जाए कि सीआईसी किसी विशिष्ट एसएचजी से जुड़े सभी सदस्यों की पहचान कर सके तथा किसी विशिष्ट व्यक्ति की पहचान उन सभी एसएचजी के साथ हो सके जिनके साथ वह जुड़ा हुआ है/था।

(2). सीआई को एसएचजी सदस्यों से प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करने तथा आवश्यक जानकारी सीआईसी को रिपोर्ट करने के लिए अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करने के साथ आवश्यक प्रणालियां और प्रक्रियाएं लागू करनी होंगी।

(3). सीआई के पास एसएचजी सदस्य स्तर के डेटा को स्वयं या अन्य संस्थाओं को आउटसोर्स करके एकत्र करने और रिपोर्ट करने का विकल्प है। तथापि, सीआई यथा संशोधित दिनांक 3 नवंबर 2006 के बैंपविवि.सं.बीपी.40/21.04.158/2006-07 और दिनांक 28 जून 2021 के डीओआर.ओआरजी.आरईसी.27/21.04.158/2021-22 परिपत्रों में निर्धारित आउटसोर्सिंग पर सभी सामान्य अनुदेशों, जहां तक लागू हो, का पालन करेंगे और आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किए गए डेटा की शुद्धता के लिए जिम्मेदार बने रहेंगे। सीआई को आउटसोर्स की गई संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उचित नियंत्रण स्थापित करना होगा।

(4). सीआई एसएचजी खंड में एनपीए के स्तर पर निरंतर आधार पर निगरानी रखेंगे तथा यदि एसएचजी खंड में सकल एनपीए 10% से अधिक है या सीआई के सकल एनपीए से 5 प्रतिशत अंक अधिक है तो ₹ 20,000 रुपये की निचली सीमा से अधिक ऋण लेने वाले एसएचजी सदस्यों से विस्तृत जानकारी एकत्र करेंगे।

(5). सीआई द्वारा अनुदेशों का पालन नहीं करने पर अनुपालन नहीं करने वाले एसएचजी ऋण खातों को ऋण पोर्टफोलियो से बाहर रखा जाएगा जो कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों के अनुपालन के प्रयोजन से गणना के लिए पात्र होते।

3. अन्य परिचालन अनुदेश

(1). इस स्तर पर, यह परिकल्पना की गई है कि केवल एसएचजी सदस्यों द्वारा सीआई से ली गई ऋण सुविधाओं का ब्यौरा ही रखा जाए। इसलिए, एसएचजी सदस्यों के बीच उनकी अपनी बचत से दिए गए अंतर-ऋण से संबंधित कोई भी जानकारी शामिल नहीं की जाएगी। तथापि, किसी एसएचजी सदस्य की समग्र ऋणग्रस्तता जानने के लिए, अंतर-ऋण के संबंध में एसएचजी के प्रति उनके एक्सपोज़र को जानना भी आवश्यक हो सकता है। एसएचजी सदस्य की जानकारी की गुणवत्ता में सुधार लाने के सतत प्रयास के एक भाग के रूप में, अंतर-ऋण कैप्चर करने की आवश्यकता की यथासमय समीक्षा की जाएगी।

(2). सीआई द्वारा एसएचजी को दी गई उधार राशि में से एसएचजी के सदस्यों द्वारा लिए गए वैयक्तिक ऋणों के निष्पादन की निगरानी और रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण चुनौतियों को देखते हुए, इन ऋणों के पुनर्भुगतान और वसूली की निगरानी के लिए ऋण रिपोर्टिंग प्रणाली का विस्तार करने की परिकल्पना नहीं की गई है। तथापि, इस पर यथा समय विचार किया जाएगा।

(3). संभावित एसएचजी सदस्य उधारकर्ताओं के बारे में पर्याप्त जानकारी आधार तैयार करने तथा एसएचजी के ऋण-सहबद्ध होने पर एसएचजी के सदस्यों से संबंधित केवाईसी संगत जानकारी के संग्रहण और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से, बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि जब कोई एसएचजी बचत खाता खोलने के लिए उनसे संपर्क करता है, तो वे एसएचजी सदस्यों को लघु खाते/सामान्य बचत बैंक जमा खाता खोलने की पेशकश करें। ऐसे मामलों में जहां एसएचजी सदस्य ऐसे खाते खोलने के लिए सहमत होते हैं, तो सारणी 4 में दी गई जानकारी को एकत्र किया जाए और रिकॉर्ड में रखा जाए ताकि एसएचजी द्वारा ऋण के लिए बैंक से संपर्क करने के समय इसका उपयोग किया जा सके। हालांकि, इसे एसएचजी का बचत खाता खोलने के लिए पूर्व शर्त नहीं बनाया जाना चाहिए।

(4). इस अनुबंध में निर्दिष्ट किसी भी डेटा आवश्यकता को एसएचजी को ऋण प्रदान करने के लिए पूर्व-शर्त नहीं बनाया जाना चाहिए, हालांकि सीआई को इन अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए।

(5). सीआई, नाबार्ड की एसएचजी के लिए डिजिटलीकरण योजना, जहां लागू हो, सहित एसएचजी को उनके द्वारा लिए गए ऋण में से अपने सदस्यों को वितरित ऋणों का लिखित रिकॉर्ड रखने के लिए प्रोत्साहित करें और इस संबंध में उचित प्रोत्साहन शुरू करने पर विचार करें।

(6). सीआई, एसएचजी / एसएचजी के सदस्यों, जिनके बारे में सीआईसी द्वारा चूक की रिपोर्ट दी गई है, से ऋण सुविधाओं हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई के लिए उपयुक्त नीतियां बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि एसएचजी/वैयक्तिक सदस्यों को केवल ऐसी चूकों के कारण ऋण देने से इनकार न किया जाए तथा सीआई को स्वयं सदस्यों के ऋण इतिहास का उचित मूल्यांकन करना चाहिए तथा समूहों के ऋण आवेदनों पर विचार करके उनकी गतिविधियों की आर्थिक व्यवहार्यता और लिए जाने वाले प्रस्तावित ऋण को चुकाने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए।

(7). वैयक्तिक एसएचजी सदस्यों से संबंधित ऋण जानकारी सीआईसीआरए के प्रावधानों और सीआई द्वारा साख सूचना रिपोर्टिंग पर आरबीआई के मौजूदा निदेशों के अनुसार एकत्रित, रिपोर्ट और प्रसारित की जाएगी।

4. सीआईसी को विशिष्ट अनुदेश

(1). सीआईसी उपर्युक्त निदेशों को लागू करने के लिए अपनी प्रणालियों और प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन करेंगी।

(2). सीआईसी अपने बोर्ड के अनुमोदन से उचित नीतियां तैयार करेंगी, ताकि ऋण आयोजना और अनुसंधान के उद्देश्य से सरकारी एजेंसियों, नाबार्ड, बैंकों और एमएफआई के साथ समग्र आधार पर एसएचजी या एसएचजी सदस्यों से संबंधित ऋण जानकारी साझा की जा सके। सीआईसी अनुसंधान करने के उद्देश्य से समग्र जानकारी को अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार, अन्य पक्षों के साथ भी साझा कर सकती हैं, जिससे एसएचजी वर्ग को संभावित रूप से लाभ हो सकता है। समग्र जानकारी को इस तरीके से साझा किया जाएगा जो कि गैर-भेदभावपूर्ण हो और देश के प्रासंगिक कानूनों के अनुसार वैयक्तिक एसएचजी समूहों तथा एसएचजी सदस्यों की गोपनीयता का सम्मान करती हो।

परिशिष्ट -3

वैयक्तिक एसएचजी सदस्यों के संग्रहण के लिए संकेतात्मक आंकड़ा प्रारूप[10]

सारणी 1: वैयक्तिक एसएचजी सदस्यों से एकत्रित की जाने वाली जानकारी, जहां एसएचजी सदस्य को दिए जाने वाले या उनके द्वारा लिए जाने वाले ऋण की कुल राशि 30,000 रुपये से अधिक है[11]

अपेक्षित विवरण	उपलब्ध कराए गए विवरण	आधार
I. ऋणेतर जानकारी		
1. एसएचजी का नाम		एसएचजी सदस्य द्वारा दिया जाना है
2. एसएचजी का बचत बैंक खाता संख्या		एसएचजी सदस्य द्वारा दिया जाना है
3. एसएचजी की ऋण खाता संख्या		बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जाना है
4. एसएचजी सदस्य का नाम		जैसा कि सीआई द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़ या सीआई के रिकार्ड में है
5. बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़		आधार कार्ड सं./मतदाता पहचान पत्र/पीएएन/ड्राइविंग लाइसेन्स /नरेगा कार्ड/पासपोर्ट[12]
6. बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़ की विशिष्ट संख्या, यदि उपलब्ध हो		दस्तावेजी साक्ष्य अपेक्षित
7. पिता/पति का नाम		जैसा कि सीआई द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज में उल्लेख किया गया है

[10] इस परिशिष्ट में दिए गए प्रपत्र जानकारी आवश्यकताओं को इंगित करने के लिए हैं तथा इन्हें किसी भी प्रारूप में डिजिटाइज़ किया जा सकता है, बशर्ते कि इसमें इंगित किए गए सभी विवरण और ब्यौरे एकत्रित कर लिए जाएं।

[11] नए एसएचजी को ऋण संस्वीकृत करते समय या मौजूदा ऋणों के नवीनीकरण के समय या मौजूदा एसएचजी को अतिरिक्त ऋण प्रदान करते समय एकत्रित किया जाएगा। एसएचजी ऋण खंड में 10% से अधिक सकल एनपीए अनुपात वाले बैंक, अपने बोर्ड के अनुमोदन से, इस सारणी और अगली सारणी में इंगित की गई जानकारी/डेटा को एकत्र करने के लिए निचली सीमा तय कर सकते हैं। इस राशि में सदस्य की अपनी बचत से कोई सब्सिडी या मार्जिन शामिल नहीं होगा जो उस गतिविधि या उद्देश्य के वित्तपोषण के लिए उपयोग किया जाता है जिसके लिए ऋण लिया गया है (दोनों बैक एंड या फ्रंट एंड)।

[12] बैंक विशेष रूप से यह देख सकते हैं कि क्या कोई एसएचजी सदस्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहचान के प्रमाण के लिए सरलीकृत उपाय शुरू करने से संबंधित 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.81/14.01.001/2015-16 (यथा संशोधित) के दायरे में आता है या नहीं और उन्हें लघु जमा खाते/सामान्य बचत बैंक जमा खाते की पेशकश करें। जहां भी कोई एसएचजी सदस्य ऐसा खाता खोलने का इच्छुक हो, तो आरबीआई परिपत्र के अनुसार केवाईसी किया जाना चाहिए तथा केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री तथा सीआईसी को इसकी रिपोर्ट की जानी चाहिए। यदि एसएचजी सदस्य का बचत बैंक खाता खोलते समय या अन्यथा केवाईसी पहले ही हो चुका है तो कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा।

8. पुरुष अथवा स्त्री		जैसा कि एसएचजी सदस्य द्वारा घोषित किया गया है
9. जन्म तिथि (यदि पहचान दस्तावेज़ पर प्रिंट हो)		DD/MM/YYYY
10. पता (राज्य कोड और पिन कोड के साथ पूरा पता)		घोषणा के आधार पर [13]
11. अन्य मौजूद बैंक खाते के बारे में जानकारी		घोषणा के आधार पर
12. शैक्षिक स्तर	<u>प्रयोग किए जाने वाले कोड</u> निरक्षर : 1 पाँचवी कक्षा पास : 2 आठवीं कक्षा पास : 3 दसवी कक्षा पास : 4 दसवीं के ऊपर : 5	घोषणा के आधार पर
13. व्यवसाय	<u>प्रयोग किए जाने वाले कोड</u> होम मेकर : 1 भूमिहीन मजदूर : 2 सीमांत किसान : 3 लघु किसान : 4	घोषणा के आधार पर
14. मासिक पारिवारिक आय (रु.में)		घोषणा के आधार पर
15. सामाजिक स्तर	<u>प्रयोग किए जाने वाले कोड</u> अनुसूचित जाति: 1 अनुसूचित जनजाति: 2 अन्य पिछड़ा वर्ग: 3 सामान्य : 5	घोषणा के आधार पर
16. मोबाइल नं. (यदि उपलब्ध हो)		घोषणा के आधार पर

[13] सीआई को केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से जानकारी निकालनी होगी।

II. ऋण संबंधी जानकारी [14]		
17. मौजूदा ऋणों के बारे में जानकारी - अन्य एसएचजी के माध्यम से जहां वैयक्तिक सदस्य है **17.1 *एसएचजी खाते की स्थिति*** □ **एसएचजी का नाम** □ **एसएचजी की ऋण खाता सं.** □ **उधारदात्री बैंक का नाम** □ **उधार ली गई राशि** □ **बकाया राशि** □ **खाते की स्थिति** □ **नियमित** □ **चूककर्ता** □ **निपटाए गए** □ **न्यायाधीन**		सीआई द्वारा प्राप्त सीआईसी रिपोर्ट या सीआई रिपोर्ट (सीआईसी रिपोर्ट के आभाव में) पर आधारित सीआई द्वारा प्राप्त सीआईसी रिपोर्ट पर आधारित, यदि उपलब्ध हो
17.2 *यदि चूक में है, तो एसएचजी सदस्य के ऋण खाते की स्थिति यदि एसएचजी ऋण उन्हें वितरित किया गया हो* [15] • **एसएचजी का नाम** • **उधारदात्री बैंक का नाम** • **उधार ली गई राशि** • **बकाया राशि**		सीआईसी रिपोर्ट पर आधारित, यदि उपलब्ध है; अन्य मामलों में एसएचजी के पत्र को आधार बनाया जा सकता है।
18. सीआई द्वारा एसएचजी को दिए गए समूह ऋण में से लिए जाने वाले प्रस्तावित ऋण की राशि [16]		एसएचजी के अध्यक्ष/सचिव का पत्र। बाद में सीआई द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
19. सदस्य द्वारा वैयक्तिक हैसियत में अन्य स्रोतों से लिए गए ऋण		यह जानकारी सीआईसी रिपोर्ट, यदि उपलब्ध है, के आधार पर

[14] यदि समूह ऋण ₹ 1,00,000/- तक है तो यह लागू नहीं होगा।

[15] जब तक वैयक्तिक एसएचजी सदस्यों का डेटाबेस सीआईसी के पास उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक यह जानकारी संबंधित एसएचजी द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्र के आधार पर एकत्रित की जा सकती है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। यदि एसएचजी खाता नियमित है तो मद 17.2 लागू नहीं होगी।

[16] सभी एसएचजी को पहले ही तय कर लेना चाहिए कि वे एसएचजी ऋण का उपयोग किस तरह से करना चाहते हैं। जहां भी वैयक्तिक सदस्यों को ऋण का वास्तविक वितरण 30,000 रुपये से अधिक देने पर सहमति हुई थी या जहां संवितरित वास्तविक राशि 30,000 रुपये से अधिक थी, हालांकि सीआई से ऋण लेने के समय इस पर सहमति नहीं हुई थी, तब एसएचजी पदाधिकारियों द्वारा सीआई को इसकी रिपोर्ट की जानी चाहिए। इस शर्त का पालन न करने को एसएचजी को आगे ऋण देते समय या अगली बार इसकी नकदी ऋण सीमा का नवीनीकरण करते समय ध्यान में रखा जाए। समूह ऋणों में से लिए गए ऋणों की राशि के संबंध में गलत जानकारी देने पर दंडात्मक प्रावधानों से संबंधित उपयुक्त खंड सीआई को ऋण करार में शामिल करना चाहिए। सीआई अपने अनुभव के आधार पर, ऐसे मामलों में जहां एसएचजी के प्रति सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की औसत राशि 20,000/- रुपये से अधिक है, सीआई ऋणों से वितरित राशियों के सत्यापन योग्य रिकॉर्ड के रखरखाव पर भी जोर दें।

		संग्रहीत की जाए। यदि सीआईसी के पास उपलब्ध न हो, तो सदस्य द्वारा अपनी पिछली उधारी की घोषणा करने के बाद वैयक्तिक सीआई की रिपोर्ट मांगी जा सकती है।

सारणी 2: वैयक्तिक एसएचजी सदस्यों से एकत्रित की जाने वाली जानकारी, जहां एसएचजी सदस्य को दिए जाने वाले या उनके द्वारा लिए जाने वाले ऋण की कुल राशि 30,000 रुपये तक है[17]

अपेक्षित विवरण	उपलब्ध कराए गए विवरण	आधार
I. ऋणेतर जानकारी		
1. एसएचजी का नाम		एसएचजी सदस्य द्वारा दिया जाना है
2. एसएचजी का बचत बैंक खाता संख्या		एसएचजी सदस्य द्वारा दिया जाना है
3. एसएचजी की ऋण खाता संख्या		बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जाना है
4. एसएचजी सदस्य का नाम		जैसा कि बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़ या सीआई के रिकार्ड में है
5. सीआई द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़		आधार कार्ड सं./मतदाता पहचान पत्र/पीएएन/ड्राइविंग लाइसेन्स /नरेगा कार्ड/पासपोर्ट[18]
6. सीआई द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़ की विशिष्ट संख्या, यदि उपलब्ध हो		दस्तावेजी साक्ष्य अपेक्षित
7. पिता/पति का नाम		जैसा कि सीआई द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज में उल्लेख किया गया है
8. पुरुष अथवा स्त्री		जैसा कि एसएचजी सदस्य द्वारा घोषित किया गया है
9. जन्म तिथि (यदि पहचान दस्तावेज़ पर प्रिंट हो)		DD/MM/YYYY

[17] नए एसएचजी को ऋण संस्वीकृत करते समय या मौजूदा ऋणों के नवीनीकरण के समय या मौजूदा एसएचजी को अतिरिक्त ऋण प्रदान करते समय एकत्रित किया जाएगा। एसएचजी ऋण खंड में 10% से अधिक सकल एनपीए अनुपात वाले बैंक, अपने बोर्ड के अनुमोदन से, इस सारणी में इंगित की गई जानकारी/डेटा को एकत्र करने के लिए निचली सीमा तय कर सकते हैं। इस राशि में सदस्य की अपनी बचत से कोई सब्सिडी या मार्जिन शामिल नहीं होगा जो उस गतिविधि या उद्देश्य के वित्तपोषण के लिए उपयोग किया जाता है जिसके लिए ऋण लिया गया है (दोनों बैक एंड या फ्रंट एंड)।

[18] बैंक विशेष रूप से यह देख सकते हैं कि क्या कोई एसएचजी सदस्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहचान के प्रमाण के लिए सरलीकृत उपाय शुरू करने से संबंधित 25 फरवरी 2016 के डीबीआर के मास्टर निदेश डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.81/14.01.001/2015-16 (यथा संशोधित) के दायरे में आता है या नहीं और उन्हें लघु जमा खाते/सामान्य बचत बैंक जमा खाते की पेशकश करें। जहां भी कोई एसएचजी सदस्य ऐसा खाता खोलने का इच्छुक हो, तो आरबीआई परिपत्र के अनुसार केवाईसी किया जाना चाहिए तथा केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री तथा सीआईसी को इसकी रिपोर्ट की जानी चाहिए। यदि एसएचजी सदस्य का बचत बैंक खाता खोलते समय या अन्यथा केवाईसी पहले ही हो चुका है तो कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा।

10.पता (राज्य कोड और पिन कोड के साथ पूरा पता)		घोषणा के आधार पर [19]
11.अन्य मौजूद बैंक खाते के बारे में जानकारी		घोषणा के आधार पर
12.शैक्षिक स्तर	<u>प्रयोग किए जाने वाले कोड</u> निरक्षर : 1 पाँचवी कक्षा पास : 2 आठवीं कक्षा पास : 3 दसवी कक्षा पास : 4 दसवीं के ऊपर : 5	घोषणा के आधार पर
13.व्यवसाय	<u>प्रयोग किए जाने वाले कोड</u> होम मेकर : 1 भूमिहीन मजदूर : 2 सीमांत किसान : 3 लघु किसान : 4	घोषणा के आधार पर
14.मासिक पारिवारिक आय (रु.में)		घोषणा के आधार पर
15.सामाजिक स्तर	<u>प्रयोग किए जाने वाले कोड</u> अनुसूचित जाति: 1 अनुसूचित जनजाति: 2 अन्य पिछड़ा वर्ग: 3 सामान्य : 5	घोषणा के आधार पर
16.मोबाइल नं. (यदि उपलब्ध हो)		घोषणा के आधार पर
II. ऋण संबंधी जानकारी [20]		

17. मौजूदा ऋणों के बारे में जानकारी - अन्य एसएचजी के माध्यम से जहां वैयक्तिक सदस्य है
 	
17.1 एसएचजी खाते की स्थिति
□ **एसएचजी का नाम**
□ **एसएचजी की ऋण खाता सं.**
□ **उधारदात्री बैंक का नाम**
□ **उधार ली गई राशि**
□ **बकाया राशि**
□ **खाते की स्थिति**
  □ **नियमित**
  □ **चूककर्ता**
		सीआई द्वारा प्राप्त सीआईसी रिपोर्ट या सीआई रिपोर्ट (सीआईसी रिपोर्ट के आभाव में) पर आधारित
		
		सीआई द्वारा प्राप्त सीआईसी रिपोर्ट पर आधारित, यदि उपलब्ध हो।

[19] सीआई को केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से जानकारी निकालनी होगी।

[20] यदि समूह ऋण ₹ 1,00,000/- तक है तो यह लागू नहीं होगा।

□ **निपटाए गए** □ **न्यायाधीन**		
18. सदस्य द्वारा वैयक्तिक हैसियत में अन्य स्रोतों से लिए गए ऋण		सीआईसी रिपोर्ट के आधार पर, यदि उपलब्ध हो
19. सीआई द्वारा एसएचजी को दिए गए समूह ऋण में से लिए जाने वाले प्रस्तावित ऋण की राशि		ऋण की राशि का सत्यापन सीआई द्वारा एसएचजी के रिकार्ड से किया जाएगा।

सारणी 3[21]: समान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप (एमएफ़आई) के भाग के रूप में सीआई द्वारा सीआईसी को रिपोर्ट की जाने वाली वैयक्तिक एसएचजी सदस्यों की जानकारी

	रिपोर्ट किए जाने वाले विवरण	एमएफ़आई रिपोर्टिंग प्रारूप में तदनुरूपी खंड(फील्ड)
I.	**ऋणेतर संबंधी जानकारी**	
1.	नाम (जैसा कि पहचान दस्तावेज़ पर लिखा है)	सदस्य खंड - ग्राहक के नाम के लिए खंड(फील्ड) संख्या 6,7,8
2.	बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़ की प्रकृति	सदस्य खंड – अन्य आईडी प्रकार विवरण के लिए खंड(फील्ड) संख्या 32, 34, 36
3.	बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज की विशिष्ट संख्या**,** यदि उपलब्ध हो	सदस्य खंड - अन्य आईडी मान के लिए खंड(फील्ड) संख्या 33, 35, 37; सदस्य खंड – खंड(फील्ड) संख्या 28 से 31 का उपयोग यूआईडी (आधार)**,** मतदाता पहचान पत्र**,** राशन कार्ड संख्या जैसे खंड(फील्ड) के लिए किया जाना चाहिए
4.	जन्म तिथि (DD/MM/YYYY)	सदस्य खंड - सदस्य जन्म तिथि के लिए खंड(फील्ड) संख्या 10
5.	पति/पिता का नाम	सदस्य खंड - सदस्य संबंध विवरण के लिए खंड(फील्ड) संख्या 17,18,19,20
6.	पता (राज्य कोड और पिन कोड के साथ पूरा पता)	पता खंड – पता**,** राज्य कोड और पिन कोड के लिए खंड(फील्ड) संख्या 60, 61, 62
7.	पुरुष अथवा स्त्री	सदस्य खंड - सदस्य लिंग प्रकार के लिए खंड(फील्ड) संख्या 13
8.	एसएचजी का नाम जिसका व्यक्ति सदस्य है	सदस्य खंड - समूह अभिज्ञापक के लिए खंड(फील्ड) संख्या 5 *खंड(फील्ड) को "समूह विशिष्ट आईडी^समूह नाम" को कैप्चर करने के लिए संशोधित किया गया है*
9.	एसएचजी का बचत खाता संख्या	सदस्य खंड - सदस्य के बचत बैंक विवरण (बैंक का नाम**,** शाखा कोड**,** खाता) के लिए खंड(फील्ड) संख्या 45,46, 47
10.	एसएचजी का ऋण खाता संख्या	खाता खंड - खाता संख्या के लिए खंड(फील्ड) संख्या 66
11.	किसी अन्य पहचान दस्तावेज की संदर्भ संख्या जिस पर बैंक ने भरोसा किया हो	सदस्य खंड - अन्य आईडी मान के लिए खंड(फील्ड) संख्या 28-31 और 35, 37
12.	एसएचजी सदस्य का शैक्षिक स्तर	सदस्य खंड - सदस्य की शैक्षिक अर्हता पर खंड(फील्ड) संख्या 42
13.	मासिक पारिवारिक आय (रु. में)	सदस्य खंड - कुल मासिक पारिवारिक आय के लिए खंड(फील्ड) संख्या 49

[21] आरबीआई ने डेटा प्रारूपों की समीक्षा करने और आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन करने के लिए एक सतत तंत्र को संस्थागत बनाने हेतु विभिन्न सीआई और सीआईसी के प्रतिनिधियों वाला एक तकनीकी कार्य समूह गठित किया है। यह समूह सीआई द्वारा सीआईसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा की रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए सारणी 3 को उपयुक्त रूप से अपनाएगा।

14. व्यवसाय	सदस्य खंड - व्यवसाय के लिए खंड(फील्ड) संख्या 48
15. सामाजिक स्तर	सदस्य खंड - सदस्य की जाति के लिए खंड(फील्ड) संख्या 52
16. मोबाइल नं.	सदस्य खंड - सदस्य के फ़ोन नंबर के लिए खंड(फील्ड) संख्या 39, 41
II. ऋण संबंधी जानकारी [22]	
17. एसएचजी ऋण से सदस्य द्वारा ली गई ऋण की राशि	खाता खंड - कुल संवितरित राशि के लिए खंड(फील्ड) संख्या 83

[22] यदि समूह ऋण ₹ 1,00,000/- तक है तो यह लागू नहीं होगा।

सारणी 4: एसएचजी के नए एसएचजी बचत बैंक खाते खोलने के समय वैयक्तिक एसएचजी सदस्यों के बारे में एकत्रित की जाने वाली जानकारी

अपेक्षित विवरण	उपलब्ध कराए गए विवरण	आधार
1. एसएचजी का नाम		एसएचजी सदस्य द्वारा भरा जाना है
2. एसएचजी का बचत बैंक खाता संख्या		बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जाना है
3. एसएचजी सदस्य का नाम		जैसा कि सीआई द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज में उल्लेख किया गया है
4. बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़		आधार कार्ड सं./मतदाता पहचान पत्र/पीएएन/ड्राइविंग लाइसेन्स /नरेगा कार्ड/पासपोर्ट[23]
5. बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़ की विशिष्ट संख्या, यदि उपलब्ध हो		दस्तावेजी साक्ष्य अपेक्षित
6. पिता/पति का नाम		जैसा कि बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज में उल्लेख किया गया है
7. पुरुष अथवा स्त्री		जैसा कि एसएचजी सदस्य द्वारा घोषित किया गया है
8. जन्म तिथि (यदि पहचान दस्तावेज़ पर प्रिंट हो)		DD/MM/YYYY
9. पता (राज्य कोड और पिन कोड के साथ पूरा पता)		घोषणा के आधार पर[24]
10. अन्य मौजूद बैंक खाते के बारे में जानकारी		घोषणा के आधार पर
11. शैक्षिक स्तर	<u>प्रयोग किए जाने वाले कोड</u> निरक्षर : 1 पाँचवी कक्षा पास : 2 आठवीं कक्षा पास : 3	घोषणा के आधार पर

[23] बैंक विशेष रूप से यह देख सकते हैं कि क्या कोई एसएचजी सदस्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहचान के प्रमाण के लिए सरलीकृत उपाय शुरू करने से संबंधित 25 फरवरी 2016 के डीबीआर के मास्टर निदेश डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.81/14.01.001/2015-16 (यथा संशोधित) के दायरे में आता है या नहीं और उन्हें लघु जमा खाते/सामान्य बचत बैंक जमा खाते की पेशकश करें। जहां भी कोई एसएचजी सदस्य ऐसा खाता खोलने का इच्छुक हो, तो आरबीआई परिपत्र के अनुसार केवाईसी किया जाना चाहिए तथा केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री तथा सीआईसी को इसकी रिपोर्ट की जानी चाहिए।

[24] बैंक को केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से जानकारी निकालनी होगी।

	दसवी कक्षा पास : 4 दसवीं के ऊपर : 5	
12. व्यवसाय	<u>प्रयोग किए जाने वाले कोड</u> होम मेकर : 1 भूमिहीन मजदूर : 2 सीमांत किसान : 3 लघु किसान : 4	घोषणा के आधार पर

13. मासिक पारिवारिक आय (रु.में)		घोषणा के आधार पर
14. सामाजिक स्तर	<u>प्रयोग किए जाने वाले कोड</u> अनुसूचित जाति: 1 अनुसूचित जनजाति: 2 अन्य पिछड़ा वर्ग: 3 सामान्य : 5	घोषणा के आधार पर
15. मोबाइल नं. (यदि उपलब्ध हो)		घोषणा के आधार पर

अनुबंध - VII: लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने के बाद ऋण सूचना रिपोर्टिंग तंत्र के प्रावधान

1. सभी सीआई, जिनके लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया है, उन्हें सीआईसीआरए की धारा 2(एफ)(vii) के तहत "ऋण संस्थाओं" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2. यह सीआई ऑन-बोर्ड उधारकर्ताओं की ऋण सूचना को रिपोर्ट करना जारी रखेंगी और सीआईसी को उनके लाइसेंस या सीओआर को रद्द करने से पहले सभी चार सीआईसी को तब तक रिपोर्ट करेंगी जब तक कि ऋण का जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता है या क्रेडिट संस्था बंद नहीं हो जाती है, जो भी पहले हो।

3. इन सीआई के पास केवल उन उधारकर्ताओं की ऋण सूचना रिपोर्ट का एक्सेस होगा, जिन्हें उनके लाइसेंस/सीओआर के रद्द होने से पहले ऑन-बोर्ड किया गया था और सीआईसी को रिपोर्ट किया गया था।

4. सीआईसी इन सीआई से वार्षिक और सदस्यता शुल्क नहीं लेंगी।

5. सीआईसी इन सीआई को सीआईआर में "लाइसेंस रद्द की गई इकाइयों" के रूप में टैग करेंगी। सीआईसी यह टैगिंग भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी अथवा आरबीआई से प्राप्त लाइसेंस रद्द करने के आदेश के आधार पर करेंगी।

6. यह अनुदेश उन इकाइयों पर भी लागू होंगे जिनके लाइसेंस/सीओआर को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन अनुदेशों के जारी होने से पहले रद्द कर दिया गया है[25]।

7. सीआई द्वारा सीआईसी को ऋण सूचना रिपोर्टिंग के संबंध में अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

[25] दिनांक 10 अक्तूबर 2024 के परिपत्र संख्या विवि.एफ़आईएन.आरईसी.47/20.16.042/2024-25

अनुबंध – VIII: उपभोक्ता डेटा गुणवत्ता सूचकांक

ए. जनसांख्यिकी		
विशेषता(एट्रिब्यूट)	**मापन मानदंड**	**भारांक**
नाम	उपलब्धता जो सभी शर्तों को पूरा करती हो:	20
	ए) न्यूनतम 2 टोकन	
	बी) न्यूनतम 2 अक्षरों वाला 1 टोकन	
	सी) कोई अंक मौजूद नहीं है	
जन्म तिथि	उपलब्धता जो सभी शर्तों को पूरा करती हो:	20
	ए) ddmmyyyy का सही प्रारूप	
	बी) दिनांक 1 जनवरी 1998 से पहले की होनी चाहिए	
	सी) दिनांक 1 जनवरी 1928 के बाद की होनी चाहिए	
अभिज्ञापक: पीएएन/ मतदाता पहचान पत्र / यूआईडी	किसी एक अभिज्ञापक की उपलब्धता जो सभी संबंधित शर्तों को पूरा करती हो :	20
	पीएएन:	
	ए) लंबाई 10 वर्णों की होनी चाहिए	
	बी) प्रथम 5 और अंतिम वर्ण अक्षर होने चाहिए	
	सी) चौथा वर्ण या तो पी या एच होना चाहिए	
	डी) 6 वें से 9 वें वर्ण अंक होने चाहिए	
	मतदाता पहचान पत्र:	
	ए) लंबाई 10 से 14 वर्णों के बीच होनी चाहिए	
	बी) पहले 2 अंक अक्षर होने चाहिए	
	यूआईडी:	
	ए) लंबाई 12 वर्णों की होनी चाहिए	
	बी) सभी अंकीय होने चाहिए	
पिन कोड	उपलब्धता जो सभी शर्तों को पूरा करती हो:	20
	ए) लंबाई 6 अंकीय होनी चाहिए	
	बी) समान संख्या (0 से 9) के सभी अंकों के मामलों को शामिल न करें	
	सी) 123456 को शामिल न करें	
	डी) उन मामलों को शामिल न करें, जहां अंतिम 3 अंक शून्य हैं	
फ़ोन	उपलब्धता जो सभी शर्तों को पूरा करती हो:	20
	ए) न्यूनतम 5 अंकों की लंबाई होनी चाहिए	

बी. व्यापार डेटा		
विशेषता(एट्रिब्यूट)	**मापन मानदंड**	**भारांक**
डीपीडी/ आस्ति वर्गीकरण	उपलब्धता जो सभी शर्तों को पूरा करती हो:	20
	ए) या तो डीपीडी या आस्ति वर्गीकरण की रिपोर्ट की जानी है; रिक्त नहीं हो सकती	
	बी) डीपीडी, यदि रिपोर्ट की जाती है, तो अंक खंड(फील्ड) होनी चाहिए सी) आस्ति वर्गीकरण, यदि रिपोर्ट किया जाता है, तो 01 (मानक), 02 (अवमानक), 03 (संदिग्ध), 04 (हानि), 05 (विशेष उल्लेख) होना चाहिए	
उच्च ऋण / संस्वीकृत राशि	उपलब्धता	20
खुलने की तिथि	ddmmyyyy के सही प्रारूप में उपलब्धता	20
शेष राशि	उपलब्धता; यदि कोई शेष राशि नहीं है तो इसे 0 के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए	20
खाता प्रकार (1-अन्य का %)	उपलब्धता; 'अन्य' की न्यूनतम रिपोर्टिंग	20

अनुबंध – IX: वाणिज्यिक डेटा गुणवत्ता सूचकांक

क्र. सं.	माप दंड	कुल भारांक	विशेषता (एट्रिब्यूट)	मापन मानदंड	वैयक्तिक विशेषता (एट्रिब्यूट) भारांक
1	पता	15	पता	न्यूनतम लंबाई 5 (वर्णमाला/वर्णों के अक्षरों की कुल संख्या) और जंक की अनुमति नहीं है ['Same as above', 'null', '#NA', 'zzzzz', 'none', 'abcde', only जैसे शब्द, केवल विशेष वर्ण (जैसे $, * आदि) की अनुमति नहीं है]	3
			शहर	भारत का वैध शहर/कस्बा/जिला*	3
			पिन कोड	राज्य के लिए लागू वैध 6 अंकों का पोस्ट कोड	3
			राज्य	डेटा सबमिशन गाइड के अनुसार राज्य कोड	3
			दूरभाष	एसटीडी कोड के साथ वैध फोन या मोबाइल नंबर	3
2	उधारकर्ता	20	कारोबार श्रेणी	07 (अन्य) को छोड़कर डेटा सबमिशन गाइड में कैटलॉग मान	2
			सीआईएन / पीएएन / टीआईएन / सेवा कर	कम से कम 1 वैध अभिज्ञापक, एमसीए / एनएसडीएल अनुमोदित प्रारूप के अनुसार पीएएन प्रारूप जांच / टीआईएन / सेवा कर संख्या	10
			गतिविधि का वर्ग	बीएसआर की आरबीआई पुस्तिका के अनुसार गतिविधि/व्यवसाय का वर्ग	2
			उद्योग प्रकार	11 (अन्य) को छोड़कर डेटा सबमिशन गाइड के अनुसार वैध कारोबार/उद्योग प्रकार	2
			कानूनी गठन	डेटा सबमिशन गाइड के अनुसार सटीक मैपिंग	4
3	संबंध	20 अथवा 30 (यदि गारंटीकर्ता खंड की जानकारी रिपोर्ट नहीं की गई है	पता	न्यूनतम लंबाई 5 (वर्णमाला/वर्णों के अक्षरों की कुल संख्या) और जंक की अनुमति नहीं है ['Same as above', 'null', '#NA', 'zzzzz', 'none', 'abcde', only जैसे शब्द, केवल विशेष वर्ण (जैसे $, * आदि) की अनुमति नहीं है]	2 अथवा 3 (3 यदि गारंटीकर्ता खंड की जानकारी रिपोर्ट नहीं की गई है)
			शहर	भारत का वैध शहर/कस्बा/जिला	2 या 3 (3 यदि गारंटीकर्ता खंड की जानकारी रिपोर्ट नहीं की गई है)

			पीएएन/सीआईएन/ पासपोर्ट /डीआईएन	वैध पीएएन / सीआईएन / पासपोर्ट / निदेशक पहचान संख्या	5
			पिन कोड	राज्य के लिए लागू वैध 6 अंकों का पोस्ट कोड	2 अथवा 3 (3 यदि गारंटीकर्ता खंड की जानकारी रिपोर्ट नहीं की गई है)
			राज्य	डेटा सबमिशन गाइड के अनुसार राज्य कोड	2 अथवा 3 (3 यदि गारंटीकर्ता खंड की जानकारी रिपोर्ट नहीं की गई है)
			संबंध + संबंधित प्रकार	संबंधित पक्ष की अनिवार्य रिपोर्टिंग पर आरबीआई के 14 अक्तूबर 2021 के परिपत्र के अनुरूप गुणवत्ता का प्रदर्शन किया जाना है। सांविधिक संविधान के संदर्भ में 60 (अन्य) को छोड़कर वैध कैटलॉग मूल्य; सभी संबंधित पक्षों का उधारकर्ता के साथ संबंध है। यह संबंध मूल्य उधारकर्ता के सांविधिक संविधान पर आधारित है। उदाहरण के लिए: विधिक संविधान 11 (प्राइवेट लिमिटेड) के लिए, आरएस खंडों में अनुमत संबंध मूल्य 10 - शेयरधारक, 11- होल्डिंग कंपनी, 12 – अनुषंगी कंपनी, 51- प्रमोटर निदेशक, 52 - नामित निदेशक, 53- स्वतंत्र निदेशक, 54- इस्तीफा देने वाले निदेशक, 56- अन्य निदेशक हैं। संबंध प्रकार डेटा गुणवत्ता का मूल्यांकन डेटा प्रस्तुति गाइड के अनुसार किया जाएगा	5 या 10 (यदि गारंटर सेगमेंट की जानकारी रिपोर्ट नहीं की गई है तो 10)
			टेलीफ़ोन	एसटीडी कोड या मोबाइल नंबर वाला वैध फ़ोन	2 या 3 (यदि गारंटर सेगमेंट की जानकारी रिपोर्ट नहीं की गई है तो 3)
4	गारंटर	10 (यदि सदस्य	पता	न्यूनतम लंबाई 5 (वर्णमाला/अक्षरों की कुल संख्या) और जंक की अनुमति नहीं है ['ऊपर के समान', 'null', '#NA', 'zzzzz', 'none',	3

		कम से कम 1 ट्रेड के लिए गारंटर की रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जीएस सेगमेंट वेटेज 0 होगा। रिलेशनशिप सेगमेंट में 10% वेटेज जोड़ा जाएगा)		'abcde' जैसे शब्द, केवल विशेष वर्ण (जैसे $, * आदि) की अनुमति नहीं है]	
			शहर	भारत का वैध शहर/कस्बा/जिला	2
			पैन/सीआईएन/पासपोर्ट/डीआईएन	वैध पैन / सीआईएन / पासपोर्ट / निदेशक पहचान संख्या	3
			पिन कोड + राज्य कोड	दिए गए राज्य कोड के लिए वैध 6 अंकों का पोस्ट कोड लागू है। दोनों ही वैध होने चाहिए	2
5	क्रेडिट सुविधा	35	क्रेडिट प्रकार	डेटा सबमिशन गाइड के अनुसार वैध क्रेडिट प्रकार (9999 को छोड़कर) (अन्य)	8
			आस्ति वर्गीकरण /डीपीडी	सभी आस्ति वर्गों की सटीक रिपोर्टिंग (एसएमए 0,1,2; संदिग्ध-1,2,3) या वैध डीपीडी रिपोर्टिंग	8 या 11 (11 उन संस्थाओं के लिए जिन पर इरादतन चूककर्ता मौजूदा अनुदेश लागू नहीं होते हैं)
			सुविधा / ऋण सक्रियण / स्वीकृति तिथि	वैध दिनांक (DDMMYYYY) + गुणवत्ता के लिए रिपोर्टिंग दिनांक के साथ लागू क्रॉस सत्यापन	3
			मुकदमा दायर	मुकदमा दायर संबंधित डेटा रिपोर्टिंग	3
			इरादतन चूक	डेटा सबमिशन गाइड के अनुसार इरादतन चूक की रिपोर्टिंग	3 या 0 (0 उन संस्थाओं के लिए जिन पर इरादतन चूककर्ता

					संबंधी मौजूदा निर्देश लागू नहीं होते हैं)
			खाता स्थिति	डेटा सबमिशन गाइड के अनुसार खाते की स्थिति की रिपोर्टिंग	10
कुल स्कोर					**100**

* नोट: सीआईसी को 'शहर' विशेषता के लिए निम्नलिखित सत्यापन दृष्टिकोण अपनाना होगा:

(i) लंबाई जांच न्यूनतम 3 और अधिकतम 40, विशेष वर्ण और अल्फ़ान्यूमेरिक मान अनुमत हैं।

(ii) सीआई द्वारा रिपोर्ट किए गए ऐतिहासिक डेटा के आधार पर सभी सीआईसी द्वारा बनाए गए जंक मूल्यों के विरुद्ध शहर का नाम मान्य करें। ऐसी सूची सभी सीआई के बीच भी प्रसारित की जा सकती है ताकि वे ऐसे जंक मूल्यों से अवगत हो सकें जो डीक्यूआई स्कोर में कमी का कारण बन सकते हैं।

अनुबंध – X: लघु वित्त डेटा गुणवत्ता सूचकांक

श्रेणी	सत्यापन	अंक
जनसांख्यिकीय मापदंड		
नाम	**उपलब्धता जो सभी शर्तों को पूरा करती है:** ए) न्यूनतम 2 टोकन बी) वर्णमाला के न्यूनतम 2 अक्षरों के साथ 1 टोकन सी) कोई अंक मौजूद नहीं है	**10**
जन्मतिथि /आयु	**उपलब्धता जो सभी शर्तों को पूरा करती है:** ए) यदि डीओबी साझा किया गया है तो दिनांक प्रारूप DDMMYYYY होना चाहिए; बी) यदि आयु प्रदान की जाती है तो इसे शून्य को छोड़कर संख्यात्मक मान होना चाहिए	**7**
पहचानकर्ता: मतदाता पहचान पत्र (वीआईडी)/पैन/सीकेवाईसी	**किसी भी एक पहचानकर्ता की उपलब्धता जो सभी संबंधित शर्तों को पूरा करती है:** पैन: ए) लंबाई में 10 होना चाहिए बी) पहला 5 और अंतिम वर्ण वर्ण होना चाहिए सी) चौथा अक्षर या तो P या H होना चाहिए डी) 6 वें से 9 वें वर्ण अंक होने चाहिए मतदाता पहचान पत्र: ए) सीआईसी द्वारा विशेष वर्णों को हटाने के बाद लंबाई में 8 - 16 के बीच होना चाहिए बी) पहले 2/3 अंक वर्णमाला होने चाहिए सीकेवाईसी: ए) लंबाई में 14 होना चाहिए बी) सभी संख्यात्मक होना चाहिए	**8**
फोन नंबर	**सभी शर्तों को पूरा करने वाले मोबाइल नंबर की उपलब्धता:** ए) कम से कम 10 अंकों की लंबाई होनी चाहिए बी) पहला अंक 6, 7, 8 और 9 से शुरू होना चाहिए। सी) मोबाइल नंबर सीधा अवरोही/उर्ध्वाधर अनुक्रम (जैसे, 8765432/2345678) या समान अंक (जैसे, 2222222) की अनुमति नहीं है।	**7**

पता	**उधारकर्ता का कम से कम एक पता सभी नीचे दिए गए शर्तों को पूरा करना चाहिए।:** पता पंक्ति: ए) न्यूनतम लंबाई 5 अक्षर होनी चाहिए राज्य कोड: ए) सूची मूल्य के अनुसार प्रस्तुतिकरण पिन कोड: ए) लंबाई में 6 अंक होने चाहिए बी) सभी समान संख्या (0 से 9) के अंकों के मामलों को बाहर करें। सी) क्रम को बाहर करें (जैसे, 123456, 456789) डी) उन मामलों को बाहर करें जहां अंतिम 3 अंक संख्या 'शून्य' हैं।	**8**
कुल मासिक पारिवारिक आय	दिनांक 01 अप्रैल 2022 या उसके बाद खोले गए सभी खातों के लिए उपलब्धता, आरबीआई द्वारा दिनांक 14 मार्च 2022 को जारी और समय-समय पर संशोधित की गई लघुवित्त ऋण निदेश, 2022 की मास्टर निदेश के अनुसार, शून्य को छोड़कर संख्यात्मक मान, अधिकतम सीमा 25,000 रुपये/= के रूप में	**5**
मुख्य व्यक्ति का नाम और संबंध	कम से कम 1 प्रमुख व्यक्ति और संबंध	**5**
व्यापार मापदंड		
ऋण श्रेणी	सूची मानों के अनुसार प्रस्तुतिकरण	**5**
संवितरण/जारी करने की तारीख	DDMMYYYY में उपलब्धता और भविष्य की तारीख नहीं हो सकती है	**5**
कुल संवितरित राशि	शून्य को छोड़कर संख्यात्मक मूल्य की उपलब्धता और आरबीआई द्वारा जारी और समय-समय पर संशोधित दिनांक 14 मार्च 2022 को लघुवित्त ऋण निदेश 2022 के लिए विनियामकीय ढांचे पर मास्टर निदेश के अनुपालन में	**5**
न्यूनतम देय राशि/किस्त राशि	दिनांक 01 अप्रैल 2022 को या उसके बाद खोले गए सभी खातों के लिए उपलब्धता, शून्य को छोड़कर संख्यात्मक मान, अधिकतम सीमा रु. 12500/= है, जो कि दिनांक 14 मार्च 2022 को आरबीआई द्वारा जारी और समय-समय पर संशोधित लघुवित्त ऋण निदेश, 2022 के लिए	**5**

	विनियामकीय ढांचे पर मास्टर निदेश के अनुसार है।	
वर्तमान शेष राशि	संख्यात्मक मान और यदि कोई शेष राशि नहीं है, तो इसे संख्यात्मक 'शून्य' के रूप में रिपोर्ट किया जा सकता है	**5**
पुनर्भुगतान आवृत्ति	"अन्य" को छोड़कर सूची मूल्यों के अनुसार प्रस्तुति	**5**
खाते की स्थिति	सूची मूल्यों के अनुसार प्रस्तुति	**5**
डीपीडी (देय तिथि से अधिक दिन)	सूची मूल्यों के अनुसार प्रस्तुति	**5**
किस्तों की संख्या	शून्य को छोड़कर संख्यात्मक मान	**2**
<u>खाता स्तर पर डेटा विवाद</u> <u>जाँचे जाने वाले मापदंड</u> ए) खाते में बकाया राशि है > 0 लेकिन डीपीडी = 0 या रिक्त बी) खाते में अतिदेय राशि = 0 लेकिन डीपीडी > 0 या रिक्त है सी) खाते की स्थिति बकाया और DPD = 0 या बकाया राशि = 0 डी) खाता स्थिति सक्रिय और वर्तमान शेष राशि = 0 या रिक्त ई) खाता स्थिति बंद और (वर्तमान शेष राशि > 0 या DPD > 0 या बकाया राशि > 0) एफ) वर्तमान शेष राशि / वितरित राशि / अतिदेय राशि / न्यूनतम देय राशि ऋणात्मक है जी) खाते की स्थिति बंद है, तथा बंद होने की तिथि अमान्य या रिक्त है एच) बंद होने की तारीख बताई गई है, और खाते की स्थिति {एस06-बट्टे खाते में डाला गया, एस07-खाता बंद, एस09-पुनर्गठित और बंद, एस10-निपटारा, एस11-बट्टे खाते में डाला गया निपटारा, एस12-बट्टे खाते में डाला गया और बंद किया गया} के अलावा अन्य है आई) खाते की स्थिति एस06- बट्टे खाते में डाला गया, एस11- बट्टे खाते में डालने के बाद निपटारा, एस12- बट्टे खाते में डाला	यदि ऋण के लिए इस श्रेणी में सत्यापनों की सूची में से एक भी सत्यापन पूरा नहीं होता है, तो विशिष्ट ऋण के लिए स्कोर “0” माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि सभी ऋणों का मूल्यांकन इस श्रेणी के सभी सत्यापन नियमों के आधार पर किया जाना चाहिए तथा उन विशिष्ट ऋणों के लिए एक भी नियम का अनुपालन न करने पर उस विशिष्ट ऋण के लिए स्कोर की हानि होगी।	**8**

गया और बंद किया गया और बट्टे खाते में डाली गई राशि / बट्टे खाते में डालने की तिथि प्रदान नहीं की गई है		
कुल स्कोर		**100**

अनुबंध – XI: सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतित आस्तियों की जानकारी

क्र. सं	शाखा का नाम	राज्य	उधार कर्ता का नाम	गारंटर का नाम (जहां भी लागू हो)	उधार कर्ता का पंजीकृत पता	गारंटर का पंजीकृत पता (जहां लागू हो)	बकाया राशि (₹ में)	आस्ति वर्गीकरण	आस्ति वर्गीकरण की तिथि	प्रतिभूति का विवरण	प्रतिभूति के शीर्षक धारक का नाम

अनुबंध – XII: सीआईसी द्वारा प्रकटीकरण

वस्तु 1: एकसमान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप में संशोधन

(ए) वाणिज्यिक ब्यूरो रिपोर्टिंग प्रारूप में 'फैक्स नंबर' क्षेत्र का नामकरण बदलकर 'ईमेल आईडी' कर दिया जाएगा।

(बी) एमएफआई ब्यूरो रिपोर्टिंग प्रारूप के अंतर्गत 'डमी' क्षेत्र का नामकरण बदलकर 'ईमेल आईडी' कर दिया जाएगा।

(सी) उक्त क्षेत्रों को 'जब उपलब्ध हो' के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा।

तालिका 1: 31 मार्च ___ को समाप्त वर्ष के दौरान सीआईसी के पास पंजीकृत शिकायतें

वित्तीय वर्ष	साख सूचना कंपनी(सीआई सी) द्वारा प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या ए = बी+डी	विनियमित संस्थाओं (आरई) स्तर पर मुद्दों से संबंधित शिकायतें		Complaints pertaining to issues at CIC end	
		प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या (बी)	टीएटी के अंतर्गत अनसुलझे शिकायतों की संख्या (सी)	Total Number of complaints received (डी)	Number of complaints unresolved within TAT (ई)

एन.बी.– यह अनुदेश विनियामक अनुदेश जारी होने की तारीख से भावी रूप से लागू होंगे। पिछले वित्तीय वर्ष का डेटा सीआईसी द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। सीआईसी ऊपर प्रदर्शित अवधि से पहले पिछले दो (2) वित्तीय वर्षों का विंटेज डेटा प्रदान करने के लिए एक डाउनलोड लिंक/विकल्प प्रदान करेगा।

तालिका 2: दिनांक 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान सीआईसी के पास सीआइएस के विरुद्ध दर्ज शिकायतें ____

क्र. सं.	सीआई का नाम (ए)	वर्ष के दौरान सी.आई. द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की संख्या (बी)	वर्ष के दौरान सी.आई. के विरुद्ध दर्ज शिकायतों की कुल संख्या (सी)	सी.आई. द्वारा प्रस्तुत कुल अभिलेखों के प्रतिशत के रूप में शिकायतें (डी) [सी का प्रतिशत बी के रूप में]	संदर्भ तिथि तक सीआई द्वारा टीएटी के अंतर्गत अनसुलझे शिकायतों की संख्या (ई)	सी.आई. के विरुद्ध पंजीकृत कुल शिकायतों के प्रतिशत के रूप में टी.ए.टी. के अंतर्गत अनसुलझे शिकायतें (एफ) [सी का % के रूप में ई]
1	सीआई-1					

2	सीआई - 2					
3	……					

एन.बी.– यह अनुदेश विनियामकीय निदेश जारी होने की तारीख से भावी रूप से लागू होंगे। पिछले वित्तीय वर्ष का डेटा सीआईसी द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। सीआईसी को ऊपर प्रदर्शित अवधि से पहले पिछले दो (2) वित्तीय वर्षों के लिए सभी सीआई से संबंधित विंटेज डेटा प्रदान करने के लिए एक डाउनलोड लिंक / विकल्प प्रदान करना होगा।

सीआईसी उपयोगकर्ता को निम्नलिखित के आधार पर शीर्ष दस सीआई चुनने का विकल्प प्रदान करेंगे: (i) प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या; (ii) सी.आई. द्वारा प्रस्तुत कुल रिकार्ड के प्रतिशत के रूप में पंजीकृत शिकायतें; तथा (iii) सीआईसीआरए, 2005 के अनुसार निर्धारित टीएटी के अंतर्गत संबंधित सी.आई. के विरुद्ध पंजीकृत कुल शिकायतों के प्रतिशत के रूप में अनसुलझी शिकायतें।

अनुबंध – XIII: मुआवज़ा राशि के बंटवारे के लिए उदाहरण

a. **शिकायतकर्ता द्वारा सीआईसी में दर्ज की गई शिकायतें**

सीआई के पास अधिकतम 21 दिन का समय होता है और सीआईसी के पास शेष अवधि होती है, शिकायत प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की समग्र समयावधि के भीतर उसका समाधान किया जाना चाहिए। सीआईसी/सीआई द्वारा देय मुआवजे की गणना विभिन्न परिदृश्यों के तहत की जाएगी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

स्थिति 1

- दिनांक 1 जनवरी 2022 को सीआईसी में शिकायत दर्ज की गई
- सीआईसी दिनांक 12 जनवरी 2022 को सीआई (उदाहरण के लिए बैंक ए) से पुष्टि चाहता है।
- बैंक ए दिनांक 2 फरवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टि प्रदान करता है (21वां दिन 2 फरवरी 2022 होगा) - बैंक ए द्वारा कोई देरी नहीं की जाएगी।
- सीआईसी दिनांक 3 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को समाधान करके संशोधित सीआईआर प्रदान करती है
- 30 दिनों की स्वीकार्य अवधि (अर्थात इस मामले में 31 जनवरी, 2022 तक) से 3 दिन की देरी के लिए सीआईसी द्वारा शिकायतकर्ता को ₹300 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

स्थिति 2

- दिनांक 1 जनवरी 2022 को सीआईसी में शिकायत दर्ज की गई
- सीआईसी ने 5 जनवरी 2022 को बैंक ए से पुष्टि मांगी है
- बैंक ए दिनांक 26 जनवरी 2022 को (अर्थात 21 दिनों के भीतर) सीआईसी को पुष्टि प्रदान करता है - बैंक ए द्वारा कोई देरी नहीं की जाती है।
- सीआईसी दिनांक 3 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को समाधान करके संशोधित सीआईआर प्रदान करती है
- 30 दिनों की अनुमेय अवधि (अर्थात इस मामले में 31 जनवरी, 2022 तक) से 3 दिन की देरी के लिए सीआईसी द्वारा शिकायतकर्ता को ₹300 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

स्थिति 3

- दिनांक 1 जनवरी 2022 को सीआईसी में शिकायत दर्ज की गई
- सीआईसी ने दिनांक 5 जनवरी 2022 को बैंक ए से पुष्टि मांगी है
- बैंक ए दिनांक 28 जनवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टि प्रदान करता है (21वां दिन 26 जनवरी 2022 होगा) - बैंक ए द्वारा 2 दिन की देरी।
- यदि सीआईसी 2 फरवरी, 2022 को शिकायतकर्ता को समस्या का समाधान कर संशोधित सीआईआर उपलब्ध कराती है- बैंक ए द्वारा शिकायतकर्ता को 30 दिनों की स्वीकार्य अवधि (अर्थात इस मामले में दिनांक 31 जनवरी 2022 तक) से 2 दिन की देरी के लिए ₹200 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- यदि सीआईसी दिनांक 3 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को समस्या का समाधान कर संशोधित सीआईआर उपलब्ध कराती है– 30 दिनों की स्वीकार्य अवधि से 3 दिन अधिक की देरी के लिए शिकायतकर्ता को कुल ₹300 [बैंक ए द्वारा ₹200 और सीआईसी द्वारा ₹100] का मुआवजा प्रदान किया जाएगा (अर्थात इस मामले में दिनांक 31 जनवरी 2022 तक)।

स्थिति 4

- दिनांक 1 जनवरी 2022 को सीआईसी में शिकायत दर्ज की गई
- सीआईसी ने 5 जनवरी 2022 को बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, बैंक डी, बैंक ई से पुष्टि मांगी है - यानी सीआईसी ने पुष्टि प्राप्त करने के लिए 4 दिन का समय लिया है।
- बैंक ए, बी, सी, डी और ई के लिए – (21वां दिन 26 जनवरी 2022 होगा)
- यदि बैंक ए दिनांक 26 जनवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टि प्रदान करता है – देरी नहीं
- यदि बैंक बी दिनांक 31 जनवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टि प्रदान करता है– 5 दिन की देरी
- यदि बैंक सी दिनांक 2 फरवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टि प्रदान करता है – 7 दिन की देरी
- यदि बैंक डी दिनांक 4 फरवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टि प्रदान करता है – 9 दिन की देरी
- यदि बैंक ई दिनांक 6 फरवरी 2022 को CIC को पुष्टि प्रदान करता है – 11 दिन की देरी

32 दि

- इसलिए, शिकायत के समाधान में कुल देरी निम्नानुसार है:
- यदि सीआईसी दिनांक 6 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को समस्या का समाधान कर संशोधित सीआईआर उपलब्ध कराती है– 30 दिनों की स्वीकार्य अवधि (अर्थात इस मामले में 31 जनवरी,

2022 तक) से 6 दिनों की देरी के लिए, भारित औसत के आधार पर, शिकायतकर्ता को कुल ₹600 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा:

स्पष्टीकरण: छह दिनों की देरी को सीआई/सीआईसी द्वारा प्रत्येक सीआई/सीआईसी द्वारा की गई देरी की सीमा के भारित औसत पर विभाजित किया जाएगा। उक्त मामले में कुल विलंब 6 दिन का है और इसलिए शिकायतकर्ता कुल ₹600 मुआवजे का हकदार होगा। इसे सभी चूककर्ता बैंकों (इस मामले में बैंक बी, सी, डी और ई) के बीच विभाजित किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर, सभी चूककर्ता बैंकों की देरी कुल मिलाकर 32 दिन (5+7+9+11 दिन) है। इसलिए, इस मामले में 32 दिनों की समग्र देरी के संबंध में प्रत्येक सी.आई. द्वारा की गई देरी के भारित औसत पर ₹600 की मुआवजा राशि का विभाजन किया जाएगा।

- बैंक ए = कोई मुआवजा नहीं
- बैंक बी = (5*600)/32 = ₹93.75
- बैंक सी = (7*600)/32 = ₹131.25
- बैंक डी = (9*600)/32 = ₹168.75
- बैंक ई = (11*600)/32 = ₹206.25
- सीआईसी = कोई मुआवजा नहीं

- यदि सीआईसी दिनांक 11 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को सुधारा हुआ सीआईआर प्रदान करता है, तो सीआईसी द्वारा लिया गया कुल समय 9 दिन (यानी 4+ 5 दिन) होगा। 30 दिनों की स्वीकार्य अवधि (अर्थात इस मामले में दिनांक 31 जनवरी 2022 तक) से 11 दिनों की देरी के लिए, भारित औसत के आधार पर, शिकायतकर्ता को कुल ₹1100 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा:

  - बैंक ए = कोई मुआवजा नहीं
  - बैंक बी = (5*1100)/32 = ₹171.88
  - बैंक सी = (7*1100)/32 = ₹240.62
  - बैंक डी = (9*1100)/32 = ₹309.38
  - बैंक ई = (11*1100)/32 = ₹378.12
  - सीआईसी = कोई मुआवजा नहीं (क्योंकि सीआईसी ने कुल 9 दिन का समय लिया है)

- यदि सीआईसी दिनांक 15 फरवरी 2022 तक शिकायतकर्ता को समस्या का समाधान कर संशोधित सीआईआर उपलब्ध कराती है। सीआईसी ने अंतिम संशोधित सीआईआर उपलब्ध कराने में 13

दिन (अर्थात 4 दिन + 9 दिन) का समय लिया है। 30 दिनों की स्वीकार्य अवधि से 15 दिनों की देरी के लिए, शिकायतकर्ता को भारित औसत के आधार पर कुल ₹1500 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा (अर्थात इस मामले में 31 जनवरी, 2022 तक):

- बैंक ए = कोई मुआवजा नहीं
- बैंक बी = (5*1500)/36 = ₹208.34
- बैंक सी = (7*1500)/36 = ₹291.66
- बैंक डी = (9*1500)/36 = ₹375.00
- बैंक ई = (11*1500)/36 = ₹458.34
- सीआईसी = (4*1500)/36 = ₹166.66

32 + 4 = 36 दिन

स्थिति 5

- दिनांक 1 जनवरी 2022 को सीआईसी में शिकायत दर्ज की गई
- सीआईसी ने दिनांक 5 जनवरी 2022 को बैंक ए से पुष्टि मांगी है
- बैंक ए दिनांक 28 जनवरी 2022 को सीआईसीआई को पुष्टि प्रदान करता है (21वां दिन 26 जनवरी 2022 होगा) - 2 दिन की देरी।
- यदि, सीआईसी दिनांक 31 जनवरी 2022 को बैंक ए को समाधान करता है और संशोधित सीआईआर प्रदान करता है (अर्थात शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर समाधान किया जाता है) - मुआवजे का कोई मामला नहीं [26].

बी. शिकायतकर्ता द्वारा सी.आई. के पास दर्ज की गई शिकायतें

स्थिति 6

- 1 जनवरी 2022 को सीआई[27] (उदाहरण के लिए बैंक ए) के पास शिकायत दर्ज की गई)

---

[26] तथापि, सीआईसीआरए, 2005 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उचित समझे जाने पर सीआई के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।

[27] जहां शिकायत/परिवेदना में एक (1) से अधिक सीआई की गलत क्रेडिट जानकारी शामिल है, ग्राहक द्वारा संबंधित सीआईसी के पास शिकायत दर्ज कराई जाएगी। सीआईसी सभी संबंधित सीआई के साथ समन्वय करेंगे, तथा ग्राहक को शिकायत का व्यापक समाधान प्रदान करेंगे।

- बैंक ए दिनांक 22 जनवरी 2022 को सीआईसी को संशोधित विवरण प्रदान करता है (21वां दिन 22 जनवरी, 2022 होगा) - बैंक ए द्वारा कोई देरी नहीं की जाती है।
- यदि सीआईसी दिनांक 31 जनवरी 2022 को बैंक ए को समाधान करके संशोधित सीआईआर प्रदान करता है और बैंक ए 31 जनवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है– मुआवजे का कोई मामला नहीं है।
- यदि सीआईसी दिनांक 31 जनवरी 2022 को बैंक ए को सुधारा हुआ सीआईआर प्रदान करता है और बैंक ए दिनांक 1 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को सुधारा हुआ सीआईआर प्रदान करता है – बैंक ए द्वारा शिकायतकर्ता को 30 दिनों की स्वीकार्य अवधि (अर्थात इस मामले में 31 जनवरी 2022 तक) से 1 दिन की देरी के लिए ₹100 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- यदि सीआईसी दिनांक 1 फरवरी 2022 को बैंक ए को समाधान करके संशोधित सीआईआर प्रदान करता है और बैंक ए दिनांक 1 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है- 30 दिनों की स्वीकार्य अवधि (अर्थात इस मामले में दिनांक 31 जनवरी 2022 तक) से 1 दिन की देरी के लिए सीआईसी द्वारा शिकायतकर्ता को ₹100 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- यदि सीआईसी दिनांक 1 फरवरी 2022 को बैंक ए को समाधान करके संशोधित सीआईआर प्रदान करता है और बैंक ए 2 फरवरी, 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है - 30 दिनों की स्वीकार्य अवधि (अर्थात इस मामले में दिनांक 31 जनवरी 2022 तक) से 2 दिन की देरी के लिए शिकायतकर्ता को कुल ₹200 का मुआवजा [सीआईसी द्वारा ₹100 और बैंक ए द्वारा ₹100] प्रदान किया जाएगा।

स्थिति 7

- दिनांक 1 जनवरी 2022 को सीआई(उदाहरण के लिए बैंक ए) के पास दर्ज की गई शिकायत
- बैंक ए दिनांक 25 जनवरी 2022 को सीआईसी को समस्या का समाधान करते हैं और संशोधित विवरण प्रदान करते हैं (21वां दिन 22 जनवरी 2022 होगा) - बैंक ए द्वारा 3 दिन का विलंब।

- यदि सीआईसी दिनांक 31 जनवरी 2022 को बैंक ए को समाधान करके संशोधित सीआईआर प्रदान करते हैं और बैंक ए 31 जनवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करते हैं- मुआवजे की कोई स्थिति नहीं है।
- यदि सीआईसी दिनांक 3 फरवरी 2022 को बैंक ए को समाधान कर संशोधित सीआईआर प्रदान करते हैं (अर्थात बैंक ए द्वारा सूचित किए जाने के बाद सीआईसी को 9 दिन लगते हैं) और बैंक ए दिनांक 3 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करते हैं – बैंक ए द्वारा शिकायतकर्ता को 30 दिनों की स्वीकार्य अवधि (अर्थात इस मामले में दिनांक 31 जनवरी 2022 तक) से 3 दिन की देरी के लिए ₹300 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- यदि सीआईसी दिनांक 3 फरवरी 2022 को बैंक ए को समाधान कर संशोधित सीआईआर प्रदान करते हैं और बैंक ए दिनांक 4 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता हैं– बैंक ए द्वारा शिकायतकर्ता को 30 दिनों की स्वीकार्य अवधि (अर्थात इस मामले में 31 जनवरी 2022 तक) से 4 दिन की देरी के लिए ₹400 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- यदि सीआईसी दिनांक 4 फरवरी 2022 को बैंक ए को समाधान कर संशोधित सीआईआर प्रदान करता है और बैंक ए दिनांक 4 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है– 30 दिनों की स्वीकार्य अवधि से 4 दिन अधिक की देरी के लिए शिकायतकर्ता को कुल ₹400 [सीआईसी द्वारा ₹100 और बैंक ए द्वारा ₹300] का मुआवजा प्रदान किया जाएगा (अर्थात इस मामले में दिनांक 31 जनवरी 2022 तक)।
- यदि सीआईसी दिनांक 4 फरवरी 2022 को बैंक ए को समाधान कर संशोधित सीआईआर प्रदान करते है और बैंक ए दिनांक 5 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करते हैं– 30 दिनों की स्वीकार्य अवधि से 5 दिन की देरी के लिए शिकायतकर्ता को कुल ₹500 [सीआईसी द्वारा ₹100 और बैंक ए द्वारा ₹400] का मुआवजा प्रदान किया जाएगा (अर्थात इस मामले में दिनांक 31 जनवरी 2022 तक)।

अनुबंध – XIV: सीआई के लिए सर्वोत्तम प्रथाएँ

(1) पुनर्भुगतान जानकारी के अद्यतन न होने के उदाहरणों को कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के मुद्दे को केंद्रीकृत करके और सीआईसी को जानकारी प्रदान करके बचा जा सकता है।

(2) ग्राहक शिकायत निवारण को विशेष रूप से साख सूचना के अद्यतन/परिवर्तन से संबंधित शिकायतों के संबंध में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(3) साख सूचना के संबंध में शिकायत निवारण को मौजूदा शिकायत निवारण प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। साख सूचना से संबंधित ग्राहक शिकायतों से संबंधित पहलू भी सीआई की ग्राहक सेवा नीति का एक अभिन्न हिस्सा हो सकते हैं।

(4) सीआई को सीआईसी को पूर्ण ग्राहक जानकारी देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, पहचानकर्ता जानकारी जैसे पैन नंबर, मतदाता आईडी कार्ड नंबर आदि सभी रिकॉर्ड के लिए सीआई द्वारा प्रदान नहीं की जाती है।

(5) पहली बार उधार लेने वालों के ऋण आवेदन केवल इसलिए अस्वीकृत नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि उनके पास कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है।

(6) सीआई और सीआईसी से संबंधित अदालत के मामलों को कम करने के उद्देश्य से, शिकायतों को तत्काल आधार पर उनके द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। सीआई के पास शिकायत निवारण के लिए एक संरचित प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसके लिए बोर्ड के तहत एक उपभोक्ता संरक्षण समिति का गठन किया जाना चाहिए।

अनुबंध - XV: सीआईसी के लिए सर्वोत्तम प्रथाएँ

(1) ग्राहक शिकायत निवारण के लिए सीआईसी के पास एक संरचित और व्यवस्थित प्रक्रिया होनी चाहिए।

(2) ग्राहकों की शिकायतों से निपटने के लिए सीआईसी के पास एक नोडल अधिकारी होना चाहिए।

(3) सीआईआर के संबंध में विवाद के बाद, यदि यह स्थापित हो जाता है कि विवाद का कारण सीआईसी के साथ या सीआईसी को किसी सदस्य सीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी के साथ है, सीआईसी साख सूचना में सुधार के बाद ग्राहक को उसी प्रकार के सीआईआर की निःशुल्क प्रति प्रदान कर सकते हैं।

(4) सीआईसी तिमाही आधार पर शिकायतों पर आंकड़ों का संकलन करेंगे और शिकायतों पर तिमाही समीक्षा निदेशक मंडल के समक्ष रखी जानी चाहिए।

(5) सीआईसी द्वारा सदस्य सीआई के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें प्रारूपों, डेटा रिपोर्टिंग के महत्व और डेटा स्वीकृति अनुपात में सुधार करने के तरीके को समझाया जा सके।

(6) एसयू द्वारा सीआईसी नियमों के नियम 27 के संदर्भ में डेटा उपयोग के संबंध में सुरक्षा उपायों को एसयू के साथ करार में शामिल किया जाना चाहिए।

(7) जब भी एक ही उधारकर्ता पर सीआईआर एक साथ एक से अधिक सीआई द्वारा एक्सेस किए जाते हैं, एक महीने की अवधि के भीतर, सीआईसी द्वारा उन सभी सीआई को अलर्ट प्रदान किया जा सकता है जिन्होंने एक ही उद्देश्य/धोखाधड़ी लेनदेन के लिए कई वित्तपोषण से बचने के लिए रिपोर्ट तैयार की है।

(8) अपने पते/कार्यालय बदलने वाले उधारकर्ताओं के बारे में चेतावनियां, सीआई के नाम का प्रकटीकरण किए बिना अन्य ऋण अनुदानकर्ताओं को दी जानी चाहिए।

(9) उधारकर्ताओं के व्यवहार का स्वरूप, अर्थात् प्राप्त ऋणों की आवृत्ति, सीआई की आवृत्ति आदि को सीआईसी द्वारा एक अलग मूल्य वर्धित उत्पाद के रूप में प्रदान किया जा सकता है।

(10) एक एसयू की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टों का अनुकूलन सीआईसी द्वारा एक अलग मूल्य वर्धित उत्पाद के रूप में किया जा सकता है।

(11) सीआई और सीआईसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधारकर्ताओं के क्रेडिट रिकॉर्ड को नियमित रूप से सीआई द्वारा अपडेट किया जाए और ऐसे मुद्दे जैसे कि ऋण की अंतिम किस्त का पुनर्भुगतान रिपोर्ट नहीं किया जाता है, उत्पन्न नहीं होना चाहिए।

(12) सीआईसी को सूचना सुरक्षा के लिए आईएसओ 27001 प्रमाणित होना चाहिए।

(13) सीआई और सीआईसी से संबंधित अदालत के मामलों को कम करने के उद्देश्य से, शिकायतों को उनके द्वारा तत्काल आधार पर संबोधित किया जाना चाहिए। सीआईसी के पास शिकायत निवारण की एक संरचित प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके लिए बोर्ड के तहत एक उपभोक्ता संरक्षण समिति का गठन किया जाना चाहिए।

अनुबंध - XVI: मास्टर निदेश जारी करने के साथ निरस्त किए गए परिपत्रों की सूची

सं. क्र	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1	डीबीओडी.सं.डीएल.11590/20.16.034/2007-08	27.02.2008	साख सूचना कंपनी (विनियमन) (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2008
2	डीबीओडी. सं.डीएल.बीसी.138/20.16.042/2008-09	24.06.2009	स्वयं के क्रेडिट तक पहुंच रिपोर्ट
3.	आरपीसीडी.केंका.आरआरबी.सं.32/03.05.33/2009-10	20.10.2009	साख सूचना कंपनी (विनियमन) (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2008
4	आरपीसीडी.केंका.आरएफ़.बीसी. सं.44/07.40.06/2009-10	01.12.2009	साख सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005
5	यूबीडी.बीपीडी(पीसीबी).परि. सं.25/09.11.200/2009-10	03.12.2009	साख सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005
6	डीबीओडी. सं.डीएल.15214/20.16.042/2009-10	04.03.2010	'पंजीकरण प्रमाणपत्र' का अनुदान - क्रेडिट जानकारी का व्यवसाय शुरू करने के लिए - एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
7	आरपीसीडी.केंका.आरआरबी.बीसी. सं.62/03.05.33/2009-10	23.03.2010	'पंजीकरण प्रमाणपत्र' का अनुदान – साख सूचना का व्यवसाय शुरू करने के लिए - एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
8	डीबीओडी. सं.डीएल.बीसी.83/20.16.042/2009-10	31.03.2010	'पंजीकरण प्रमाणपत्र' का अनुदान - साख सूचना का व्यवसाय शुरू करने के लिए - इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
9	आरपीसीडी.केंका.आरआरबी.बीसी. सं.70/03.05.33/2009-10	19.04.2010	साख सूचना का व्यवसाय शुरू करने के लिए 'पंजीकरण प्रमाणपत्र' का अनुदान - इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
10	यूबीडी.केंका.बीपीडी.परि.सं. 60/09.11.200/2009-10	29.04.2010	साख सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 – साख सूचना कंपनियों की सूची
11	यूबीडी.केंका.बीपीडी.परि.सं. 6 /09.11.200/2010-11	09.08.2010	साख सूचना कंपनियों को डेटा प्रस्तुत करना

12	आरपीसीडी.केंका.आरएफ़.बीसी.सं.17/07.40.06/2010-11	06.09.2010	साख सूचना कंपनियों को डेटा प्रस्तुत करना
13	डीबीओडी.सं.सीआईडी.बीसी.64/20.16.042/2010-11	01.12.2010	'पंजीकरण प्रमाणपत्र' का अनुदान - क्रेडिट जानकारी का व्यवसाय शुरू करने के लिए - हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
14	आरपीसीडी.केंका.आरसीबी.बीसी.सं.33/07.40.06/2010-11	07.12.2010	साख सूचना कंपनियों को डेटा प्रस्तुत करना
15	आरपीसीडी.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.36/03.05.33/2010-11	08.12.2010	'पंजीकरण प्रमाणपत्र' का अनुदान – साख सूचना का व्यवसाय शुरू करने के लिए - हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
16	यूबीडी.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.30/09.11.200/2010-11	22.12.2010	साख सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 - क्रेडिट का व्यवसाय शुरू करने के लिए 'पंजीकरण का प्रमाण पत्र' सूचना - हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
17	आरपीसीडी.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.41/03.05.33/2010-11	24.12.2010	साख सूचना कंपनियों को डेटा प्रस्तुत करना - क्रेडिट संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले डेटा का प्रारूप
18	आरपीसीडी.केंका.आरसीबी.बीसी.सं.45/07.40.06/2010-11	05.01.2011	साख सूचना कंपनियों को डेटा प्रस्तुत करना - क्रेडिट संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले डेटा का प्रारूप
19	डीबीओडी.सं.सीआईडी.बीसी.84/20.16.042/2011-12	05.03.2012	'पंजीकरण प्रमाण पत्र' का अनुदान - के कारोबार को चलाने के लिए साख सूचना – साख सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड
20	आरपीसीडी.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.71/03.05.33/2011-12	18.04.2012	'पंजीकरण प्रमाण पत्र' का अनुदान - पर ले जाने के लिए साख सूचना का व्यवसाय – साख सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड
21	डीबीओडी.सं.सीआईडी.बीसी.27/20.16.042/2013-14	01.07.2013	साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करना - 'सहमति खंड' की वापसी
22	आरपीसीडी.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.14/03.05.33/2013-14	23.07.2013	साख सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 - अनुपालन
23	आरपीसीडी. केंका.आरसीबी.बीसी.सं.19/07.51.010/2013-14	07.08.2013	साख सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 - अनुपालन

24	यूबीडी. केंका.बीपीडी.पीसीबी. परि.सं.4/16.74.000/2013-14	27.08.2013	साख सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 का अनुपालन
25	डीबीओडी.सीआईडी.बीसी.127/20.16.056/2013-14	27.06.2014	साख सूचना कंपनियों और अन्य विनियामक उपायों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए डेटा प्रारूप
26	आरपीसीडी.आरआरबी.आरसीबी.बीसी. सं. 13/03.05.33/2014-15	15.07.2014	साख सूचना कंपनियों और अन्य विनियामक उपायों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए डेटा प्रारूप
27	यूबीडी. केंका. बीपीडी. पीसीबी. परि.सं. 4 /16.74.000/2014-15	15.07.2014	साख सूचना कंपनियों और अन्य विनियामक उपायों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए डेटा प्रारूप
28	डीबीओडी.सीआईडी.बीसी.34/20.16.042/2014-15	22.08.2014	'पंजीकरण प्रमाणपत्र' का अनुदान - साख सूचना के कारोबार को चलाने के लिए - सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
29	आरपीसीडी .केंका.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.27 /03.05.33/2014-15	04.09.2014	'पंजीकरण प्रमाणपत्र' का अनुदान - सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
30	डीबीआर.सं.सीआईडी.बीसी.60/20.16.056/2014-15	15.01.2015	साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता
31	डीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी).परि.सं.13/16.74.000/2014-15	29.01.2015	सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता
32	डीबीआर.सं.सीआईडी.बीसी.28/20.16.056/2015-16	09.07.2015	साख सूचना कंपनियों और अन्य विनियामक उपायों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए डेटा प्रारूप
33	डीबीआर.सीआईडी.बीसी.35/20.16.042/2015-16	27.08.2015	'पंजीकरण प्रमाणपत्र' का अनुदान – साख सूचना के कारोबार को चलाने के लिए - सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
34	डीबीआर.सीआईडी.बीसी.73/20.16.056/2015-16	14.01.2016	स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के संबंध में साख सूचना रिपोर्टिंग

35	डीसीबीआर.बीपीडी.परिपत्र.सं.17/16.74.000/2015-16	26.05.2016	स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के संबंध में साख सूचना रिपोर्टिंग
36	डीबीआर.सीआईडी.बीसी.सं.104/20.16.56/2015-16	16.06.2016	स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के संबंध में साख सूचना रिपोर्टिंग
37	डीबीआर.सीआईडी.बीसी.107/20.16.056/2015-16	23.06.2016	वाणिज्यिक पत्रों में निवेश और साख सूचना कंपनियों को उधारकर्ताओं के बचाव रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर जानकारी की रिपोर्टिंग
38	डीबीआर.सीआईडी.बीसी.सं.11/20.16.042/2016-17	01.09.2016	व्यक्तियों को मुफ्त वार्षिक क्रेडिट रिपोर्ट
39	डीबीआर.सीआईडी.बीसी.16/20.16.040/2016-17	29.09.2016	'पंजीकरण प्रमाणपत्र' प्रदान करना – साख सूचना का कारोबार करने के लिए - ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड
40	डीबीआर.सीआईडी.बीसी.27/20.16.040/2016-17	20.10.2016	'पंजीकरण प्रमाणपत्र' का अनुदान - क्रेडिट सूचना के व्यवसाय को चलाने के लिए - एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ईसीआईसीआई)
41	डीबीआर.सीआईडी.बीसी.60/20.16.040/2016-17	13.04.2017	'पंजीकरण प्रमाणपत्र' प्रदान करना - क्रेडिट सूचना का कारोबार करने के लिए - ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड
42	डीबीआर.सीआईडी.बीसी.सं.79/20.16.042/2017-18	02.08.2017	व्यापक साख सूचना रिपोर्ट जारी करना
43	डीबीआर.सीआईडी.बीसी.24/20.16.042/2018-19	07.02.2019	'पंजीकरण प्रमाणपत्र' का अनुदान – साख सूचना के व्यवसाय को चलाने के लिए - सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
44	विवि.एफ़आईएन.आरईसी.46/20.16.056/2020-21	12.03.2021	साख सूचना कंपनियों और अन्य विनियामक उपायों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए डेटा प्रारूप
45	विवि.एफ़आईएन.आरईसी.59/20.16.056/2021-22	14.10.2021	साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए डेटा प्रारूप
46	विवि.एफ़आईएन.आरईसी.90/20.16.056/2022-23	13.12.2022	साख सूचना कंपनियों और अन्य विनियामक उपायों को क्रेडिट

			जानकारी प्रस्तुत करने के लिए डेटा प्रारूप
47	विवि.एफ़आईएन.आरईसी.39/20.16.056/2023-24	20.09.2023	साख सूचना कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक और माइक्रोफाइनेंस सेगमेंट के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक
48	विवि.एफ़आईएन.आरईसी.41/20.16.003/2023-24	25.09.2023	सूचना का प्रदर्शन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत सुरक्षित आस्ति
49	विवि.एफ़आईएन.आरईसी.48/20.16.003/2023-24	26.10.2023	क्रेडिट जानकारी के देरी से अद्यतन/सुधार के लिए ग्राहकों को मुआवजे के लिए ढांचा
50	विवि.एफ़आईएन.आरईसी.49/20.16.003/2023-24	26.10.2023	साख सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों द्वारा प्रदान की गई ग्राहक सेवा का सुदृढ़ीकरण
51	विवि.एफ़आईएन.आरईसी.32/20.16.056/2024-25	08.08.2024	क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग की आवृत्ति
52	विवि.एफ़आईएन.आरईसी.47/20.16.042/2024-25	10.10.2024	लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने के बाद साख सूचना रिपोर्टिंग तंत्र का कार्यान्वयन